लोक सभा

सोमवार,
२० सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० .. . . ५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७ . . . १२४३—१२८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ . १२८६—१२९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible] . . . . १२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . . १३१५—१३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५ . . . . . . १३५९—१३७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ . १३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९ १३९३—१४४२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११ १४४२—१४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . . १४४६—१४६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११ १४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१— सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, ११११, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग

*११०६. **श्री वी० पी० नायर:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के व्यय के १९४८-४९ में १६.३६ लाख रुपये से बढ़ कर चालू वर्ष में १२०.२२ लाख रुपये हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के एकक हैं और यदि हां, तो उन के कृत्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में इस समय कितने व्यक्ति काम करते हैं और १९४८-४९ में कितने काम करते थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). इस प्रकार की जानकारी बताना जनहित में नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वर्त्तमान

आय-व्ययक में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के व्यय में, १९४८-४९ की तुलना में ७००, से ८०० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है ?

श्री दातार: आवश्यकताओं के कारण यह वृद्धि की गई है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कितने पदाधिकारी—स्त्री तथा पुरुष संसद् सदस्यों की गतिविधि की निगरानी करने के लिये नियुक्त किये गये हैं ?

श्री दातार: श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । यह भ्रम बिल्कुल निराधार है ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, केवल एक प्रश्न और ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति, अब हम अगले प्रश्न को लेंगे ।

श्री टी० बी० बिट्टल राव: श्रीमान्, प्रश्न के भाग (ख) का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय: वे कहते हैं कि जानकारी नहीं दी जा सकती; तो इसी को बस समझिये ।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों के विशेष पुलिसदल को स्थानीय पुलिस पर ध्यान रखने के तथा बड़े बड़े अपराधों की जांच

के अधिकार दिये गये हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि गृह-मंत्री विभिन्न राज्यों में नियुक्त ऐसे पदाधिकारियों के पते उन राज्यों के संसद्-सदस्यों को बता दें ।

श्री दातार : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य विशेष पुलिस दल तथा गुप्तचर विभाग के बीच भेद को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं । गृह मंत्रालय से संलग्न होते हुए भी वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हैं ।

श्री वी० पी० नायर : आप ही समझने में गड़बड़ कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न ।

कान्दला भ्रष्टाचार मामला

*११०७. **श्री डाभी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६, फरवरी, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कान्दला-दीसा रेलवे के संबंध में भूमि तथा अन्य निर्माण के झूठे परिमाप की जांच पूर्ण हो गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जांच अभी समाप्त नहीं हुई है । यह समाप्त होने को है ।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि इस में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री दातार : इस समय मैं ठीक संख्या बताने में समर्थ नहीं हूं । यह हिसाब कर के बताई जा सकती है ।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि इन झूठे परिमापों के कारण सरकार को कितना रुपया देना पड़ा ?

श्री दातार : परिमाप-पुस्तकों में इस परिवर्त्तन के परिणाम स्वरूप लगभग १४,००० रुपया अधिक देना पड़ा ।

राष्ट्रीय आय समिति

*११०८. **श्री एस० एन० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार किया है जो कि आंकड़ों के सुधार के लिये टेकनिकल समस्याओं के तथा राष्ट्रीय आय की लगातार कार्यवाही के लिये संस्था विषयक व्यवस्था के संबंध में थी; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किये गये ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). २८ अगस्त, १९५४ को राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिशों पर तथा संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियों पर विभागीय सांख्यकों की स्थायी समिति ने विचार विनिमय किया; और अब यह तय किया गया है कि आंकड़ों के सुधार के लिये विभिन्न टैकनिकल समस्याओं पर कार्यवाही करने के लिये व्यवस्था की जाये । संस्था विषयक कार्य के संबंध में, राष्ट्रीय आय कार्य-प्रणाली केन्द्रीय सांख्याकी संस्था के साथ इस वर्ष पहली जून से मिला दी गई है, जिस से राष्ट्रीय आय कार्य के अनुसंधान में बढ़ोतरी हो सके । प्रथमतः, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से वर्त्तमान स्थिति जानने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आय एकक के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तथा यदि हां, तो कितनी ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं ने बताया राष्ट्रीय आय एकक का कार्य केन्द्रीय सांख्यकी संस्था ने ले लिया है तथा उन की सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तथा यदि हां, तो वह अनुमान क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे भागों में जहां भिन्न-भिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों के लिये सांख्यकीय प्रबंध नहीं हैं, इस प्रकार के अभिकरण बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : इस विषय पर केन्द्रीय सांख्यकी संस्था सिफारिशें भेजेगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: माननीय मंत्री ने बताया कि उन को इस विषय में गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से सहायता मिलेगी । मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार की सहायता की आशा करते हैं, तथा इस विषय में उन गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को वे किस प्रकार सहायता देना चाहते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : इस बात का निश्चय करना ही इसी संस्था पर निर्भर है । कार्य करने वाली टुकड़ियां होंगी । जैसा कि मैं ने बताया इन टुकड़ियों में संबंधित मंत्रालयों, केन्द्रीय सांख्यकी संस्था, योजना आयोग तथा आर्थिक कार्य विभाग के व्यक्ति होंगे । वे गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों से, सांख्यकीय आंकड़े सुधारने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करेंगे ।

प्राविधिक सहकारी योजना

***११०९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोलम्बो योजना की प्राविधिक सहकारी योजना के अन्तर्गत, भारतीय खानों के कुछ प्रबन्धक ऊंची शिक्षा के लिये विदेश भेजे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किस-किस देश को; तथा

(ग) वे भारत के किस राज्य के निवासी हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) जी हां ।

(ख) ५५; ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को ।

(ग) बिहार, बम्बई, दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि प्राविधिक सहकारी योजना के अन्तर्गत विदेश भेजे गये खानों के प्रबन्धक, गैर-सरकारी खानों के हैं अथवा उन में से कुछ सरकारी खानों के प्रबन्धक भी हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चित नहीं हूं । मेरे विचार से अधिकतर गैर-सरकारी खानों के ही हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जानना चाहती हूं कि इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कोई पदाधिकारी ट्रावनकोर-कोचीन राज्य से क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री तिम्मय्या : मैं जानना चाहता हूं कि वे उन के अपने व्यय पर भेजे गए अथवा सरकारी व्यय पर ?

श्री ए० सी० गुहा : साधारणतया जिस देश में वे जाते हैं, वही देश व्यय उठाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना की प्राविधिक सहकारी योजना की निधि का अधिक धन बचा पड़ा है जो व्यय नहीं हुआ है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि माननीय सदस्य प्राविधिक सहकारी योजना की निधि के संबंध में जानना चाहते हैं तो इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

राष्ट्रीय अजायबघर

*१११०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री ६ मई, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली में राष्ट्रीय अजायबघर भवन निर्माण योजना बनाने के लिये नियुक्त "विशेषज्ञ समिति" ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) इस भवन का अनुमानित व्यय क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) श्रीमान् अभी नहीं ।

(ख) अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना कब तक पूर्ण होगी ?

डा० एम० एम० दास : आशा है कि योजना शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के आय-व्ययक में इस कार्य के लिये कितना धन रखा गया है ?

डा० एम० एम० दास : इस वर्ष के आय-व्ययक में इस कार्य के लिये ३,७०,४०० रुपया रखा गया है ।

श्री वेलायुधन : मैं जानना चाहता हूं कि इस अजायबघर में भारत के पुराने शासकों की प्रस्तर मूर्त्तियां तथा चित्र रखने का विचार है, तथा क्या मद्रास राज्य सरकार ने इन प्रस्तर मूर्त्तियों तथा चित्रों को इस अजायबघर में रखने के लिये शिक्षा मंत्रालय से उन्हें ले जाने को कहा है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, सभा में, भवन-निर्माण पर ही प्रश्न रखा गया था । मेरे विचार से आगामी हफ्ते, माननीय सदस्य का इसी प्रकार का एक प्रश्न होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस अजायबघर की मुख्य विशेषतायें क्या होंगी, तथा आर्थिक अड़चनें क्या होंगी ?

डा० एम० एम० दास : गवार समिति ने भवन-निर्माण हेतु एक करोड़ से अधिक रुपये का अनुमान लगाया था; परन्तु हमारा वर्त्तमान अनुमान लगभग ९१ लाख रुपये का है और अजायबघर में कला के, प्राणकीय तथा पुरातत्व संबंधी नमूने रखे जायेंगे ।

फेरो-मैंगनीज

*१२१२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने फेरो-मैंगनीज (लौह मिश्रित मैंगनीज) उद्योग की जांच तथा इस की स्थापना और विकास के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को सलाह देने के लिये कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो उस की क्या सिफारिशें हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष समय में तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग पर व्यय होने वाले धन का प्राक्कलन मंत्रालय ने बना लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है; और जैसे ही उस की सिफारिशों पर सरकार विचार कर लेगी वैसे ही हम कार्य प्रारम्भ करने का प्रयत्न करेंगे ; इस समय हम इस तथ्य पर ध्यान नहीं देंगे कि वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में समाप्त होगा अथवा द्वितीय में ।

श्री मात्तन : मैं जानना चाहता हूं कि नागपुर विमान-दुर्घटना में मरे हुए वोनमाल्टजान द्वारा निर्मित्त फेरो-मैंगनीज के निर्माण के प्रस्ताव की वर्त्तमान स्थिति क्या है ? क्या सरकार उस पर अमल कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं प्रश्न समझ नहीं सका ?

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि फेरो-मैंगनीज बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और मध्य प्रदेश में उस के सम्बन्ध में जो योजना थी, क्या उस पर अमल किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में सरकार इस योजना पर तथा अन्य योजनाओं पर भी विचार कर रही है ।

सरकारी प्रशासनीय यंत्र का पुनर्संगठन

*१११४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री ३० अप्रैल, १९५४ को गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा प्रशासनीय व्यवस्था के सुधार के बारे में गैर-सरकारी संकल्प पर वाद-विवाद के समय सभा में दिये गए वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन संशोधित नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू होने वाली १५ नियमावलियां जारी की गई हैं और वे सभा-पटल पर रख दी गई हैं । ६ नियमावलियां अभी विचाराधीन हैं और आशा है कि वे शीघ्र जारी की जायेंगी । अखिल भारतीय सेवाओं के लिये हाल ही में जारी किये गये नियमों के आधार पर आचरण-नियमों तथा केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के पुनरीक्षण का काम अभी चल रहा है ।

श्री ज० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री की राय में इन नियमों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दातार : इन नियमों से कार्यकुशलता बढ़ेगी और अधिक समता पैदा होगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इन नवीन नियमों के अति-

रिक्त, माननीय मंत्री ने प्रशासनीय यंत्र के पुनर्गठन में क्या अन्य महत्वपूर्ण परिवर्त्तन भी किए हैं ?

श्री दातार : सभा को ज्ञात है कि सरकार ने संगठन तथा प्रणाली विभाग खोला है । इस विभाग ने पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है और वह अब यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है कि विलम्ब के क्या कारण हैं। यह अन्य विषयों की ओर भी ध्यान दे रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत इस नवीन विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल का क्या कोई सामयिक प्रतिवेदन भी प्राप्त होता है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम है तथा इस के परिणामस्वरूप प्रशासनीय यंत्र को किस प्रकार कसा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । आप तो कई प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : पहले का उत्तर दीजिए ।

श्री दातार : जहां तक परिणाम का सम्बन्ध है इतनी जल्दी परिणाम बताना कठिन है, किन्तु मैं सभा को सूचित कर दूं कि हमें यथेष्ट सामग्री मिल रही है जिस के आधार पर हम विलम्ब को दूर कर सकते हैं ।

सशस्त्र सेनाओं में अंग्रेजी

*११२२. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना में अंग्रेजी की स्थिति तथा रक्षा-अकादमी, पूना में शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : सरकार की नीति यह है कि संविधान लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष के भीतर अंग्रेजी का स्थान हिन्दी द्वारा लिया जाना चाहिए । तब तक संभवत: अंग्रेजी ही भारतीय रक्षा-अकादमी में शिक्षा-माध्यम रहेगी । सन् १९५५ के प्रारम्भ में अकादमी के खड़कवस्ला चले जाने की आशा है ।

श्री गिडवानी : मैं जानना चाहता हूं कि यह परिवर्त्तन पन्द्रह वर्ष के बाद किया जायगा या उस से पहले ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मैं इस बारे में कह दूं कि गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि दस बरस के बाद वह हिन्दी में काम शुरु कर देगी ? लेकिन इस के साथ पन्द्रहवें बरस तक अंग्रेजी भी जारी रहेगी ।

श्री वेलायुधन : मैं जानना चाहता हूं कि सेना में अभी प्रचलित शब्दों के स्थान पर, हिन्दी में क्या विद्वानों द्वारा वे विशेष शब्द खोजे जा रहे हैं ताकि सैनिक कर्मचारियों द्वारा शिक्षण के समय उन का प्रयोग हो सके ?

श्री त्यागी : हां श्रीमान् ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी में शिक्षा-माध्यम प्रारम्भ करने का दस वर्ष के अन्त में प्रस्ताव है या कुछ कक्षाओं में अभी से इस का प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री त्यागी : सेना में ऐसे अनेक विषय हैं जिन में शिक्षा-माध्यम पहले से ही हिन्दी है । कुछ अति-प्राविधिक विषयों में, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े क्लिष्ट हैं तथा जिन में वैज्ञानिक शब्दावली की काफी आवश्यकता है, अभी हिन्दी नहीं अपनाई जा सकी है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि सैनिक शिक्षण के लिये आवश्यक

कितनी पुस्तकें हिन्दी में अनुदित की गई हैं ?

श्री त्यागी : मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय

*११२४. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय के कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के लिए कोई नियम निर्धारित किए गए हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मसौदा नियम बनाए गए हैं और गृह-कार्य मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है । तब के लिये मसौदा नियमों का पालन हो रहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को यह पता है कि नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के विनियमों की प्रायः अवहेलना की जाती है, और लाइब्रेरियन द्वारा ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं जिन में विज्ञप्त योग्यताएं भी नहीं होती हैं ?

डा० एम० एम० दास : जैसा मैं ने कहा है, मसौदा नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । गृह-कार्य मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मसौदा नियमों का अन्तिम रूप विचराधीन होने से, क्या सरकार को पता है कि लाइब्रेरियन के तथाकथित पक्षपाती स्वभाव के कारण वहां के वर्त्तमान कर्मचारियों में अभी बड़ा असन्तोष फैला हुआ है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार को कर्मचारियों के असन्तोष की कोई सूचना नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करने के लिये मैं यह बता देना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में हम ने प्रथम श्रेणी का केवल एक पदाधिकारी नियुक्त किया है और यह नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है । द्वितीय श्रेणी के सात पदाधिकारी नियुक्त किये गए हैं । दो तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से नियुक्त हुए हैं और पांच पदोन्नति द्वारा अस्थायी रूप से । यह पदोन्नति विभाग के कर्मचारियों को दी गई है जो विभाग में सब से ज्येष्ठ हैं । तृतीय श्रेणी की नियुक्ति पुस्तकालय परिषद् द्वारा की गई है जिस के सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित होते हैं ।

भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण

*११२५. **श्री संगण्णा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भाषाविज्ञों तथा शिक्षा-विशारदों के सम्मेलन द्वारा मई १९५३ में नियुक्त की गई स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार क्या भारत के नये भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण के विषय में कोई कदम उठाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) और (ख). अभी निश्चित योजना बनने में देर है ।

श्री संगण्णा : मैं जानना चाहता हूं कि भाषाविज्ञों तथा शिक्षा-विशारदों के सम्मेलन द्वारा नियुक्त स्थाई समिति की क्या सिफारशें हैं ?

डा० एम० एम० दास : भाषाविज्ञों तथा शिक्षा-विशारदों का सम्मेलन गैर-

सरकारी था और समिति भी गैर-सरकारी थी। शिक्षा-मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों में एक भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण की थी। सिफारिश यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर भारत का एक नया भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया जाय जिस का संचालन तथा संगठन गैर-सरकारी शिक्षा विशारद समिति को सौंपा जाये, जो यथासंभव, दक्षिण कालेज में बनाई जाये।

श्री संगण्णा: मैं जानना चाहता हूं कि भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण का भार किस एजेन्सी पर है ?

डा० एम० एम० दास: अभी हमें दक्षिण कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट रिसर्च इन्स्टीट्यूट (दक्षिण कालेज उत्तर स्नातक अनुसंधान संस्था) से कोई सम्पूर्ण तथा निश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एस० एन० दास: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने योजना मांगी थी या यह उसी संगठन पर निर्भर है कि वह कोई योजना भेजे ?

डा० एम० एम० दास: पहले संगठन द्वारा निवेदन किया गया था। अतः हम ने उस संगठन से एक निश्चय और परिपक्व योजना भेजने के लिए कहा है।

सरदार ए० एस० सहगल: भाषा सम्बन्धी पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है और पहले ऐसे कितने पर्यवेक्षण किये जा चुके हैं ?

डा० एम० एम० दास: इस प्राविधिक विषय में मेरा ज्ञान माननीय सदस्य के ज्ञान जितना ही है, किन्तु मैं समझता हूं कि भाषा-सम्बन्धी पर्यवेक्षण का अर्थ है—उद्गम, गठन तथा व्याकरण की दृष्टि से भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन, किस क्षेत्र में, कौन से लोग तथा कौन-सी विशेष जातियां उन भाषाओं का प्रयोग करती हैं। अभी तक अधिक पर्यवेक्षण नहीं किये गए हैं। पचास वर्ष पूर्व एक यूरोपीय विद्वान द्वारा केवल एक पर्यवेक्षण हुआ था।

बालचर संस्था

*११२६. **श्री एस० वी० रामस्वामी**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में बालचर संस्था के विकास के लिये अलग रकम निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या बालचर संस्था को कोई राज्य वार अंशदान दिया जा रहा है; और

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति में किसी प्रकार बालचर संस्था का उपयोग किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसा मालूम हुआ है कि त्यौहारों, सहायता शिविरों और पंच वर्षीय योजना में उपबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बालचर संस्था का उपयोग किया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी: कतिपय नहरों को साथ करने और सड़कों के निर्माण में राष्ट्रीय छात्र सेना का उपयोग किया गया था। क्या भारत में किसी स्थान पर बालचर संस्था के सुपुर्द इस प्रकार का कार्य किया गया है ?

डा० एम० एम० दास: बालचर संस्था एक गैर-सरकारी संस्था है, इस प्रकार की विस्तृत जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी: क्या इस आशय के अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं कि निधि के अभाव में बालचर संस्था पूर्ण उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी है ?

डा० एम० एम० दास : इस वर्ष भारत स्काउट्स और गाइडस् द्वारा ७५,००० रुपये के सहायता अनुदान की प्रार्थना की गई है। इस के साथ ही स्काउट्स और गाइड्स पदाधिकारियों के लिये उच्च प्रशिक्षण शिविरों के संगठन के निमित्त एक अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में ६०,००० रुपये के विशेष अनुदान की प्राथना की गई है।

सरदार ए० एस० यहगल : क्या यह सच है कि देश में विभिन्न बालचर संस्थाएं हैं और मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें पिछले वर्ष कितनी रकम दी गई थी ?

डा० एम० एम० दास : १९४९-५० में तीन भिन्न-भिन्न बालचर संस्थाए थीं। किन्तु सौभाग्य से अब वे सब एक संगठन में आत्मसात् हो गई हैं जिन का नाम भारत स्काउट्स और गाइडस है। १९५३-५४ में हम ने इस संस्था को ३२,५०० रुपये का अनुदान दिया था।

नागरिक सम्भरण विभागों के भूतपूर्व कर्मचारी

*११२९. **श्री आई० ईयाचरण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्यों के नागरिक सम्भरण विभागों के छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों को काम देने के लिये सरकार सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो बर्खास्त कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पुनः काम में लेने की संभावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). राज्य सरकारों ने नागरिक सम्भरण विभागों से छंटनी किये गये कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन सहायता देने के लिये सरकार सहमत हो गई है। इस कार्य के लिये उन्हें वैसी ही प्राथमिकता दी गई है जैसी मितव्ययता शाखा की सिफारिश पर आवश्यकता से अधिक घोषित किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त छंटनी किये गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ बरती जाती है। यह कहना सम्भव नहीं है कि बर्खास्त किये गये कर्मचारियों में से कितने अथवा उन का कितना अनुपात सहायता के परिणामस्वरूप संविलीन कर लिया जायेगा।

श्री आई० ईयाचरण : मैं जानना चाहता हूं कि भरती करने के लिये न्यूनतम शर्तें क्या हैं, और किन विभागों में उन्हें लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री दातार : किसी प्रकार की न्यूनतम शर्तें नहीं हैं। उन्हें लगभग उसी पद के आस पास स्थान दिये जायेंगे जिन पर वे राज्य सरकारों में थे।

श्री दीवान राघवेन्द्र राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन कर्मचारियों को उम्र आदि के सम्बन्ध में छूट देगी ?

श्री दातार : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि राज्य द्वारा पहले से ही छूट देने की स्थिति को अपवाद मान कर क्या उन्हें और छूट भी दी जा सकती है।

केन्द्रीय भवन निर्माण गवेषणा संस्था, रुड़की

*११३१. **दीवान राघवेन्द्र राव :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रुड़की में केन्द्रीय भवन-निर्माण गवेषणा संस्था का हाल ही में निर्मित्त किया गया भवन विकृत हो गया है और नये डिजायन के आधार पर उस का पुनर्निर्माण किया गया है ; और

(ख) आरम्भ में निर्मित्त भवन की लागत और इसे नवीन डिजाइन में परिवर्तित करने पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) रुड़की में हाल ही में निर्मित केन्द्रीय निर्माण गवेषणा संस्था का भवन विकृत नहीं हुआ है। समिति के शिल्पकारों ने यह समाचार दिया था कि प्रयोगशाला के निर्देशक ने उस दीवार को एक ओर हटा दिया, जिस में सजावट के लिये नालीदार टायलें लगाई गई थीं। सजावट की इस दीवार के स्थान पर किसी नवीन वस्तु का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) भवन की लागत ८,६७,००० रुपये थी। उपरोक्त (क) में व्यक्त अवस्था को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्माण सम्बन्धी अतिरिक्त खर्चे का प्रश्न नहीं उठता है।

दीवान राघवेन्द्र राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल भवन की डिजाइन किसी योग्यता प्राप्त शिल्पी ने तैयार की थी, और यदि उस में किसी तरह का परिवर्त्तन किया गया है तो किस के द्वारा तथा क्यों किया गया है, और क्या परिवर्त्तन करने वाला व्यक्ति योग्यता प्राप्त शिल्पी और डिजाइन निर्माता है ?

श्री के० डी० मालवीय : भवन की डिजाइन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक गवेषणा परिषद् के एक योग्यताप्राप्त शिल्पी द्वारा तैय्यार की गई थी। भवन निर्माण गवेषणा संस्था के संचालक इस सजावट हेतु लगाई गई नालीदार ईंटों की दीवार को हटाने के उत्तरदायी हैं। लेकिन कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती है क्योंकि यह इसके योग्य नहीं है।

दीवान राघवेन्द्र राव: मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रारम्भ में भवन की लागत का अनुमान ६००,००० रुपये था, और यथार्थ में उस की लागत ८००,००० रुपये है ?

श्री के० डी० मालवीय : बाद की जानकारी अभी दी गई है। प्रथम भाग का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

दीवान राघवेन्द्र राव: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भवन के जलाशय की प्रारम्भिक लागत २५,००० रुपये थी और संचालक की सनक के कारण उस पर ५०,००० रुपया खर्च हो गया ?

श्री के० डी० मालवीय: मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ?

वर्ग पहेलियां

*११३४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास सरकार ने उचित विधान द्वारा वर्ग पहेलियों और प्रतियोगिताओं की पद्धति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अन्य किसी राज्य ने भी इस प्रकार का सुझाव उपस्थित किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) और (ख). वर्ग पहेलियां और इस प्रकार की पुरस्कार प्रतियोगिताओं के दोषों को दूर करने के लिये राज्य सरकारों में, उन के विचार जानने के लिये, एक प्रस्ताव परिचालित किया गया था। मद्रास सरकार ने अपने विचार व्यक्त किये हैं; कुछ दूसरी राज्य सरकारों ने भी अपनी सम्मतियां भेजी हैं।

(ख) उचित विधान की रचना का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों में इस

पर पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

श्री दातार: मुझे नहीं मालूम कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । कुछ राज्यों में इस पर नियंत्रण लगाया गया है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इन पहेलियों से छुटकारा पा कर समुचित विधान बनाने में कितना समय लगेगा ?

श्री दातार: इस में अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि राज्य सरकारों के पूरे विचार हमारे सामने हैं । सरकार के समक्ष प्रश्न यह है कि इन पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाये अथवा नियंत्रण या अनुज्ञप्ति प्रणाली चलाई जाये । सरकार विचार कर रही है कि किस मार्ग का अनुसरण किया जाये ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे राजस्व की प्राप्ति का भी साधन हैं और यदि हां, तो उन से क्या आमदनी होती है ?

श्री दातार: सरकार आय की दृष्टि से इस पर विचार नहीं कर रही है । वे इस की ओर नैतिक दृष्टि से देख रहे हैं ।

पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय: मैं जानना चाहता था कि क्या उन से राजस्व की प्राप्ति होती है ?

श्री दातार: मेरा विचार है कि कुछ राज्य सरकारों के सम्बन्ध में ऐसा होता है ।

श्री मात्तन: मैं जानना चाहता हूं कि क्या तथाकथित मान्य समाचार पत्रों और अन्य व्यक्तियों द्वारा इन वर्ग पहेलियों के माध्यम से किये जाने वाले शोषण से माननीय मंत्री परिचित हैं ?

श्री दातार: सरकार को पूरी तरह मालूम है और केन्द्रीय विधान के निर्माण पर विचार करने का यही कारण है ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

अतिरिक्त सैनिक भूमि का निबटारा

*११३६. **श्री के० सी० सोधिया**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्पूर्ण अतिरिक्त सैनिक भूमि की सूची जिस का शीघ्र ही बिक्री द्वारा निबटारा होगा, तैयार हो गई है और प्रकाशित हो गई है अथवा प्रकाशित करने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): सम्पूर्ण अतिरिक्त सैनिक पड़ावों की भूमि की सूची तैयार तो हो गई है, किन्तु प्रकाशित नहीं हुई है और न इसे प्रकाशित कराने का ही विचार है क्योंकि यह बहुत लम्बी सूची है । पड़ावों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सैनिक भूमि तथा छावनी के निर्देशक के कार्यालय से प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त की जा सकती है ।

श्री के० सी० सोधिया: उन की बिक्री किस के द्वारा होगी ?

श्री त्यागी: प्रारम्भ में तो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को इन भूमियों के क्रय करने का अवसर दिया जाता है । उस के बाद राज्य सरकार, फिर स्थानीय निकाय जैसे नागर पालिका और जिला बोर्ड और तदुपरांत शिक्षण अथवा धार्मिक संस्था—यदि वहां कोई हो तो—को यह अवसर दिया जाता है । इन सब के द्वारा इस भूमि को न लेने पर भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और उस के बाद यह भूमि जनता को दी जायगी ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाओं को ये भूमि पूरे मूल्य पर अथवा कुछ रियायती मूल्य पर मिलती है ?

श्री त्यागी : जहां तक उल्लिखित निकायों को इन भूमि के हस्तानातरण का सम्बन्ध है, उन को तो ये भूमि उन सरकारों के राजस्व अभिलेखों में प्रमाणित दरों पर ही मिलेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कितनी भूमि लेने का विचार किया गया है और क्या उन को यह भूमि देने का अवसर दिया है ?

श्री त्यागी : तत्काल ही उन को यह अवसर दिया जायगा । इन पड़ावों के बारे में सभी मंत्रालयों को तथा राज्य सरकारों को विस्तृत सूचनाएं भेज दी गई हैं । जैसे ही इस भूमि के सम्बन्ध में उन की मांग आती है तुरंत ही उन का हस्तान न्तरण कर दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे । श्री आर० एस० लाल अनुपस्थित हैं । श्री के० पी० त्रिपाठी ।

श्री भागवत झा आजाद : ११३७ ।

अध्यक्ष महोदय : अंत में ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : ११३९ ।

बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास

*११३९. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि आसाम सरकार ने बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आसाम में सुक्रेतिग हवाई अड्डे की अतिरिक्त भूमि को छोड़ने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) (क) जी हां ।

(ख) यह भूमि बिना किसी किराये आदि के दो महीने के लिए अस्थायी तौर पर इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के व्ययन पर छोड़ दी गई है । राज्य सरकार को यह भूमि बिना किसी मूल्य के स्थायी तौर पर हस्तानान्तरण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा इस का कोई भाग बिना किसी मूल्य के किसी बड़े व्यापारी को हस्तानान्तरण किया गया था ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि पूर्व में किये गये हस्तान्तरणों के बारे में मेरे पास विस्तृत अभिलेख नहीं हैं । मुझे ऐसा ध्यान है कि बहुत दिन हुये तब इस भूमि का कुछ भाग एक गैर-सरकारी पक्ष को दिया गया था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या इस का हस्तानान्तरण माननीय मंत्री अथवा उन के विभाग को बता कर किया गया था अथवा नीचे के पदाधिकारियों ने ही कर दिया था ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि इस का हस्तानान्तरण काफ़ी वर्ष हुए तभी हुआ था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या किसी पदाधिकारी द्वारा अथवा मंत्रालय को बता कर ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैंने बताया भी है कि इस के बारे में मुझे कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य का ज्ञान है कि इन भूमि तथा अन्य वस्तुओं के बेचने के मामलों में ये बिना किसी परिवर्त्तन के मूल स्वामियों को न बेचकर अन्य पक्षों को बेच दी जाती हैं ?

श्री त्यागी : किसी एक व्यक्ति विशेष को इस के बेचने का अधिकार नहीं है । अब

तक यह व्यवस्था रही है कि जब कभी भी कोई भूमि अतिरिक्त घोषित की गई तो इस का नीलाम सार्वजनिक रूप में किया जाता था। जहां तक निजू सौदों का सम्बन्ध था पहले तो वे रक्षा मंत्रालय द्वारा तथा बाद को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये जाते थे और उसके बाद ही यह काम पूरा समझा जाता था।

डा० राम सुभग सिंह: ये भूमि मूल स्वामियों को क्यों नहीं दी जाती ?

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने में कोई लाभ नहीं है ?

डा० राम सुभग सिंह: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक माननीय मित्र के अपने प्रश्न की महत्ता के सम्बन्ध में उन की राय पर मैं निर्भर रहूं तो मैं समझता हूं कि मैं केवल एक ही प्रश्न प्रस्तुत कर सकता हूं और एक घंटा बिता सकता हूं।

अगला प्रश्न।

बच्चों की शिक्षा

*११४०. **श्री धोलकिया:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने तीन से छः वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नीति निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्धारित नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस के क्रियान्वित करने में कितना धन व्यय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री एस० एन० दास: क्या दूसरे देशों में इस संबंध में किये जाने वाले प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए शिक्षाविद् अथवा पदाधिकारियों का एक दल वहां भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

डा० एम० एम० दास: जहां तक मैं जानता हूं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री धोलकिया: क्या सरकार का विचार एक उसी प्रकार के आयोग की नियुक्ति करने का है जैसा कि उस ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में किया है ?

डा० एम० एम० दास: माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का दायित्व तो राज्य सरकारों पर है, और जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उस ने देश व्यापी प्राथमिक शिक्षा के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी है।

श्री एस० एन० दास: क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किसी शाला में इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया जा रहा है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): इस बारे में एक्सपेरिमेन्ट हो रहा है।

श्री एस० एन० दास: तीन वर्ष से छः वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में।

मौलाना आज़ाद: डाइरेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के मातहत में कोई इंस्टीटयूशन नहीं है।

अपातिक आयुक्त अधिकारी

*११४१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि कितने अपात्तिक अधिकारियों को जिनकी भर्ती द्वितीय विश्व

युद्ध में की गई थी, अब तक नियमित सैनिक बल में खपा लिया गया है ;

(ख) कितने आयुक्त अधिकारियों को रक्षित असैनिक पदों पर भेजा गया है ; और

(ग) क्या उन में से किसी को उपदान तथा अन्य सुविधायें दी गई थीं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ३,८०४ ।

(ख) यह जानकारी इस समय प्राप्य नहीं है और एकत्रित की जा रही है ।

(ग) जी हां । सभी आपातिक आयुक्त अधिकारियों को मुक्ति विनियमन के अधीन युद्ध-उपदान तथा अन्य सुविधायें दी गई थीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उन का सेवा काल जब से उन्होंने छोड़ा है तब से, अथवा जब कि युद्धकालीन सेवा में थे तभी से, माना जायगा ?

श्री त्यागी : मैं माननीय मित्र का प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन का सेवा काल, क्या जब से उन्हें असैनिक पद दिये गये हैं अथवा नियमित सैनिक बल में पद दिये गये हैं तब से गिना जायेगा अथवा तभी से गिना जायगा जब से कि वे युद्ध काल में लड़ाकू बल में कार्य करते थे ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य यह जानने की इच्छुक हैं कि क्या जब उन की पुनर्नियुक्ति असैनिक पदों पर हो गई है तो उन का सेवा काल गिना जायगा अथवा नहीं । मुझे खेद है कि यह जानकारी मैं इस समय नहीं दे सकता ।

अन्तर्राज्य पुलिस बेतार व्यवस्था

*११४२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि क्या अन्तर्राज्य पुलिस बेतार व्यवस्था का विकास त्रावणकोर-कोचीन; इम्फाल. तथा चंडीगढ़ में भी हो गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार).: नहीं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह व्यवस्था भारत संघ के सभी राज्यों में है ?

श्री दातार : भारत संघ के बहुत से राज्यों में यह व्यवस्था है, और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, त्रावणकोर-कोचीन इम्फाल, तथा चंडीगढ़ में यह व्यवस्था आगामी छः महीनों में कर दी जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इस का सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार देती है अथवा राज्य सरकार भी हाथ बटाती है ।

श्री दातार : मैं समझता हूं कि जहां तक इस का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ही यह खर्चा उठाती है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

*११४३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य असैनिक सेवा पदाधिकारियों को, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रथम श्रेणी में नियुक्त करने के लिये सूचीबद्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार भर्ती होने वाले राज्य असैनिक पदाधिकारियों का क्या प्रतिशत होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों के

परामर्श से यह विनिश्चय किया गया है कि कुछ राज्य असैनिक सेवा पदाधिकारियों को, जिन की संख्या ४० से अधिक न होगी, अभी केन्द्र में अनुधृति के आधार पर अवर सचिव तथा उस के समान ही पदों पर पुनर्नियुक्ति पर रखा जाये। ऐसे पदाधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियुक्ति या भर्ती का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: प्रत्येक राज्य से कितने कितने पदाधिकारी भर्ती किये गये हैं ?

श्री दातार: यह प्रादेशिक आधार पर विनिश्चय नहीं होता है, परन्तु हम सारे राज्यों से नाम या सिफारिशें मांगेंगे, और उन में से अत्यधिक उपयुक्त व्यक्तियों को लेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने उपयुक्तता का क्या आधार निर्धारित किया है ?

श्री दातार: आधार यह निर्धारित किया गया है कि इन पदाधिकारियों ने राज्यों में कम से कम बारह वर्ष तक कार्य किया हो, उन्हें जिला मान पर तथा सचिवालयमान पर काम करने का अनुभव हो।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या भारतीय प्रशासन सेवा की भांति कि विवाहित स्त्रियां सेवा के लिये अयोग्य हैं, राज्य असैनिक सेवा में भी यह बात लागू होती है ?

श्री दातार: कदाचित मैं माननीय सदस्या को आश्वासन दे सकता हूं कि वे आ सकती हैं, परन्तु मेरे इस कथन में त्रुटि होने पर शोधन हो सकता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी उठे—

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

मनीपुरी विद्यार्थी

*११४५. श्री **रिशांग किशिंग**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अर्हता प्राप्त मनीपुरी विद्यार्थियों को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में भेजने के लिये सरकार का कोई प्रबन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो पहिले उन्हें कहां और किस पाठ्यक्रम के लिये भेजा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री **रिशांग किशिंग**: क्या यह सच नहीं है कि विदेशों में भाग 'ग' राज्यों के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये केन्द्रीय सरकार की एक विशेष छात्रवृत्ति योजना है, और यदि ऐसा है, तो अब तक किसी भी मनीपुरी विद्यार्थी के न लिये जाने का क्या कारण है ?

डा० एम० एम० दास: दुर्भाग्यवश, भाग (ग) तथा (घ) के राज्यों के विद्यार्थियों से इस वर्ष के लिये हमें माननीय सदस्य द्वारा कथित छात्रवृत्ति के लिये जो ४९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उन में कोई मनीपुर राज्य से नहीं आया है।

श्री रिशांग किशिंग: क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि मनीपुर से कोई भी प्रार्थना-पत्र क्यों नहीं आया है जब कि वहां बहुत से अर्हता प्राप्त व्यक्ति हैं और बहुत से लोग ऐसे अध्ययन के लिये विदेशों में जाने के इच्छुक हैं ?

डा० एम० एम० दास: कदाचित वे इस छात्रवृत्ति की अधिक परवाह नहीं करते।

नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक

*११४६. **श्री के० सी० सोधिया**: क्या वित्त मंत्री २९ मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार यह बता सकती है कि संविधान के अनुच्छेद १४९ में बताये गये नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के संबंध में विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ-साथ इस मामले पर विचार किया जा रहा है, परन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि विधान कब बनाया जायेगा ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने ऐसे विधान के लिये आग्रह नहीं किया है ?

श्री एम० सी० शाह: वह इन दो कामों के पृथक्करण के लिये आग्रह कर रहें हैं । उन्होंने और वित्त मंत्रालय ने एक एक क्रमानुसार अधिकारी व ज्येष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच करने और व्यौरेवार व्यवस्था करने के लिये नियुक्त किया है ।

श्री एस० एन० दास: इस तथ्य की दृष्टि से कि इस प्रश्न का समय-समय पर यही उत्तर दिया जा रहा है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वास्तव में इस मामले पर तत्काल विचार करने के लिये तत्पर है ?

श्री एम० सी० शाह: श्रीमान्, सरकार बिल्कुल तत्पर है ।

श्री वेलायुधन: इस दृष्टि से कि विधान में इतना विलम्ब हो गया है, क्या सरकार को इस महत्वपूर्ण विषय पर विधान न होने के कारण कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

श्री एम० सी० शाह: यह बहुत ही जटिल मामला है जिस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और उन सारी बातों का अध्ययन करना होगा । कुछ बड़े बड़े परिवर्त्तनों का ब्यौरा बताना है, और उन बातों का अध्ययन करना है । अतः, सरकार तत्पर है, परन्तु इस में समय लगता है

केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना

*११४७. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय राज्य छात्रवृत्ति योजना के अधीन भाग 'ग' तथा भाग 'घ' राज्यों से १९५४-५५ में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ;
और

(ख) यह छात्रवृत्ति किस विषय के निमित्त दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) उनचास ।

(ख) विद्यार्थियों को तीन छात्रवृत्तियां दी गई हैं जो निम्न विषयों का अध्ययन करेंगे :—

(१) सैद्धान्तिक भौत्तिकि—क्षेत्र सिद्धान्त तथा निष्ठि शक्तियां ;

(२) भेसन सिद्धान्त तथा निष्ठि शक्तियां ;

(३) भू-भौतिकी ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति राज्यवार कितने प्रार्थनापत्र आये और उन में से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के छात्रों के कितने प्रार्थनापत्र हैं ?

डा० एम० एम० दास: यह छात्रवृत्ति भाग ग तथा घ के राज्यों के विद्यार्थियों

के लिये थी । इस नियतन में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई पृथक नियतन नहीं किया गया है ।

श्री नवल प्रभाकर: मेरा प्रश्न यह था कि पार्ट सी० और पार्ट डी० स्टेट्स जो हैं उन में से अलग-अलग हर स्टेट की कितनी एप्लीकेशन्स आईं और उन में से शिडयूल्ड कास्ट की कितनी थीं ?

डा० एम० एम० दास: प्राप्त प्रार्थना-पत्र इस प्रकार थे; दिल्ली १७, कच्छ ५, मध्य प्रदेश ५, त्रिपुरा २, विन्ध्य प्रदेश ७, कुर्ग २, अजमेर १२, अंडेमान तथा निकोबार द्वीप १ । क्योंकि छात्रवृत्तियां योग्यतानुसार मिलनी थीं, इस लिये अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के किसी छात्रवृत्ति की कोई गणना नहीं की गई थी ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि पार्ट सी० और पार्ट डी० स्टेट्स के अन्दर लोगों को जानकारी देने के लिये कोई विज्ञापन वगैरह किया जाता है ?

डा० एम० एम० दास: सारी छात्रवृत्तियां का विज्ञापन किया जाता है ।

श्री राधा रमण: इन छात्रवृत्तियों के लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया था और प्रत्येक कितने कितने धन की थी ?

डा० एम० एम० दास: इस योजना के अधीन छात्रवृत्तियां तीन वर्षों के लिये होती हैं, और अमरीका में उन का मूल्य १५०० डालर होता है और इंगलिस्तान में ३६० से ४०० पौ० तक होता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या ये छात्रवृत्तियां सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती हैं या विदेशों में कोई फाउन्डेशन या संस्था द्वारा दी जाती है ।

डा० एम० एम० दास: वे सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती हैं ।

मनीपुर न्यायपालिका

*११४९. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य के एकीकरण के पूर्व "हिल बैंच", जिस में तीन न्यायाधीश थे, मनीपुर के पहाड़ी लोगों के लिये सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रही थी परन्तु राज्य के समन्वय के पश्चात् वह समाप्त कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब मुख्यायुक्त मनीपुर के पहाड़ी लोगों के लिये उच्चतम न्यायअधिकारी है; और

(घ) मनीपुर के पहाड़ी लोग मुख्यायुक्त के आदेश के विरुद्ध मनीपुर के बाहर किस प्राधिकारी से या न्यायालय में अपील कर सकते हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) एकीकरण से पहिले पहाड़ी लोगों के लिये "हिल बैंच" सर्वोच्च न्यायालय था । एकीकरण के पश्चात् यह न्यायालय समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) एकीकरण के पश्चात्, मनीपुर राज्य न्यायालय अधिनियम, १९४७, के अधीन स्थापित प्रमुख न्यायालय के स्थान पर न्याय आयुक्त का न्यायालय बनाया गया जिस में एक न्यायाधीश था । इस के परिणामस्वरूप "हिल बैंच" के बने रहने के बारे में, जो मणिपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) नियम, १९४७, की धारा २६ के अधीन स्थापित की गई थी, कठिनाई

उत्पन्न हुई । इस कठिनाई का समाधान करने के लिये "हिल बैंच" समाप्त कर दी गई और इस के अधिकार उप-आयुक्त को दे दिये गये ।

(ग) हां ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

आयकर में इंगलिस्तानियों को छूट

*११५०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में आयकर तथा अधिकार में से भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४९ के अधीन इंगलिस्तानियों को दी जाने वाली कर छूट के रूप में कितना कर लौटाया गया या उस में कितनी कमी की गई;

(ख) ऐसे कितने करदाता थे; और

(ग) उन में कितने भारतीय थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १९४८ में आय-कर की धारा ४९ हटा दी गई थी और अब धारा ४९—ब के अधीन छूट दी जाती है । १९५३-५४ में निम्नलिखित छूट दी गई :

आय-कर	अधि-कर
३,०६,७६,६४४ रु०	८,४८,०७७ रु०

(ख) ५८८ ।

(ग) यह सूचना तत्काल प्राप्य नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : जिन करदाताओं को कर माफ कर दिया गया है उन में से ऐसे कितने समवाय हैं जिन का पंजीयन इंगलिस्तान में हुआ है और जो भारत में कार्य कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : कर माफ नहीं कर दिया जाता है । यह छूट भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ४९(घ) के अधीन द्वि-कराधान छूट के अन्तर्गत दी गई थी । जहां तक पूछी गई संख्या का संबंध है, मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं । मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में पहिले बता चुका हूं कि वह सूचना प्राप्य नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इंगलिस्तान में भारतीय समवायों को कोई अन्योन्य छूट दी जाती है ?

श्री एम० सी० शाह : आजकल ऐसा कोई समझौता कार्यान्वित नहीं है । १९५२-५३ से हम शत प्रतिशत छूट देते हैं और इंगलिस्तान भी १९५३ से शत प्रतिशत छूट देता है ।

श्री साधन गुप्त : इंगलिस्तान द्वारा दी गई छूट से कितने भारतीय समवायों को लाभ हुआ है और क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्राक्कलन है कि हम ने जो छूट दी है उस से इंगलिस्तान के कितने समवायों को लाभ पहुंचा है ?

श्री एम० सी० शाह : मैं पहिले बता चुका हूं कि मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं । जहां तक हमारी दी गई छूट का संबंध है, यह ५८८ मामलों में दी गई थी । जहां तक इंगलिस्तान से छूट प्राप्त करने वाले भारतीय समवायों का संबंध है, वह सूचना हमें प्राप्त नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें अन्य प्रश्न लेने चाहियें । प्रश्न संख्या ११३८ ।

श्री भागवत झा आज़ाद : प्रश्न संख्या ११३७ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य के पास इस का अधिकार-पत्र है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : यह मेरा प्रश्न है । इस में अधिकार-पत्र की क्या आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की संख्या क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद: संख्या ११३७।

अध्यक्ष महोदय: मेरा ख्याल था कि माननीय सदस्य प्रश्न संख्या ११३८ का उल्लेख कर रहे हैं। मुझे बड़ा खेद है।

मध्य भारत में सीमा शुल्क

*११३७. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या मध्य भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि सीमा शुल्क एकत्रित करने का उन का अधिकार एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) मध्य भारत सरकार इस अधिकार का कब तक उपयोग करेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). इस विषय पर मध्य भारत सरकार के साथ चर्चा चल रही है किन्तु भारत सरकार को अभी तक राज्य सरकार के अन्तिम सुझाव नहीं मिले हैं ?

श्री भागवत झा आजाद: क्या मैं जान सकता हूं कि इस रियायत के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय कोष को अब तक लगभग कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी ?

श्री दातार: यह स्वयं एक प्रश्न है जिस पर विचार करना है। राज्य सरकार इच्छुक हैं कि हानि का सम्पूर्ण दायित्व हमारे ऊपर पड़े और हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक संभव भाग का दायित्व वह अपने ऊपर लें। अतः यह मामला विचाराधीन है। उन के वित्त मंत्री और वित्त सचिव गत मास यहां आये थे और उन के सम्मुख भारत सरकार द्वारा अनेक सुझाव रखे गये और उन्होंने वचन दिया है कि यहां की चर्चा के आधार पर वह निश्चित सुझाव भेजेंगे।

श्री भागवत झा आजाद: यदि यह रियायत एक वर्ष के लिये बढ़ाई न गयी होती तो इस शुल्क के रूप में लगभग कितनी राशि केन्द्रीय कोष में आई होती ?

श्री दातार: मैं ठीक-ठीक राशि नहीं बता सकता। पर चूंकि प्रश्न अभी विचाराधीन है तो अभी से यह पता लगाना कि केन्द्र को क्या हानि होगी समय से पूर्व होगा।

श्री भागवत झा आजाद: इस विशेष रियायत को समय बढ़ाने के लिये मध्य भारत सरकार ने क्या कारण उपस्थित किया है ?

श्री दातार: यह रियायत का समय बढाने का प्रश्न नहीं है। अन्तर्राज्य यातायात शुल्क, आयात और निर्यात दोनों, के उन्मूलन से राज्य सरकार को जो हानि होगी उस को भी ध्यान में रखना होगा। इस के पूर्व उन की आय लगभग २ करोड़ रुपये थी। बाद में वह १ करोड़ और कुछ रह गई। यदि इन शुल्कों का उन्मूलन कर दिया जायेगा तो मध्य भारत सरकार को बहुत बड़ी हानि होगी। अतः वे इस बात पर विचार करने के लिये समय चाहते हैं कि अन्य साधनों तथा केन्द्र से कुछ अनुदान पा कर वह किस सीमा तक अपनी पूर्ति कर सकेंगे ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या आज प्रकाशित एक प्रेस प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है कि मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संवाददाताओं को बताया कि आगामी अप्रैल में वह इन सीमा-शुल्कों का उन्मूलन करने जा रहे हैं ?

श्री दातार: यह समाचार प्रसन्नतादायक है। मैं आशा करता हूं कि वह उन का उन्मूलन कर सकने में समर्थ होंगे।

श्री आर० एस० तिवारी : क्या आप कृपया प्रश्न संख्या ११३५ की अनुमति देंगे ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : सार्वजनिक हित के लिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रश्न काल समाप्त होने में अभी १५ मिनट शेष हैं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं देखता हूं कि बाबू रामनारायण सिंह का प्रश्न संख्या ११२७ इस के पूर्व है । ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते ?

बाबू राम नारायण सिंह : नहीं, मुझे केवल एक या दो मिनट की देर हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय सदस्य ने खड़े हो कर अपने प्रश्न के पूछे जाने की प्रार्थना नहीं की तो मैं ने सोचा कि वह अपना प्रश्न नहीं पूछना चाहते ।

बाबू राम नारायण सिंह : मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मुझे पुकारें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं । जब मैं ने प्रश्न संख्या ११३८ को पुकारा मुझे प्रश्न संख्या ११३७ का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा । जब माननीय सदस्य श्री भागवत झा आज़ाद खड़े हुए मैं इस भ्रम धारणा में था कि वह प्रश्न संख्या ११३८ रखने जा रहे हैं ? अच्छा होता यदि उन्होंने मेरा ध्यान उसी समय आकर्षित कर दिया होता ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने प्रश्न संख्या ११३७ कहा था । संभवतः आप ने उसे गलत सुना ।

अध्यक्ष महोदय : इस गलती के लिये मुझे बहुत खेद है ।

योग प्रणाली

*११२७. **बाबू राम नारायण सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय दैनिक के २२ अगस्त १९५४ के एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि रूस की सरकार ने अपने सभी शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक व्यायाम की योग प्रणाली को प्रचलित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत सरकार और रूस के बीच कोई पत्र व्यवहार और परामर्श हुआ हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां यह प्रथा है कि प्रश्न करने वाला सदस्य को प्रथम अवसर दिया जाना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : वह खड़े नहीं हुए अतः मैं खड़ा हो गया ।

बाबू राम नारायण सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य देश जैसे अमरीका भी इस प्रश्न में रुचि रखते हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस सम्बन्ध में कुछ कहना मेरे लिये कठिन है किन्तु चूंकि वहां कई राम कृष्ण मिशन आश्रम और वेदान्तिक सभायें कार्य कर रही हैं, अतः संभव है कि कुछ अमरीकावासी भी इस योग प्रणाली में रुचि रखते हों ।

बाबू राम नारायण सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार शारीरिक विकास की इस योग प्रणाली के प्रभाव से भली भांति अवगत है, और यदि हां,

तो क्या वह जनता की भलाई के लिये इस प्रणाली के अनुसार कुछ करने के लिये कटिबद्ध है ?

डा० एम० एम० दास : हमारी सरकार को इस प्रणाली के महत्व प्रभावों का पूरा ज्ञान है । पर मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है उस का राज्यों की शिक्षा संस्थाओं से बहुत थोड़ा सम्बन्ध है । वह परामर्श दे सकती है, अनुदान दे सकती है और शिक्षा की विभिन्न योजनाओं और मामलों के सम्बन्ध में अनुरोध भी कर सकती है पर जहां तक उन परामर्शों और अनुरोधों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था का प्रश्न है वह राज्य सरकारों के हाथ में है ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को उठायें ।

उपराज्यपालों तथा चीफ़ कमिश्नरों की शक्तियां

*११३५. **श्री आर० एस० तिवारी** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उपराज्यपालों तथा चीफ कमिश्नरों की शक्तियों में क्या अन्तर है;

(ख) क्या उपराज्यपाल लोक प्रिय सरकारों के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी सूचनाएं आई हैं कि लोक प्रिय सरकारों के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री द्वातार) : (क) भाग ग राज्य सरकार अधिनियम १९५१ की तृतीय अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में दिये गये एक राज्य के उपराज्यपाल और चीफ कमिश्नर के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है ।

(ख) उपराज्यपाल के कर्त्तव्य और मंत्रि परिषद से उस के सम्बन्धों का ब्यौरा भाग ग राज्य शासन अधिनियम १९५१ और उसी अधिनियम की धारा ३८ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा निर्मित कार्य नियम में दिया गया है ।

(ग) नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भाग ग राज्य सरकार अधिनियम के कामों की जांच की है और क्या उपराज्यपाल कैबिनेटों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

श्री दातार : किसी विशेष राज्य सरकार द्वारा उन के काम में उपराज्यपाल द्वारा तथाकथित हस्तक्षेप करने की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि विन्ध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक भी बिना उपराज्यपाल के नहीं की जा सकती ?

श्री दातार : मुझे दुःख है कि यह सूचना सत्य नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि उन राज्यों के चीफ कमिश्नरों जिन में विधानमंडल हैं और उन राज्यों के चीफ कमिश्नरों जिन में विधानमंडल नहीं है के अधिकार एक से ही हैं ?

श्री दातार : विधानमंडल वाले चीफ कमिश्नरों के अधिकारों की कुछ परिसीमायें होनी चाहियें, क्योंकि उन को मंत्रालयों से व्यवहार करना पड़ता है । दूसरे राज्यों के चीफ कमिश्नरों को जहां विधानमंडल या मंत्रालय नहीं है, स्वभावतः अधिक अधिकार होंगे ।

इम्फाल ट्रेजरी आफिसर

*११२१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के ट्रेजरी आफ़िसर ने सरकार की अनुमति के बिना शहर के बीच में एक सरकारी जमीन पर कुछ मकान किराये पर देने के लिये बनवा लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले पर मनीपुर सरकार सक्रिय विचार कर रही है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को पता है कि मनीपुर में बहुत से सरकारी अधिकारियों ने इम्फाल में कोठियां बनवा ली हैं और उन को ऊंचे किरायों पर उठा दिया है जब कि स्वयं वे सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : उत्तर में हमने संकेत कर दिया है कि कुछ गैर-कानूनी निर्माण किये गये हैं । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं कि वहां पर कितने गैर-कानूनी निर्माण किये गये हैं । किन्तु फिर भी सरकार मामले की छानबीन कर रही है ।

श्री राधा रमण : प्रश्न संख्या ११२८ के महत्व को देखते हुए उसे ले लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित हैं अतः मुझे प्रश्न संख्या ११२० को पहले लेना चाहिये ।

श्री आर० एस० लाल : प्रश्न संख्या ११३८ को भी ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में यदि समय रहा तो ।

हरिजन छात्रों की शिक्षा

*११२०. **श्री जांगड़े** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को हरिजन छात्रों की माध्यमिक शिक्षा के लिये कोई अनुदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, मध्य प्रदेश सरकार को दिया है ।

(ख) अस्पृश्यता को दूर करने की योजना के अधीन १९५३-५४ में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को ४५,२०० रुपये की राशि दी गई थी, जिस में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कालेज शिक्षा के लिये हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना भी सम्मिलित था ।

श्री जांगड़े : क्या सरकार बता सकती है कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश शासन ने हरिजनों की शिक्षा के लिये कितना रुपया दिया है ?

डा० एम० एम० दास : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा जा सकता है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में काम करने वाले हरिजन सेवक संघ को केन्द्रीय शासन ने कितना रुपया दिया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो कुछ देती है, स्टेट गवर्नमेन्ट को देती है ।

रामायण आदि का अरबी अनुवाद

*११३८. **श्री आर० एस० लाल**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने: महाभारत, रामायण, शकुन्तला आदि जैसे संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट ग्रंथों के अरबी अनुवादों का कापीराइट खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पुस्तकों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन के लिये कितना मूल्य दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) जी हां ।

(ख) छै । रामायण, महाभारत, भगवत गीता, शकुन्तला, नल दमयन्ती तथा भारतीय पुराणों का सार ।

(ग) अस्सी हजार रुपये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिये भी आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे कौन सी भाषायें हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): और किसी तर्जुमा का काम अभी नहीं किया जा रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या शिक्षा मंत्रालय अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कराने का प्रयत्न करेगा ?

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न नहीं समझा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: प्रश्न यह है कि क्या यथासमय अन्य भाषाओं के अनुवाद भी खरीदे जायेंगे ?

मौलाना आजाद: हां, अगर कोई ऐसी तज़वीज गवर्नमेन्ट के सामने आयेगी तो गवर्नमेन्ट खुशी से उस पर गौर करेगी ।

श्री एस० एन० दास: क्या सरकार यह बता सकती है कि इन देशों में लगभग कितनी प्रतियां बिकने की सभावना है ?

डा० एम० एम० दास: यह अभी तय नहीं हुआ है पाण्डुलिपियां अभी तक मिश्र स्थित हमारे राजदूतावास में पड़ी हुई हैं ।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

*११२८. **श्री बुच्चिकोटेय्या**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बाहरी देशों से बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिये किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से सहायता प्राप्त हुई है, और प्राप्त सहायता किस प्रकार की है ; और

(ग) उसे प्रभावित लोगों में किस प्रकार वितरित किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). अभी तक उपलब्ध हुई सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या १**].

(ग) मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री राघा रमण: क्या किसी सरकारी प्राधिकारी ने सहायता के लिये कोई अपील की है, और यदि हां, तो वह कौन प्राधिकारी था और भिन्न-भिन्न देशों से सहायता के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

श्री दातार : सहायता के रूप में प्राप्त हुई कुल राशि का उल्लेख विवरण में किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी प्राधिकारी द्वारा अन्य देशों से अपील की गई थी ? यदि हां, तो अपील करने वाला वह प्राधिकारी कौन था ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य बिलकुल नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी अन्य देश से अपील की गई थी, यदि हां, तो किसने की थी ?

श्री दातार : सरकार ने कोई अपील नहीं की है । ये विभिन्न प्रकार की सहायता भारत सरकार को अपनी इच्छा से भेजी गई है ।

श्री के० के० बसु : क्या किसी बाहरी देश से सहायता प्राप्त करने और उसे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन पर रोक लगाई गई है ?

श्री दातार : मुझे नहीं मालूम है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पूर्वी बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को अमरीकी सरकार द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सहायता दी जा रही है, और पश्चिमी बंगाल के लोगों द्वारा भेजे गये धन को इन्कार कर दिया गया है क्योंकि अमरीकियों द्वारा दी गई सहायता इतनी अधिक है कि उन्हें भारत से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है ?

श्री दातार : पश्चिमी बंगाल के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, मुझे उस का पता नहीं है । परन्तु भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख इस विवरण में किया गया है ।

श्री राधा रमण : यह प्राप्त हुआ धन विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार वितरित किया जाता है ?

श्री दातार : इस का वितरण राज्य सरकारों के द्वारा होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

***१११३. चौधरी रघुवीर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में सरकार ने प्रशिक्षण काल में पदाधिकारी सेना छात्रों (आफिसर केडेट्स) के अस्वीकार कर दिये जाने से संबंधित मामलों के बारे में राय देने के लिये जो कुंजरु समिति नियुक्त की थी, क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस की सिफारिशें क्या हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां योजना

***१११५. श्री बहादुर सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री उन विभिन्न एशियाई, अफ्रीकी तथा राष्ट्र मण्डलीय देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन के विद्यार्थी सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां योजना के आधीन आजकल भारत में शिक्षा संबंधी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २]

केन्द्रीय भवन गवेषणा संस्था

*१११६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई १९५४ में भारत और अमरीका के बीच हस्ताक्षरित संचालन संबंधी (आप्रेशनल) करार के अधीन केन्द्रीय भवन गवेषणा संस्था को अभी तक क्या सामान तथा संभरण प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संचालन संबंधी करार संख्या १३ के अनुपूरक की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिस पर मई १९५४ में हस्ताक्षर हुए थे । आज की तिथि तक उस अनुपूरक में दिया गया कोई भी सामान प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक

*१११७. **श्री वीरेनद्र दत्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और उन्हें फिर से बसाने का काम कौन अधिकारी देखता है;

(ग) क्या १९५१ से १९५३ के काल में भूतपूर्व सैनिकों को कोई सहायता दी गई है, और यदि हां, तो किस रूप में; और

(घ) क्या सरकार की उन में से कोई रक्षित बल बनाने की कोई योजना है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा की सरकार

(ग) जी हां । मार्च १९५१ से मार्च १९५४ के काल में सेना की केन्द्रीय कल्याण निधि में से त्रिपुरा के भूतपूर्व सैनिकों सहित आसाम रेजीमेन्ट के भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने के लिये आसाम रेजीमेन्ट केन्द्र को ३,२७७ रुपये दिये गये थे ?

(घ) जी नहीं ।

काश्मीर में भारतीय सैनिकों का डूबना

*१११९. **श्री अजित सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५४ में काश्मीर में जो डूबने की दुर्घटना हुई थी, जिस के फलस्वरूप भारतीय सेना के कई कर्मचारी मर गये, उस का कारण क्या था;

(ख) क्या कोई पदाधिकारी उस के लिये उत्तरदायी थे; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन थे और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) एक दुर्घटना, जो कि उस समय हुई जब कि कवायत की तौर पर सैनिक रावी नदी को पार कर रहे थे ;

(ख) तथा (ग). उस दुर्घटना के लिये कोई पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं था, परन्तु उन में से कुछ, अग्रेतर पूर्वोपाय कर सकते थे । जांच न्यायालय की कार्यवाही को देखने के बाद ब्रिगेड कमाण्डर को प्रधान सेनापति की कड़ी नाराजगी भेजी गई है, उस यूनिट के आफिसर कमांडिंग को लेफ्टीनेन्ट कर्नल के पद से हटा कर पुनः मेजर कर दिया गया है, और सूबेदार मेजर को सेवा निवृत कर दिया गया है । ब्रिगेड मुख्यालय के कमाण्डर तथा कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है ।

तम्बाकू को उत्पादन कर से छूट

*११२३. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू की उत्पादन कर से मुक्त कर दी गई मात्रा से परिचित कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या प्रादेशिक भाषाओं में कोई पुस्तकाएं वितरित की गई हैं ?

वित उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). तम्बाकू उगाने वाले देहातों में जब केन्द्रीय उत्पादन कर निरीक्षक जाते हैं तब वे सब तम्बाकू उत्पादकों को बता देते हैं कि प्रत्येक उत्पादक अपने निजी उपयोग के लिये कितनी तम्बाकू बिना कर दिये रख सकता है । समय-समय पर अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकाएं भी परिचालित की गई हैं ।

त्रिपुरा के आदिमजातीय विद्यार्थी

*११३०. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में कालेज जाने वाले आदिमजातीय विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कुछ निश्चित वृत्तियां देती है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को इन आदिमजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिये क्या करने का इरादा है ; और

(ग) क्या सरकार इन विद्यार्थियों के लिये वसतीगृहों में प्रतिवर्ष कुछ स्थान सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेंषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की जो योजना है उस में आदिमजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा विषयक आवश्यकताओं पर विचार किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

विदेशी भाषाओं का स्कूल

*११४७ **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक अधिकारियों के लाभ के लिये खोले गए विदेशी भाषाओं के स्कूल पर मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष औसतन कितना व्यय किया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : इस स्कूल पर प्रतिवर्ष लगभग ४७००० रुपये का औसत व्यय होता है । यह स्कूल केवल सैनिक अधिकारियों के लिये ही नहीं अपितु भारत सरकार के असैनिक अधिकारियों के लिये भी खुला है?

ए० एम० सी० अधिकारियों के लिये उच्च शिक्षण

*११४८. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी अभी अध्ययन छुट्टी पर इंगलिस्तान भेजे गये ए० एम० सी० अधिकारी कितने समय तक वहां रहेंगे ; और

(ख) उन पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : क) बारह महीनों से अधिक नहीं; किन्तु इस के साथ साथ बिमारी की छट्टियों को छोड़ कर अन्य छुट्टियां भी जोड़ी जा सकती हैं ।

(ख) लगभग १२०००० रुपये ।

अफीम का तस्कर व्यापार

५४७. **श्री गोहेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वीय सीमान्त एजेन्सी के तिराप सीमा क्षेत्र से अफीम तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त उप मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): जी हां । उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के तिराप सीमा क्षेत्र से अफीम तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये हेलगेट तथा लेडो में आवश्यक कर्मचारी रखे गए हैं ।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्तियां

५४८. **श्री के० सी० जेना :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४-५५ वर्ष के लिये मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्ति बोर्ड को उड़ीसा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन में से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है ;

(ग) क्या इन वृत्तियों का भुगतान हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि छात्रवृत्तियों के भुगतान में विलम्ब होने से वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है जिस के लिये वे दी जाती हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ११३ ।

(ख) १०९ छात्र चुने गये हैं और शेष ४ छात्र अंतिम वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाने के कारण पात्र नहीं हैं। चुने हुए छात्रों में से ७१ छात्रों को जिन के आवेदन-पत्र पूरे थे, वृत्ति दी गयी है । बाकी ३८ छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जायगी । ज्योंही उन के आवेदन-पत्र पूरे हो जायेंगे ।

(ग) जहां संभव है, वहां भुगतान दिया गया है । आवेदन-पत्र ३१ अगस्त, १९५४ तक प्राप्त किये गये थे और इस लिये सभी छात्रों को प्रथम अर्द्धवार्षिक अंश देना संभव नहीं था । अगले महीने तक सभी वृत्तियों का पूरा भुगतान हो जाने की आशा है ।

(घ) छात्रवृत्तियों के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं है । छात्रवृत्ति दिये जाने के समय शिक्षा संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों से प्रार्थना की गयी है कि जब तक छात्रवृत्ति का भुगतान संस्था को न प्राप्त हो जाय तब तक वे चुने गये छात्रों से शिक्षा शुल्क तथा छात्रावास शुल्क लेने के लिये आग्रह न करें ।

इम्फालनगर निधि निर्वाचन

५४९. **श्री रिशांग किशिंग:** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि इम्फाल नगर निधि प्राधिकारियों ने इम्फाल नगर निधि निर्वाचनों के लिये निर्वाचक सूचियां तैयार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में कितने निर्वाचक हैं ;

(घ) निर्वाचन कब होंगे ;

(ङ) निर्वाचन सूची तैयार करने में कितना व्यय हुआ है; और

(च) निर्वाचन कार्य के सम्पादन में कौन से नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायगा ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (च). मनीपुर सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने ही पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय विमान दल स्टेशन चकेरी, कानपुर

५५०. **श्री ए० के० गोपालन**:
श्री वी० पी० नायर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १ जुलाई १९५३ से भारतीय विमान बस स्टेशन चकेरी (कानपुर) में कितने असैनिक शिल्पिक व्यक्ति भर्ती किये गये हैं; और

(ख) कितने व्यक्ति काम दिलाऊ दफ्तर की ओर से नियुक्त किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) १५० ।

(ख) १३३ । शेष १७ स्थानों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर के पास योग्य व्यक्ति नामनिर्देशन के लिये नहीं थे ।

कलकत्ता में ग्रह सम्बन्धी यंत्र

५५१. **श्री एस० एन० दास**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या कलकत्ता में ग्रह सम्बन्धी यंत्र के विषय में कलकत्ता वाणिज्य मण्डल की प्रस्थापना कार्यान्वित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये सरकार ने कितना धन देना स्वीकार किया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रक्षा कारखाने

५५२ **श्री ए० के० गोपालन**:
श्री पुनूस:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में असैनिक उपयोग के लिये प्रत्येक रक्षा कारखाने ने कितना माल तैयार किया है ; और

(ख) क्या इस अवधि में इन कारखानों की उत्पादन शक्ति का पूर्ण उपयोग किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) १९५३-५४ के वर्ष में प्रत्येक आयुद्ध कारखाने में सरकारी असैनिक विभागों तथा अन्य असैनिक ग्राहकों के लिये किये गये काम का मूल्य दिखाने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३]**. किये गये काम का कुल मूल्य १ करोड़ ७५ लाख रुपये होता है ।

(ख) आयुद्ध कारखानों में अतिरिक्त निर्माण शक्ति समय समय पर बदलती रहती है जो सैनिक सेवाओं की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है । अतः इस कारण यह संभव नहीं होगा कि सदा अधिकतम शक्ति का उपयोग किया जाय किन्तु इसी उद्देश्य के लिये सदा प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

असनिक रक्षा स्थापनाएं

५५३. **श्री नम्बियार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १ जुलाई १९५३ से ३० जून १९५४ तक विभिन्न असैनिक रक्षा स्थापनाओं में विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की छंटनी हुई है ;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों को श्रेणियों के अनुसार वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ।

(ग) १९५४ में कुल और कितने लोगों की छंटनी करने की प्रस्थापना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ६९३७ ।

(ख) औद्योगिक कर्मचारी	३१८
अनौद्योगिक कर्मचारी	१२२२
आकस्मिक	३१९
योधाओं के स्थानापन्न नियुक्त	
असैनिक	३७५
	२२३४

(ग) रक्षा स्थापनाओं में जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उन का अनुमान समय-समय पर लगाया जाता है और प्रत्येक स्थापना में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या कार्य-बोझ की स्थिति पर निर्धारित की जाती है । जहां तक संभव हो, छंटनी नहीं की जाती । इस वर्ष कितने कर्मचारियों की छंटनी होगी यह पहले से बताना सम्भव नहीं है ।

अध्यादेश

५५४. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **विधि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९४७ से पूर्व तथा उस के बाद प्रख्यापित कुछ अध्यादेश देश में अब भी लागू हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे अध्यादेश कौन-कौन से हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् । जो अध्यादेश अब भी लागू हैं उन की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ४]**

संघ लोक सेवा आयोग

५५५. श्री एस० सी० सिंघल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री पिछले तीन वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र तथा परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त आय और विभिन्न परीक्षाओं के हेतु लिये गये शुल्क की दरें बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : चुनाव के लिये परीक्षा शुल्कों तथा आवेदन-पत्रों के शुल्कों से प्राप्त आय :—

वर्ष	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
परीक्षायें	६,८१,७४४	५,८५,१४६	८,८३,९५८
चुनाव	१,४३,७२५	१,२७,६४२	१,३२,६०२
योग	८,२५,४६९	७,१२,७८८	१०,१६,५६०

(२) विभिन्न परीक्षाओं के लिय शुल्क की दरें :

परीक्षा का नाम	साधारण उम्मीदवारों से शुल्क	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से शुल्क
	रु०	रु०
भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि परीक्षा	८२-८-०	२०-१०-०
इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा	८२-८-०	२०-१०-०
भारतीय भू-परिमाप	८२-८-०	२०-१०-०
विशेष श्रेणी रेलवे शिशिक्षु	७-८-०	१-१४-०
सैनिक शाखा परीक्षा	३७-८-०	१-६-०

परीक्षा का नाम	साधारण उम्मीदवार से शुल्क	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों से शुल्क
	रू०	रू०
संयुक्त सेवा शाखा परीक्षा	३७-८-०	९-६-०
भारतीय विमान सेना परीक्षा	३७-८-०	९-६-०
भारतीय नौ सेना परीक्षा	३७-८-०	९-६-०
टी० ए०स० "डफरिन" परीक्षा	३७-८-०	९-६-०
स्टेनोग्राफर्स परीक्षा, नवम्बर १९५४	७-८-०	१-१४-०

नोट : उन विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये जो कि आवेदनपत्र शुल्क नहीं दे सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग को अधिकार है कि वह उन मामलों में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद कि अभ्यर्थी एक प्रमाणित विस्थापित व्यक्ति है और निर्धारित फीस देने की स्थिति में नहीं है, निर्धारित फीस को माफ कर दे ।

विशेष पुलिस संस्थापन

५५६. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशेष पुलिस संस्थापन में विविध पदों की भरती के लिये नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार उस नियमावली को पटल पर रखना चाहती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अभी भरती नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता; यों तो उस नियमावली में भरती की कार्यप्रणाली दी जाएगी और विशेष पुलिस संस्थापन में विविध पदों की भरती के लिए अपेक्षित न्युनतम शिक्षा-योग्यताएं भी होंगी ।

(ग) जी नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा ऋण

५५७. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने बम्बई राज्य को कुछ परियोजनाओं के लिये ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर यह ऋण दिया जायेगा; और

(ग) इस सिलसिले में बैंक के विशारदों की क्या रिपोर्ट है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने टाटा वालों की ट्राम्बे ताप-विद्युत् परियोजना तथा बम्बई सरकार की कोयना जल-विद्युत् परियोजना के लिये ऋण रूपी सहायता देने पर विचार करना स्वीकार किया है ।

(ख) बातचीत द्वारा बैंक के साथ इन की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

(ग) रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि ट्राम्बे परियोजना ऋण की सहायता के लिये उपयुक्त तो है किन्तु इस बात के पूर्व कि बैंक इस प्रकार की सहायता पर विचार करे, कोयना परियोजना को और अधिक ऊंचे स्तर की इंजीनियरिंग और प्राविधिक अध्ययन की आवश्यकता होगी ।

मध्य प्रदेश में मैंगनीज़ की खानें

५५८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :**
श्री केलप्पन :

क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में मध्य प्रदेश में मैंगनीज़ की कुल कितनी खानों में काम चल रहा था; और

(ख) उक्त खानों में कुल कितने कामकर काम कर रहे थे; १९५३ और १९५४ में इन में से कितनी खानों में काम बन्द हो गया और उस से कितने कामकरों पर प्रभाव पड़ा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख). प्राप्य जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५].**

संयुक्त पूंजी समवाय

५५९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५० के बाद से कितने संयुक्त पूंजी समवायों का परिसमापन हुआ है ;

(ख) उन की चुकता पूंजी, पूर्वाधिकार अंश, ऋण-पत्र और प्रबन्धकर्ताओं द्वारा दिया गया अंशदान कितना था;

(ग) ऐसे समवायों का व्यापार कितना था; और

(घ) परिसमापन कार्यवाही पर कितना व्यय हुआ; और परिसमापन में कितना समय लगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (घ). माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न रखा था उस में सार्वजनिक लिमिटेड समवायों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी। तदनुसार एकत्र की गई जानकारी संक्षिप्त रूप से इस विवरण में दी हुई है। इसे सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]** निजी लिमिटेड समवायों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का एक विवरण यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बुनाई का प्रशिक्षण

५६०. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में मनीपुर सरकार ने आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों को अपने खर्च पर बुनाई में प्रशिक्षण दिया;

(ख) क्या प्रशिक्षण समाप्त करने पर प्रशिक्षितों को काम पर लगाने की कोई योजना सरकार के पास है;

(ग) यदि हां, तो उन म से कितनों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है;

(घ) सरकार का कितनी देर तक यह प्रशिक्षण जारी रखने का विचार है; और

(ङ) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की गई वस्तुयें किस प्रकार बेची जाती हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क)
१९५२-५३—शून्य।
१९५३-५४—आठ।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) १९५५-५६ तक।

(ङ) लागत मूल्य पर बेची जाती हैं।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

५६१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ के बाद से विभिन्न निदेशालयों के अधीन रक्षा स्थापनाओं में

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदि मजाति के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों के लिये रक्षित प्रतिशतक का पालन नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में एक सैनिक आदेश प्रकाशित हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस का उपचार करने के लिये यदि कोई उपाय किये हैं, तो वे क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) रक्षा स्थापनाओं में असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूरी और आज तक की जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह २,००० से अधिक निम्न कार्यालयों से इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक सैनिकों का सम्बन्ध है उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई रक्षित स्थान नहीं हैं।

(ख) माननीय सदस्य ने जिस सैनिक आदेश का उल्लेख किया है वह सितम्बर, १९५३ में जारी किया गया था, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों का इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि मार्च, १९५२—मार्च, १९५३ की अवधि में नौकरी दफ्तरों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये रक्षित जितनी कुल रिक्तियों की सूचना दी गई थी वे उन के लिये रक्षित अभ्यंश से कम थीं।

(ग) सब निम्न कार्यालयों को हिदायतें दी गई हैं कि असैनिक पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये रिक्तियों के रक्षण के सम्बन्ध में आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

राष्ट्रीय संग्रहालय

५६२. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतवर्ष में सब से बड़ा संग्रहालय कहां पर है;

(ख) उस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है;

(ग) क्या भारतीय कला प्रदर्शनी की वस्तुओं को इस संग्रहालय में रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) सरकार का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में केवल उन्हीं चीज़ों को रखने का विचार है, जो कि उन के स्वामियों द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये उधार दी गई हैं अथवा उपहार में दी गई हैं। कुछ एक को छोड़ कर, अन्य सब चीज़ें उन के स्वामियों को लौटा दी गई हैं।

राज्य सहकारी बैंक

५६३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले चार वर्षों में जिन राज्य सहकारी बैंकों ने भारत के रिज़र्व बैंक से कृषि सम्बन्धी तथा दूसरे ऋण प्राप्त किये हैं उन के नाम;

(ख) उन्हें कितनी धन राशि ऋण के रूप में दी गई; तथा

(ग) प्रति वर्ष कितनी राशि वसूल की गई तथा रिज़र्व बैंक ने क्या ब्याज ली ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण—एक कृषि ऋणों के सम्बन्ध में तथा दूसरा कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के ऋणों के सम्बन्ध में है—सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ठ ७, अनुबन्ध संख्या ७**]

ऐतिहासिक वस्तुएं

५६४. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग ने विभिन्न देशों के किन किन संग्रहालयों को अपने यहां की ऐतिहासिक वस्तुएं भेजी हैं; तथा

(ख) क्या इस काल में अन्य देशों से भी इस प्रकार की वस्तुयें हमारी वस्तुओं के बदले में भारतवर्ष में आई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) (१) पुरातत्व महा निदेशक, ईराक़ ।

(२) राष्ट्रीय म्यूजियम, मलाया

(ख) हां, उपरोक्त उल्लिखित (१) से ।

रूस को शिष्टमंडल

५६५. **श्री खेठालाल जोशी** : क्या **शिक्षा मंत्री** २५ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के शिष्टमंडल के रूस जाने का प्रयोजन; तथा

(ख) उक्त शिष्टमंडल कितने दिन वहां ठहरेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) दोनों देशों के बीच सौजन्यता बढ़ाने के उद्देश्य से मास्को विश्वविद्यालय ने यहां के कुछ विश्वविद्यालयों को कुछ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को रूस भेज कर उस देश के विद्यार्थियों के जीवन तथा गतिविधियों का अध्ययन करने का निमंत्रण दिया था ।

(ख) कोई एक महीने ।

आय-कर कार्यालय, बारीपाड़ा

५६६. **श्री आर० सी० माझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के बारीपाड़ा आयकर कार्यालय को राज्य के किसी अन्य स्थान पर हटाने से वहां की कर देने वाली जनता को बड़ी कठिनाई और असुविधा हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार से भी इस मामले में परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन का विचार क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) और (ख). यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आय-कर कार्यालय को बारीपाड़ा से हटा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) और (घ). यह मामला उड़ीसा सरकार से सम्बन्धित नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

५६७. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा पुनर्गठन तथा पुनर्नियोजन योजना के अधीन प्रत्येक

श्रेणी में कर्मचारियों की वर्तमान अधिकृत संख्या (स्थायी तथा अस्थायी) कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की वर्तमान वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रतिनियुक्ति तथा एवज़ी कर्मचारियों के सहित इस सेवा की विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की अधिकृत स्थायी संख्या निम्नलिखित है :

प्रथम श्रेणी (अवर सचिव)	२२५
द्वितीय श्रेणी (अधीक्षक)	३८६
तृतीय श्रेणी (सहायक अधीक्षक)	५४०
चतुर्थ श्रेणी (सहायक)	२५००

किसी निश्चित तिथि पर विभिन्न श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या उस तिथि पर उस श्रेणी के मंजूर किये गये पदों की संख्या पर निर्भर करती है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये नियमित अस्थायी प्रतिस्थापनायें हैं। इन प्रतिस्थापनाओं की कर्मचारी-संख्याओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जो सूचना सुलभ है, उस के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या निम्नलिखित है :

प्रथम श्रेणी	२७६
द्वितीय श्रेणी	४०४
तृतीय श्रेणी	५४८
चतुर्थ श्रेणी	३,३४१

(ग)

प्रथम श्रेणी	२
द्वितीय श्रेणी	१
तृतीय श्रेणी	२
चतुर्थ श्रेणी	८४

सोमवार,
२० सितम्बर, १९५४

लोक-सभा

वाद विवाद

Chamber F... 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On ...
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज	१९५५–१९५७
पटल पर रखे गये पत्र—	
सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश	१९५७
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण	१९५७–१९५८
भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन .	१९५८
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	१९५८–१९७६
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त	१९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . .	२०५९
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित .	२०५९–२१२४
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त)	२१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—	
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य	२१६७
राज्य-सभा से सन्देश	२१६७–२१६८
मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . .	२१६८–२१६९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . .	२१६९–२२३१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . .	२२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन	२२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११.५२ म० पू०

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान् राज्य सभा से अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, १९५४ के बारे में यह सन्देश मिला है :

"राज्य सभा ने शुक्रवार १७ सितम्बर, १९५४ को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि राज्य सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि अस्पृश्यता के व्यवहार या उससे उत्पन्न किसी निर्योगिता के प्रवर्त्तन के लिये दंड विहित करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो। उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं।"

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, अस्पृश्यता के व्यवहार या उससे उत्पन्न किसी निर्योगिता के प्रवर्तन के लिये दंड विहित करने वाले विधेयक सम्बन्धी सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि राज्य सभा के यह सदस्य संयुक्त समिति में काम करने के लिये नामनिर्देशित किये जायं, : श्रीमती लीलावती मुंशी, श्रीमती वेदवती बुरागोहिन, श्री अल्लुरी सत्यनारायण राजू, डा० एन० एस० हार्डीकर, श्री बी० एन० सुरेन्द्र राम, श्री किशोरी राम, श्री रामप्रसाद टमटा, ठाकुर भानु प्रतापसिंह, श्री त्रयंवक दामोदर पुस्तके, श्री जगन्नाथ दास, श्री नानाभाई भट, काका साहेब कालेलकर, श्री एस० सत्यनारायण, श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री एन० सी० शेखर, श्री नरसिंहराव बालभीमराव देशमुख।"

पटल पर रखा गया पत्र

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम आदेश संख्या १६

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ के

[श्री दातार]

अधीन परिसीमन आयोग भारत, के आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—३४१/५४]**

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्तिथि सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है, जो १५ सितम्बर, १९५४ को सभा में उपस्थित किया गया था।"

कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से पूछा है कि क्या ६० दिन से कम की छुट्टी के लिये आवेदन करना आवश्यक है। मेरी तथा समिति की राय में यह उचित होगा कि माननीय सदस्य शिष्टाचार के नाते ही हमें सूचित कर दिया करें। यदि यह अल्पावधि की छुट्टी जर हो जाती है तो वह और ५९ दिनों तक सभा की अनुमति बिना ही अनुपस्थिति रह सकते हैं। नियम २८७ के अनुसार समिति का कार्य इस प्रकार है :

> "(१) सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिये सदस्यों के सब आवेदन-पत्रों पर विचार करना; तथा
>
> (२) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना जिसमें कोई सदस्य अनुज्ञा के बिना सभा की बैठकों से साठ दिन की या अधिक कालावधि तक अनुपस्थित रहा हो और प्रतिवेदन करना....."

समिति अल्पावधि की छुट्टी की सिफारिश कर सकती है और यह माननीय सदस्य के हित में होगा।

सभा के ध्यान में यह भी लाया गया है कि यदि किसी ऐसे कारण का उल्लेख हो जो अनुचित हो तब ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी तथा समिति इसकी सिफारिश नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है, जो १५ सितम्बर १९५४ को सभा में उपस्थित किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थगन प्रस्ताव

विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज

अध्यक्ष महोदय : मुझे १९ सितम्बर, १९५४ को लाजपत नगर में मकानों के नीलाम के समय विस्थापित व्यक्तियों के ऊपर कथित लाठी चार्ज के बारे में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मंत्री से वास्तविकता जानना चाहता हूं।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैंने समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट पढ़ी है। मैं अभी तक तथ्यों को ज्ञात नहीं कर सका हूं

और मैं कल इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं इसे कल तक के लिये स्थगित करता हूं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब १८ सितम्बर १९५४ को श्री ए० सी० गुहा द्वारा रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

> "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम १९४४, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक के लिये तीन घंटे का समय निश्चित किया गया है। २-३० म० प० इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। उसके पश्चात सभा अन्य विधेयकों पर विचार करेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन—दक्षिण) : मैं बता रहा था कि किन परिस्थितियों में इस आर्डिनेन्स को जारी करना पड़ा। मैंने बतलाया था कि मशीन के काम में आने के बाद बीड़ी का काम करने वाले मजदूरों में हाहाकार मचा तो गवर्नमेंट ने मजदूरों की रोज़ी की रक्षा करने के लिए एक आर्डिनेन्स जारी किया। आप को याद होगा कि इसी संसद के गत अधिवेशन में आनरेबुल मिनिस्टर ने किसी प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में बहुत शीघ्र कार्यवाही करेगी और बीड़ी बनाने वाले मजदूरों को बेरोज़गारी से बचायेगी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गत ११ तारीख की रेशनेलाइज़ेशन की बहस पर ले जाना चाहता हूं। उस दिन आनरेबुल मेम्बर श्री पुन्नूस की तरफ़ से एक प्रस्ताव आया था कि कपड़े के उद्योग में रेशनेलाइज़ेशन न किया जाय। इस बहस का अर्थ यही था कि कपड़े के उद्योग में लगे मज़दूरों की रोज़ी जिसमें न घटे और उनमें बेरोज़गारी न हो इस वास्ते रेशनेलाइज़ेशन का विरोध किया गया था और इस बात के लिये प्रयत्न किया गया कि मिल्स में रेशनेलाइज़ेशन लागू न किया जाय। अजीब परिस्थिति है अगर किसी काटेज इंडस्ट्री को बचाने के लिये मशीन से पैदा की हुई बीड़ी के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाती है तो उसका भी विरोध होता है और कहा जाता है कि बीड़ी सस्ती मिलेगी और इसलिये मशीन से बनी हुई बीड़ी को काम में लाया जाय और उसके लिये आर्डिनेन्स जारी न किया जाय और न कानून बनाया जाय। समझ में नहीं आता कि प्रोग्रेस का क्या मतलब है। एक ओर तो रेशनेलाइज़ेशन का विरोध किया जाता है इस बिना पर कि अनएम्प्लायमेंट होगा, दूसरी ओर अनएम्पलायमेंट को मिटाने के लिये यदि बीड़ी बनाने वाली मशीन के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही की जाय तो उसका विरोध किया जाता है तो कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाय।

दूसरी बात यह है कि बीड़ी के उद्योग में ६ लाख मज़दूर काम करते हैं। एक बीड़ी बनाने वाली मशीन करीब १२ आदमियों का काम कर देती है। अर्थात् यदि मशीन से काम लिया जाय तो सैंकड़े पीछे आठ मज़दूर ही उतना काम कर लेंगे जितना ६ लाख मज़दूर काम करते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अगर इन मशीनों पर ४८ हज़ार मज़दूर काम करें तो अभी हिन्दुस्तान में जितनी बीड़ी बनती है वह बना लेंगे और उस परिस्थिति में साढ़े पांच लाख मज़दूर बेकार हो जायेंगे। फिर यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि इन साढ़े पांच लाख मज़दूरों को कहां और कैसे काम

[पंडित डी० एन० तिवारी]

पर लगाया जाय । तो अब हमें यह देखना है कि इस बीड़ी बनाने वाली मशीन की हम इजाज़त दें या जो ड्यूटी लगायी है उसको हटा लें जिसमें साढ़े पांच लाख मज़दूर बेकार हो जायं । आजकल हमारे देश में अनएम्पलायमेंट दिन बदिन बढ़ती जा रही है । इसलिये यह विचार करने की बात है कि अनएम्पलायमेंट की एक नयी समस्या को खड़ा कर देना कहां तक उचित होगा ।

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि बीड़ी के लिये बाहर मार्केट क्रियेट किया जाय । मैंने कुछ आंकड़े देखने का प्रयत्न किया है । बीड़ी कहीं बाहर नहीं भेजी जाती है । केवल हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में इसकी खपत होती है और कुछ नैपाल में जाती है । गत वर्ष से पाकिस्तान में बीड़ी का जाना बन्द हो गया है क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट उसके मुताबिक नहीं है । तो अब बीड़ी की खपत केवल हिन्दुस्तान और नैपाल में है । दूसरी जगह इसकी कोई मार्केट नहीं है । यह भी सम्भव नहीं है कि मशीन से सस्ती बीड़ी बना कर हम दूसरे देशों को निर्यात कर दें । तब इस बिल का विरोध क्यों किया जाता है । मेरी समझ में माननीय सदस्यों को हर गवर्नमेंट मेज़र का विरोध करना है इसलिये इसका भी विरोध ज़रूरी हो गया । मैं नहीं समझता कि इतने छोटे से बिल पर, जिसको कि पांच, सात, दस मिनट में खत्म किया जा सकता था, इतना अधिक समय क्यों बरबाद किया जाय ।

इस पर दो अमेंडमेंट्स आये हैं । पहला अमेंडमेंट है श्री गुरुपादस्वामी का कि इसको सर्क्युलेशन के लिये भेज दिया जाय । दूसरा अमेंडमेंट है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय । मैं नहीं समझता कि इस बिल को क्यों सर्क्युलेशन के लिय भेजा जाय जबकि हमको सारी बातें मालूम हैं कि कितने मजदूर इसमें काम करते हैं, कितनी बीड़ियां बनती हैं, कितने मज़दूर बेकार हो जायेंगे आदि । यह कोई इतना कम्पलेक्स बिल नहीं है कि जिसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । यदि यह कोई कम्प्लेक्स बिल होता तो सिलेक्ट कमेटी के पास सोच विचार के लिये जाता और वहां से सुधर कर आता । अब आप इसको यहां सुधार सकते हैं । इसको न सिलेक्ट कमेटी में भेजने की ज़रूरत है और न सर्क्युलेशन के लिए भेजने की ज़रूरत है । मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने इस मामले में इतनी जल्दी कदम उठाया और इसके लिये एक आर्डिनेन्स जारी किया । अब हमको इसे कानून का रूप दे देना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : इस विधेयक को विवाद रहित कहा गया है । परन्तु इससे कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध एक बड़े उद्योग से है; जिससे लगभग छः लाख लोगों को काम मिला हुआ है, अतः इससे यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या निकट भविष्य में इन लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा ।

नियोजक कारखाने न बनाते हुए लोगों के घरों पर काम करवा कर किसी न किसी तरह कारखाना विधान से बचने में सफल रहे हैं, और फिर उन्होंने कर्मशालाओं को छोटे-छोटे एककों में बांट रखा है, ताकि उन पर कारखाना विधान लागू न हो । इस प्रकार वे श्रमिकों को कई सुविधाओं से वंचित करके उनका शोषण कर रहे हैं । परिणाम यह है कि बीड़ी बनाने वालों में क्षय रोग बहुत अधिक है और वे केवल २५ रु० से ३५ रु० मासिक तक कमा पाते हैं । न उन्हें कोई सुविधायें प्राप्त हैं और न ही उन पर कारखाना विधान लागू होता है, आय बहुत कम और काम करने का स्थान बहुत अस्वास्थ्यकर होता है । अब कलों से उत्पादन के कारण बेकारी का भय भी हो गया है । इसीलिये

हम यंत्रीकरण के विरुद्ध हैं। यंत्रीकरण केवल तभी अच्छा है जब इस से लोगों को कोई कष्ट न हो।

इस बारे में सरकार की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। वित्त उप-मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी गणना के अनुसार १/१४ रु० लाभ होता है अतः उन्होंने ३ रुपये शुल्क लगा दिया है जिससे लोग यंत्रीकरण नहीं करेंगे।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उन्होंने यह तर्क दिया है कि कलों द्वारा बीड़ियों के उत्पादन पर कम लागत से होने वाला लाभ राज्य को प्राप्त करने के हेतु और साथ ही कलों द्वारा बनाई गई बीड़ियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा के प्रभावों को कम करने के लिये भारत सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण (संशोधन) अध्यादेश नामक अध्यादेश प्रख्यापित किया था।

स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य केवल भावी लाभ में से राज्य का भाग प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि हाथ से काम करने वालों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से भी बचाना है। परन्तु ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं ?

हमारा सिद्धान्त तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इन सब मशीनों पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जो अनगिनत लोगों को बेकार कर देंगी।

हमें तो यह देखना है कि यंत्रीकरण की इस उद्योग के श्रमिकों पर क्या प्रतिक्रिया होगी और हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई बेकारी को रोकने का प्रबन्ध करना है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ कहा है और विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कुछ और ही लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इस से तो प्रतिस्पर्धा को कम करने और राज्य के लिये लाभ का अंश प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसमें लागत कम होने के बारे में भी कहा गया है। मशीन से बनाई जाने वाली बीड़ियों को इस विधेयक से बहुत कम हानि होगी। एक मशीन से आठ घंटे में ८,००० बीड़ियां बनाई जा सकती हैं जो कि साधारणतया १५ श्रमिकों का काम है मशीन को उसका मालिक स्वयं चला सकता है। ८,००० बीड़ियों पर २४ रु० शुल्क देने पर भी उसे पर्याप्त लाभ होगा। १ रु० ८ आ० प्रति हज़ार बीड़ी के हिसाब से २२ रु० ८ आ० तो मजूरी के बचेंगे और २४ रु० वह शुल्क देगा। यह १ रु० ८ आ० की हानि उसमें से पूरी हो जायेगी जो यंत्रीकरण से लागत में कमी होगी। मैं तो प्रस्ताव करता हूं कि शुल्क को बढ़ कर निषेधात्मक स्तर पर लाया जाये। मैंने एक संशोधन की भी पूर्व सूचना दी है कि शुल्क ३ रु० के स्थान पर ८ रु० रखा जाये। मुझे पता चला है कि एक हज़ार बीड़ी का मूल्य ८ रु० है। यदि उत्पादन शुल्क बीड़ी के वर्तमान मूल्य के बराबर लगा दिया जाये तो हाथ से और मशीन से बनाई गई बीड़ी में प्रतिस्पर्धा की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश और मध्य भारत में कार्य करने वाले छः लाख श्रमिकों का बचाव इसी से हो सकता है जो कि बड़ी दुर्दशा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास ढाई बजे तक समय है और हमें चर्चा २ बजे तक समाप्त कर लेनी चाहिये। माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : यह तो माननीय सदस्यों द्वारा कही जाने वाली बातों पर निर्भर करता है। मेरे विचार में मुझ १५ मिनट लगेंगे।

श्री साधन गुप्त : यह तर्क दिये गये हैं कि यंत्रीकरण से श्रमिक बेकार नहीं होंगे। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति का भी उदाहरण दिया गया है। परन्तु हम इस बात पर आग्रह करते हैं कि यदि यंत्रीकरण करना ही है तो

[श्री साधन गुप्त]

उस समय किया जाये जब यह विश्वास हो जाय कि हरेक को जीविका मिलती रहेगी।

दूसरी बात यह है कि जब दिन प्रतिदिन हमारी क्रय शक्ति घटती जा रही है तो यंत्रीकरण द्वारा औद्योगिक क्रान्ति का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

यह तर्क दिया गया है कि सस्ते सिगरेटों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिय यंत्रीकरण आवश्यक है। मेरे विचार में हमें उन सिगरेटों के उत्पादन पर रोक लगा देनी चाहिये बजाय इसके कि यंत्रीकरण करके कई लोगों को बेकार किया जाय। श्री गुरुपादस्वामी ने एक और तर्क दिया है कि मशीनें भी हमारे देश के लोगों ने ही बनाई हैं, इसलिये हमें उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। एक ओर तो कुछ आविष्कारक हैं और दूसरी ओर हमारे देश के छः लाख श्रमिक। ऐसी अवस्था में हमें श्रमिकों के हितों का अधिक ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह मशीन द्वारा बनाई जाने वाली बीड़ी पर शुल्क बढ़ा दे और बीड़ी के लाखों श्रमिकों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करने से बचाये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी उद्योग में काम करने वाले एक लाख श्रमिक रहते हैं, इसलिये मुझे इस बारे में कुछ जानकारी है। यह उद्योग कुछ एक पूंजीपतियों के हाथ में है।

छंटनी प्रणाली के कारण २० या २५ प्रतिशत बीड़ियों के लिये कोई मजूरी नहीं दी जाती और उन्हें छंटनी की बीड़ियां मान लिया जाता है। इससे उत्पादकों और श्रमिकों में काफ़ी दुर्भावना पैदा हो गई है। श्रमिक अधिक मजूरी की मांग कर रहे हैं और उत्पादकों को यह बड़ा कठिन लगता है और वे मजूरी नहीं बढ़ाते परिणाम यह होता है कि देश में बीड़ियां दिन प्रतिदिन घटिया बन रही हैं।

बीड़ियों को सस्ते सिगरेटों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। साढ़े सात रुपये के एक हज़ार सिगरेटों पर केवल एक रुपया उत्पादन शुल्क देना पड़ता है और यहां हम मशीन से बनी बीड़ियों पर ३ रु० शुल्क का सुझाव दे रहे हैं। यह ठीक है कि हमने उन लाखों श्रमिकों का बचाव करना है, परन्तु हमें उनके जीवन स्तर को भी तो उठाना है। सस्ते सिगरेट और सस्ते चुरुटों से बीड़ियों को भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इसकी किस्म घटिया होती जा रही है। हमें एक नियत मान की सस्ती बीड़ियां बनाने का तरीका निकाल कर इसके लिये निर्यात बाज़ार की खोज करनी चाहिये।

निर्यात बाज़ार विस्तृत करने का एक यह भी तरीका है कि मशीन से बनी बीड़ियां निर्यात करने पर शुल्क में कुछ छूट दी जाये। दूसरी बात यह है कि मशीनों से एक दिन में ७५ करोड़ बीड़ियों के उत्पादन की निकट भविष्य में सम्भावना नहीं है। इसके लिये ४०,००० स्वतः चालित बीड़ी की मशीनों और कई दूसरी मशीनों की भी आवश्यकता होगी जो २० या २५ वर्ष में तैयार की जा सकती हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि ये मशीनें चालू करने देना चाहिये। और जहां कहीं केवल श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं द्वारा इन मशीनों का प्रयोग किया जाय उन्हें छूट देनी चाहिये और इस प्रकार एकाधिकार को समाप्त करने का यत्न करना चाहिये। इन यंत्र सम्बन्धी परिवर्तनों से कई सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे।

हम यह नहीं कहते कि हम किसी भी परिस्थिति में हर प्रकार के वैज्ञानिकन के विरुद्ध हैं, परन्तु इस पर हमें अच्छी प्रकार विचार करना चाहिये। बीड़ी उद्योग में सहकारी समितियां संगठित की जा सकती हैं और यदि इन्हें मशीनें प्रयोग में लाने के लिये ऋण आदि की सुविधायें और उत्पादन शुल्क में कुछ छूट दे दी जाये तो ये समितियां बाज़ार से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी और कुछ समय पाकर यह एकाधिकारी उद्योग संगठित सहकारी उद्योग बन जायेगा।

रक्षा मंत्रालय बड़ी मात्रा में बीड़ियां खरीदता है और यदि वह इन समितियों से खरीदने लगे और वह भी उन सहकारी समितियों से जो इन मशीनों का प्रयोग करें तो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की, जिनमें से एक लाख अनुसूचित जातियों के हैं, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था में बड़ा सुधार हो सकता है।

सिगरेट और बीड़ी बनाने में बड़ा अन्तर है, क्योंकि बीड़ी बनाते समय एक एक पत्ता लेना पड़ता है। मेरे विचार से एक मशीन केवल पांच व्यक्तियों का काम करती है। सरकार यह भी कर सकती है कि सरकार बहुत अधिक विकसित मशीनें प्रयोग में न लाने दे और फिर यदि उन्हें निजी काम में लाया जाये तो आप उत्पादन शुल्क बढ़ा दें जैसा कि श्री साध्न गुप्त ने सुझाव दिया है। हमें बीड़ी का निर्यात बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब हम एक निश्चित मान की बीड़ियां तैयार करें। बीड़ी पीने वाले जानते हैं कि इसका स्वाद विशेष प्रकार का होता है और बीड़ी पीने वाला सिगरेट, सिगार अथवा चुरुट से सन्तुष्ट नहीं होता। इससे हम अधिक लोगों को काम भी दिला सकेंगे और सम्भवतः इसकी मांग को भी, जो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बढ़ा सकेंगे।

श्री विमलाप्रसाद चालिहा (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है, क्योंकि सरकार ने इसके द्वारा कुटीर उद्योग की सहायता करने की अपनी निश्चित नीति का प्रदर्शन किया है। देश की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योग के महत्व को मान लिया गया है।

कुटीर उद्योग स्वतः ही विकसित नहीं हो सकते। निस्सन्देह बीड़ी उद्योग के लिए यह एक उपाय है। हमें बीड़ी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की दशा सुधारनी चाहिये और उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाना चाहिये।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किये हैं, जिनमें बेकारी की गम्भीर स्थिति का वर्णन है। १९०१ में ५०·१ प्रतिशत श्रमिकों पर ४९·९ प्रतिशत लोग निर्भर करते थे। १९५१ में ३९·९ प्रतिशत श्रमिकों पर ६०·१ प्रतिशत लोग निर्भर थे। इसी प्रकार की स्थिति कृषि और कृषि से भिन्न क्षेत्र में है। काम की स्थिति के उत्तरोत्तर बिगड़ने के लिए बहुत सीमा तक बड़े उद्योग उत्तरदायी हैं।

इसी प्रकार कपास कातने, धुनने, और बुनने के उद्योग में ६,३०,००० श्रमिकों की कमी हुई है। धान कूटने और छिलका उतारने के उद्योग में १९०१ से ७,००,००० श्रमिकों की कमी हुई है। इसी प्रकार की स्थिति तेल निकालने के उद्योग में है। अतः यद्यपि मैं श्री अशोक मेहता की इस बात से सहमत हूं कि हम यह नहीं कह सकते कि हम कभी वैज्ञानिकन नहीं करेंगे, परन्तु हमें फिर भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी विशेष समय पर हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये।

बीड़ी उद्योग में मशीन का आविष्कार एक भारतीय ने किया है। मुझे उसके साथ पूर्ण सहानभति है। हमारा कर्तव्य है कि इस

[श्री विमलाप्रसाद चालिहा]

देश में जो थोड़े से आविष्कारक हैं हम उन्हें प्रोत्साहित करें । परन्तु हमें आविष्कारों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि मशीन से बेकार हो जाने वाले व्यक्तियों को हम कैसे काम दिला सकते हैं । जब तक हम ऐसा वैकल्पिक प्रबन्ध न कर सकें हमें मशीन को प्रयोग में नहीं लाना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार अन्य संरक्षण योग्य कुटीर उद्योगों के लिए भी ऐसा ही साहस प्रदर्शित करेगी । हम जानते हैं कि अभी बहुत समय तक ग्राम तथा कुटीर उद्योग भारत की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण रहेंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मंत्री महोदय लाये हैं, मैं समझता हूं कि उसमें जो बीड़ी बनाने की मशीन है उसको प्रोत्साहन देने के लिये यह चीज़ है । आज जो बीड़ी बनाने की मशीन है जो कि बीड़ी का व्यापार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में खास कर जहां पर कि क़रीब क़रीब तीन लाख मज़दूर से कम नहीं होंगे, ऐसा मेरा अन्दाज़ा है और खास कर उस क्षेत्र से जहां से मैं खुद आता हूं यानी बिलासपुर ज़िले में काफ़ी तादाद में लोग इस बीड़ी बनाने के धंधे में लगे हुए हैं लेकिन इस धंधे को करने के लिये जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी मोनोपली हर जगह पर है और यदि यह मान लिया जाय कि यह मशीन उनके हाथ में गयी और मशीनों के ज़रिये से उन्होंने काम लिया तो उस बेचारे गरीब मज़दूर की क्या हालत होगी जो दिन भर काम करने के बाद मुश्किल से एक हज़ार बीड़ी नहीं बना पाता है । ये जो हमारे गरीब बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं ये उन बड़े-बड़े लोगों के यहां से पत्ते लेते हैं तम्बाकू लेते हैं। बीड़ी के पत्तों को लेने के बाद ये उनको काटते हैं और काटने के बाद ये उनमें तम्बाकू भरते हैं और इस तरह से बीड़ी बनाते हैं । जिस वक्त बीड़ी बनाने वालों ने अपनी आवाज़ उठायी कि हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिये उस वक्त न बड़-बड़ लोगों के कान पर जिन के पास सारा मध्य प्रदेश का व्यापार है, जूं तक नहीं रेंगी । इसलिये यदि इस चीज़ को आप लाना ही चाहते हैं तो मैंने एक अपनी तरमीम दी है, वह तरमीम तो मैं समझता हूं कि बहुत ही छोटी है यानी तीन रुपये के बजाय साढ़े तीन रुपये कर दिया जाये, मगर खाली यह तरमीम मंजूर कर लेने से हमारा काम नहीं चलने वाला है । हमें तो यह देखना होगा कि यह जो आखिर मध्य प्रदेश में क़रीब-क़रीब तीन लाख से ज्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं, उनकी हालत को हम कैसे सुधार सकते हैं । और उसके लिये मैं आपको सुझाव दूंगा कि एक सहकारिता के सिद्धान्त पर, कोओपरेटिव बेसिस पर उनकी आप संस्थायें बनायें और उन संस्थाओं को ही आप ये बीड़ी बनाने की मशीनें आदि दें, दूसरे मालिकों को न दें ताकि मज़दूरों को इतनी मज़दूरी मिले जिससे वे अपने परिवार की परवरिश कर सकें । मशीन पर आठ घटे काम करने के बाद ये क़रीब-क़रीब आठ हज़ार बीड़ी बना सकेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि एक मजदूर दिन भर काम करने के बाद रात में आठ, नौ बजे तक अपने बच्चे और स्त्री को भी उस काम में लगाने के बाद एक हज़ार बीड़ी मुश्किल से बना सकता है, आप समझ सकते हैं कि ज्यादा मशीनें लगने की हालत में उनका याने बीड़ी बनाने वालों का क्या बनेगा और इस मशीन के लगने से इस कौटज इंडस्ट्री में जो लाखों मज़दूर काम करते हैं उनको जितना फ़ायदा होना चाहिये नहीं मिलेगा । इसलिये मेरी तो राय है कि इस मशीन को कदापि हमें लागू नहीं करना चाहिये । लेकिन अगर आपने लागू ही करना है तो इस तरह से लागू कीजिये कि कोओपरेटिव बेसिस पर मज़दूरों की

प्रतिनिधि संस्थाओं को मशीनें बनवा कर दे दीजिये, उनकी रजिस्ट्री करा लें ताकि वह अपना कुछ काम मशीन से कर सकें। इसलिये मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आप यहां पर जो सिगरेट बनाने की मशीनें हैं और जो कि कागज़ से बनायी जाती हैं और बीड़ी बनाने की मशीनों में काफ़ी फ़र्क है। बात असल यह है कि आप कागज़ के ज़रिये सिगरेट बना लेते हैं, लेकिन बीड़ी बनाने में जो पत्ता काम आता है वह कागज़ जिस तरह से एक लेयर में याने एक पर एक आता जाता है उस तरह से यह पत्ता नहीं आ सकता। कहने की गरज़ यह है कि बीड़ी के उद्योग में जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं वे मशीन से ज्यादा बीड़ी नहीं बना सकेंगे और हाथ से बीड़ी बनाने वालों को तो काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसी परिस्थिति में उनके लिये जो आपने यह ३ रु० हजार का रेट रक्खा है, वह मैं समझता हूं बहुत कम है। इससे उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनकी मध्य प्रदेश में मोनोपली है, दूसरों को कोई फायदा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस पर विचार करें और विचार करने के बाद आप इस प्रकार की स्कीम लायें जिससे जो बीड़ी की काटेज इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनको फायदा हो सके। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० सी० सोधिया। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। प्रायः उनकी यह शिकायत रहती है कि उन्हें बोलने के लिये नहीं कहा जाता, किन्तु जब उन्हें कहा जाता है, तो वह सभा से अनुपस्थित होते हैं।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यद्यपि बीड़ी उद्योग में लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं परन्तु राष्ट्र से इसकी सिफारिश नहीं की जा सकती। यह स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हानिकर है। मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता ने बताया है कि बीड़ी के श्रमिकों में इसकी खपत अधिक होती है। क्योंकि वे स्वयं बीड़ी बनाते हैं इस कारण वे अधिक बीड़ी पीते हैं।

परन्तु जब तक लोगों के नियोजन की अधिक अच्छी व्यवस्था नहीं होती तब तक बीड़ी उद्योग को चलने देना चाहिये।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार को अन्य उद्योगों में भी इस विधेयक के सिद्धान्त को अपनाना चाहिये। मेरा निर्देश हाथ से धान कूटने और तेल निकालने या घानी उद्योग की ओर है। कभी हमारे देश में इन दो उद्योगों में लाखों व्यक्ति नियुक्त थे। ग्रामवासी होने के कारण हम जानते हैं कि एक विधवा हाथ से धान कूट कर दो, तीन बच्चों का पालन कर सकती है। युद्ध के पश्चात् बड़ी-बड़ी मशीनों को प्रोत्साहन दिया गया था। अब जबकि खाद्य स्थिति अच्छी सुगम हो गई है और सब नियंत्रण हटा लिये गये हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह मिल से चावल कूटने और हाथ से धान कूटने के उद्योग में इस सिद्धान्त को लागू करें। इससे हमारे लाखों देशवासियों को काम मिल जायेगा और उन्हें जीविकोपार्जन का साधन मिल जायेगा।

तेल निकालने के उद्योग में युद्ध के पश्चात् घानियों की संख्या में बहुत कमी हो गयी है। इसके अतिरिक्त तेल निकालने का उद्योग स्वास्थ्यप्रद है और घानियों द्वारा खाने के लिए अधिक अच्छा तेल निकलता है। इस सम्बन्ध में हमने कई बार सुझाव दिये हैं, परन्तु सरकार ने सक्रिय कार्यवाही नहीं की, जिससे यह उद्योग कुटीर उद्योग के स्तर पर पुनर्जीवित नहीं हो सका।

अब उपयुक्त समय है जबकि सरकार को चाहिये कि इन उद्योगों को पुनर्जीवित

[श्री बर्मन]

करना चाहिये ताकि बहुत से लोगों को काम मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा—मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम १९४४ में संशोधन के द्वारा हाथ से बनी बीड़ियों की मशीन से बनी बीड़ियों से रक्षा करने के उद्देश्य से मशीन से बनी बीड़ियों पर ३ रु० प्रति हजार उत्पादन शुल्क लगाने वाला जो विधेयक इस सभा के सामने रखा गया है वह यद्यपि एक मामूली सा विधेयक मालूम होता है, लेकिन वह राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करता है। इस सभा ने कई दिन ए नवीकरण अर्थात् रेश्नलाइजेशन और माडर्नाइजेशन के सम्बन्ध में विचार किया था और उस संकल्प पर विचार करते हुए इस सभा के बहुत से सदस्यों ने विभिन्न विचार प्रकट किये थे। दूसरे मौकों पर भी जो सरकार की तरफ से कुटीरोद्योग के सम्बन्ध में नीति की घोषणा की जाती है, या की गई है, उससे स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार का भी दिमाग जिस प्रकार से इस सम्बन्ध में साफ होना चाहिये, वह अभी तक नहीं हो पाया है, यद्यपि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इधर एक या दो वर्षों से सरकार की नीति कुछ साफ जरूर होती जा रही है।

यह जो विधेयक है वह कल के जरिये चलने वाले जो उद्योग हैं उनके सम्बन्ध में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करता है। बीड़ी का उद्योग असंगठित है, लेकिन और भी बहुत से उद्योग हैं जो इसी तरह से असंगठित हैं। सरकार ने इस बिल के सम्बन्ध में साहस के साथ कदम उठाया है। स्वराज्य होने के उपरान्त हम लोग समझते थे कि गांधी जी की विचारधारा के अनसार चलने वाली कांग्रेस का शासन जब देश में आयेगा तो हिन्दुस्तान की वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखते हुए वह अपनी औद्योगिक नीति को निर्धारित करेगी। लेकिन बहुत दिनों तक विचार की दुविधा में पड़े रहने के कारण सरकार ने इस तरफ अपनी नीति को स्पष्ट नहीं किया। फिर भी इस बिल को रखते हुए हमारे उप-वित्त मंत्री जी ने जिस नीति को अपनाया है, मैं उनको उसके लिये बधाई देता हूं।

अभी हमारी समाजवादी पार्टी के नेता श्री अशोक मेहता ने यह कहा कि इस उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं उनके काम की जो दशा है वह बहुत खराब है और उनके परिश्रम का शोषण होता है। हिन्दुस्तान में जो आज हमारी अर्थप्रणाली है उसके बारे में कोई दो विचार नहीं हैं कि उसमें बहुत अंशों तक शोषण होता है। जो काम करने वाले लोग हैं उनके परिश्रम का फायदा उठाने वाले दूसरे लोग हैं। यह बात सिर्फ इस उद्योग के सम्बन्ध में ही नहीं है। दूसरे भी जितने उद्योग यहां चल रहे हैं चाहे वे छोटे हों या बड़े उन सब में शोषण बहुत हो रहा है। इसलिए शोषण का सवाल इस विधेयक पर विचार करते हुए उठता जरूर है लेकिन यह समीचीन नहीं है। हमने विधान में यह तै किया है कि हम हिन्दुस्तान के सभी योग्य शरीर वाले लोगों को निर्वाह योग्य काम देंगे। हम यह जानते हैं कि अभी भी हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, देहात में और शहरों में भी, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता और चूंकि उनको काम नहीं मिलता इसलिए उन को पूरा भोजन भी नहीं मिलता, जीवनस्तर उठाना तो एक बड़ी बात है। हिन्दुस्तान में तो भोजन और कपड़े का एक जरूरी विषय है, वह हम दें। वह हम

तभी दे सकते हैं जब हम काम दें। लेकिन हम अपने देश के उद्योगों में बिना किसी बात का विचार किये हुये पश्चिम की नकल करने में लगे हैं और यह सोचते हैं कि कलों के व्यवहार से उत्पादन करने वाले की उत्पादन शक्ति बढ़े, क्योंकि अगर उसकी उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ेगी तो उसकी मजदूरी नहीं बढ़ेगी और जब मजदूरी ऊंची नहीं होगी तो उसका जीवन-स्तर कैसे बढ़ेगा। हमने विधान में इस बात को माना है कि हम अपने यहां की जनता का जीवन-स्तर उठायेंगे। लेकिन इसके लिए हमको देखना होगा कि कलों के व्यवहार से उत्पादन बढ़ा कर हम कितने लोगों का जीवन-स्तर बढ़ा सकते हैं हम तो देश के सारे काम करने वालों के जीवन-स्तर को उठाना चाहते हैं केवल संगठित उद्योगों में काम करने वालों का ही नहीं।

यह जो विधेयक वित्त मंत्री ने हमारे सामने रखा है इसके लिए हमारे माननीय सदस्य श्री बर्मन ने कहा है कि यदि इसी तरह हिम्मत के साथ सरकार दूसरे ग्रामोद्योगों के लिए भी कार्यवाही करे तो इस देश का बहुत कल्याण हो सकता है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, जब इस सभा में घानी का चावल कूटने की मशीन का प्रश्न आया तो उसके सम्बन्ध में सरकार ने जांच करने के लिए एक कमेटी बिठा दी। यह कमेटी बिठाने की जो आदत है यह इस सरकार की बहुत पुरानी आदत है और यह एक भद्दी आदत है। जो बात हम स्पष्ट देखते हैं, लेकिन उसके सम्बन्ध में अगर सरकार को कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती तो वह कमेटी बिठा देती है। मैं समझता हूं कि यह पुरानी सरकार की आदत थी और अब इस लोकप्रिय सरकार को यह आदत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस संसद् में और बाहर हम अखबारों में बहुत ज़ोर देते हैं कि हिन्दुस्तान की खास परिस्थितियों में हमको कल कारखानों का उपयोग बहुत धीमे और योजनापूर्वक करना चाहिए और इसका उपयोग करने में बड़ी सावधानी की जरूरत है, तो भी सरकार की नजर निहित-स्वार्थों की ओर जाती है और जो कदम उनको उठाना चाहिए उसको वे बहुत धीमे तौर से उठाते हैं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि इस बिल में सरकार ने जिस सिद्धान्त को अपनाया है वह बहुत अच्छा सिद्धान्त है।

यदि हम चाहते हैं कि काम करने वाले की उत्पादन शक्ति बढ़े, तो वह उस समय तक नहीं बढ़ सकती जब तक हम परिश्रम को बचाने वाली कल का प्रयोग न करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना है कि कोई भी नीति हो या कोई रास्ता हो उसका उपयोग किसी देश की परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। हिन्दुस्तान की परिस्थिति यह है कि यहां पर हमने जो विधान बनाया है उसमें हमने यह वायदा किया है कि हम हर आदमी को काम देंगे लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि वह तमाम लोगों को काम दे। मैं बाढ़ के इलाके से आता हूं। वहां पर बहुत सा अनाज भी बांटा जा रहा है और जगह-जगह से लोगों ने बहुत उदारतापूर्वक कपड़ा आदि भेजा है वह भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब गलत चीज़ है। यह इस राज्य के लिए बहुत लज्जा की बात है कि बाहर वाले हमारे लिए हमें सहायता दें, हम उनसे अनाज मांगें और दुनियां भर में इस बात का ढिंढोरा पीटें कि हिन्दुस्तान में गरीब लोग बहुत तबाह हैं। इस लोकप्रिय सरकार के लिए यह लज्जा की बात है कि हम बाढ़ पीड़ित लोगों के वास्ते कामों की व्यवस्था नहीं कर सकते और उन्हें सहायता देने के लिए दूसरे देशों का दिया हुआ अनाज, कपड़ा और डब्बों का दूध स्वीकार करते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के हेतु कोई अपील नहीं की गई।

श्री एस० एन० दास : अपील न सही पर हम आदर के साथ उन चीज़ों को ग्रहण तो करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रहण करना भी ठीक नहीं है। हम अपने देश के गरीबों को आपत्ति के समय तो क्या साधारण समय में भी खाना कपड़ा नहीं दे पाते हैं। यह हमारे और सरकार के लिए लज्जा का ही विषय हो सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : यह तो केवल अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का ढंग है।

श्री एन० ए० बोरकर (भंडारा) : सभापति जी, इस सभा में जो भाषण हुए उन में मेरे साथी श्री अशोक मेहता ने कहा कि वे बीड़ी बनाने वालों की कांस्टीट्यूएंसी से आते हैं। लेकिन वे तो केवल वहां से चुन कर आये हैं, पर मैं तो उसी कांस्टीट्यएंसी में पैदा हुआ हूं और मैंने दस बरस तक बीड़ी का काम भी किया है। इसलिए मैंने जो बीड़ी बनाने वालों के दुःख दर्द को देखा है वह मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि यहां मशीन से काम करने का श्री अशोक मेहता ने समर्थन किया। वह कहते हैं कि यह काम मोनोपली वालों के हाथ में पड़ गया है। यह ठीक है कि इस काम में मोनोपली हो गई है। वे मध्यप्रदेश में काफी काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इन बड़े आदमियों ने लड़ाई के ज़माने में बहुत पैसा पैदा किया है और वे मशीनें खरीद कर उनसे काम लेंगे और मजदूर पीसे जायेंगे। आजकल हमारे देश में बेकारी फैल रही है। इस बीड़ी की मशीन के कारण बम्बई में और दूसरी जगह बेकारी फैल रही है और आर्डिनेंस लाने के बाद भी मध्यप्रदेश में और बम्बई में मजदूरों में बेकारी फैल रही है। बड़े लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से और अच्छी मशीन बनावें और ज्यादा मुनाफा कमायें। वे लोग इसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। यहां जो श्री अशोक मेहता ने कहा कि यह मशीन केवल पांच आदमियों का काम करेगी तो यह बात नहीं है। यह कहना बिल्कुल गलत है। मैं आपके सामने साफ-साफ फार्मूला रखना चाहता हूं। एक मजदूर हाथ से एक घंटे में १२५ बीड़ी बनाता है और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि मशीन १५०० बनाती है। आप बीड़ी एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देखें और बम्बई की और मध्यप्रदेश की कमेटी की रिपोर्ट देखें। दोनों कमेटियों ने जांच करके बताया है कि मशीन से एक घंटे में १०,००० बीड़ी बनती हैं। और एक आदमी एक घंटे में १२५ बीड़ी बनाता है। जब यह हालत है तो आप हिसाब लगा लीजिये कि मशीन लगाने से कितने आदमी बेकार हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार के जो आंकड़े हैं कि इससे ६५ परसेंट आदमी बेकार होंगे यह सही नहीं है। मैं कहता हूं कि ९६ परसेंट आदमी बेकार हो जायेंगे। आज वैसे ही बेकारी बढ़ रही है। अगर इन मजदूरों में और बेकारी पैदा हो जायगी तो इस समस्या को हल करना मुश्किल हो जायगा।

दूसरा सवाल यह है। आपने देखा होगा कि बुनकरों को बेकारी से बचाने के लिए हम तरह-तरह की योजनायें बना रहे हैं और फिर भी उनकी दशा में सुधार नहीं हो रहा है और उनकी बेकारी की समस्या हल नहीं हो रही है। तो आज यह हालत है कि हम उनकी बेकारी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अगर इस क्षेत्र में नयी बेकारी की समस्या पैदा हो जायगी तो उसको हल करना कितना कठिन हो जायगा। बुनकरों की बेकारी दूर करने के लिए आपने मिल के कपड़े पर टैक्स लगाया है। बीड़ी के मामले में आपको बेरोजगारी को बचाने का सवाल तै करना है। इस मशीन से उनमें बेरोजगारी

पैदा हो जायगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि यह मशीन बुरी है और यह न आवे। यह मशीन का जो काम है वह एकदम बंद हो जाय । आपने देखा होगा कि एक मज़दूर यदि बीड़ी बनाता है तो उसकी बीबी बच्चे भी घरेलू तौर से उस काम में हाथ बंटाते हैं, वे भी उस उद्योग में थोड़ा बहुत काम करते हैं और मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब होता है कि वह सरकार जो घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है और गरीब लोगों का स्तर ऊपर उठाने के हेतु बड़ी लम्बी-लम्बी बातें करती है, वह मशीन लगाने की बात करती है और एक्साइज़ ड्यूटी सिर्फ़ तीन रुपये प्रति हज़ार बीड़ी पर लगायी गई है जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है और ज्यादा लगायी जानी चाहिये । मैं आपको अभी बतलाऊंगा एक बीड़ी वाले को एक हज़ार बीड़ी के ऊपर कितना मुनाफ़ा मिलता है । मैं स्वयं एक बीड़ी बनाने वाला हूं और अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि लेबर चार्ज़ेज के तौर पर मज़दूरों को एक रुपया दो आने देना पड़ता है और तम्बाकू और पत्ते पर सात आने खर्च आता है और उसके लेबिल और ट्रांसपोर्ट आदि पर एक आना आता है जिसका मतलब यह हुआ कि एक हज़ार बीड़ी तैयार करने में कुल लागत एक रुपया दस आने आती है, जबकि उसकी सेलिंग प्राइस चार रुपये दस आने होती है, तो इस तरह आप देखेंगे कि उनको तीन पये प्रति हज़ार मुनाफ़ा मिलता है, अब आप समझ सकते हैं कि जब एक आदमी के बीड़ी बनाने पर तीन रुपये मुनाफ़ा निकलता है तो एक घंटे में जब दस हज़ार बीड़ियां बनेंगी तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना नफ़ा बढ़ जायगा और यह जो आपने तीन रुपये रक्खा है मैं समझता हूं कि ये जो पूंजीपति लोग हैं और जिन्होंने पैसा कमाया है उन लोगों को सहायता देने के लिये आपने जान कर तीन पये रक्खा है, मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा किया जाय, दस रुपये तक इसको बढ़ाया जाय और आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह जो मशीन रूपी छुरी हमारे गरीब मज़दूरों के गले पर चलने जा रही है वह बेचारे उससे बच जायेंगे ।

दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई फ़र्क नहीं बताया है कि मशीन से बनायी गयी और हाथ से बनी बीड़ी में यह फ़र्क रहेगा । मेरी समझ में फ़र्क रहना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यह बीड़ी के बनाने वाले बड़े-बड़े लोग बहुत चालाक हैं और एक्साइज़ ड्यूटी से बचने के लिये वे अपने कारखानों में मशीन भी लगायेंगे और साथ में कुछ हाथ से बीड़ी बनाने वाले भी रक्खेंगे और चूंकि आपने कोई फ़र्क नहीं रक्खा है इसलिये ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिये और आपकी एक्साइज़ ड्यूटी से अपने को बचाने के लिये मशीन से बनी हुई बीड़ी को हाथ से बनायी गयी बीड़ी बतायेंगे । इसलिये यह बहुत ज़रूरी है कि बीड़ी मालिकों को ऐसी चालाकी करने का अवसर न दिया जाय और हाथ से बनी बीड़ी और मशीन से तैयार की गयी बीड़ी में कोई फ़र्क ज़रूर रखना चाहिये जिससे साफ-साफ़ मालूम हो सके कि यह हाथ की बनी है या मशीन से तैयार की गयी है । मैं आपको कहां तक उनकी चालाकी बतलाऊं । मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट में बीड़ी मज़दूरों की मजदूरी अरबन एरिया में एक रुपया दो आने रक्खी गयी और रूरल में दो आने कम फ़िक्स की गयी थी तो बीड़ी मालिकों ने ये दो आने बचाने के लिये अरबन एरिया में उनकी जितनी बीड़ी फैक्टरीज़ थीं उनको बन्द करके देहात में पहुंचा दिया गया । तो जहां ऐसी हालत हो वहां मशीन से बनी बीड़ी और हाथ से बनी बीड़ी में फर्क रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो बीड़ी मालिक चालबाज़ी करने से बाज़ नहीं आयेंगे । मेरा इस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव है कि एक

[श्री एन० ए० बोरकर]

सैपरेट एक्साइज़ कमिश्नर, एक डिपार्टमेंट बीड़ी के लिये अलग बनाया जाय और उनके रीजनल आफ़िसेज़ हर जगह खोले जायं और इसपेक्टर मुक़र्रर किये जायं जो कि बीड़ी वालों पर नज़र रक्खें कि वे कोई गड़बड़ या चालबाज़ी तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये बीड़ी मालिक और क्या करते हैं। श्री अशोक मेहता ने अभी बतलाया कि केवल बीस, पच्चीस परसेंट बीड़ी को मालिक लोग बेकार ठहरा देते हैं और जिसकी मज़दूरी मज़दूरों को नहीं मिलती है लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि क़रीब आधी या तीन चौथाई बीड़ी बेकार कर दी जाती है और जिसका नतीजा यह होता है कि उस बेचारे गरीब मज़दूर की सब मज़दूरी पानी में चली जाती है। बीड़ी मालिक उस बेकार की हुई बीड़ी को फेंकता नहीं है, काट कर फेंकता नहीं है बल्कि उसको भी बेचता है और मुनाफ़ा कमाता है और हम देखते हैं कि ऐसी बेकार जाने वाली बीड़ी पर मुनाफ़ा लेकर गोंदिया (मध्य प्रदेश) में एक बिल्डिंग खड़ी की गयी है जिसका नाम बीड़ी छांटन बिल्डिंग रक्खा गया है और आज भी हमारे इस आज़ाद हिन्दुस्तान में इस तरह के पैसे से बनायी हुई बिल्डिंग अपना सिर ऊंचा किये हुए खड़ी है और इसलिये मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि वे पूरी सतर्कता से काम ले ताकि बीड़ी मालिकों को गड़बड़ी करने का मौक़ा न मिले और इसी हेतु मैंने सुझाव दिया है कि एक एक्साइज़ कमिश्नर मुक़र्रर किया जाय, अलग रीजनल आफ़िसेज़ और इंसपेक्टर्स हों ताकि वे इस उद्योग की ठीक से देखभाल करें और जिससे मज़दूरों का हित सुरक्षित रह सके। मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने कौटेज इंडस्ट्रीज़ के नाम पर बीड़ी उद्योग को बचाने के लिये कोओपरेटिव बेसिस पर इसे चलाने की सलाह दी है लेकिन यहां भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीड़ी के ये पूंजीपति लोग नहीं चाहते कि यह मार्केट उनके हाथ से निकल कर किसी कोओपरेटिव सोसाइटी के पास चला जाय और वे नहीं चाहते कि जो मक्खन और मलाई उन्हें मिलता है वह किसी दूसरे को मिले। आज पूरा बीड़ी मार्केट उनके कब्ज़े में है और मैं श्री अशोक मेहता से पूछना चाहता हूं कि अगर हमने कोओपरेटिव बेसिस पर बीड़ी बनाई भी तो अगर उसके लिये मार्केट न रहे तो उसको बेचेंगे कहां? उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपको अपना अनुभव बतलाता हूं। हमने एक्सपेरीमेंट के तौर पर कोओपरेटिव बेसिस पर बीड़ी बनाई, काफ़ी खबसूरत थी लेकिन कम्पिटीशन में वह नहीं आ सकी क्योंकि कुछ चन्द आदमी मार्केट कैप्चर किये हुए हैं, मार्केट के अन्दर मोनोपली उनकी है, कोई नया आदमी बाज़ार में घुसने नहीं देते और उनके रहते कोई नया आदमी उस ट्रेड में पनप नहीं सकता। मध्य प्रदेश में मैं आपको बतलाऊं कि जहां पर इस बीड़ी बनाने की मशीन का उपयोग भी नहीं किया गया, तो भी क़रीब पचास हज़ार मज़दूर बेकार हैं और हमें उनकी तरफ़ ध्यान देना चाहिये और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि उनको रोज़गार मिल सके और यदि आप वास्तव में कौटेज इंडस्ट्री घरेलू काम को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो ये तीन रुपये जो आप एक्साइज़ ड्यूटी लगाना चाहते हैं यह बहुत कम है इसको बढ़ा कर दस रुपये कीजिये। एक घंटे में वहां मशीन की सहायता से दस हज़ार बीड़ियां तैयार हो सकेंगी। यह ड्यटी जो है यह ज्यादा की जाय, दस रुपये तक बढ़ायी जाय ताकि मज़दूरों की जो बेकारी की समस्या है उसकी हम रोकथाम कर सकें। बेकारी को रोकने के लिये सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाने को सदैव तैयार रहना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बीड़ी मजदूरों की जो हालत है उसको दुरुस्त करने के लिये सरकार को विशेष कदम उठाना है और प्रयत्न करना है और सरकार के केवल एक दो बीड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट्स से सलाह लेने से काम नहीं चलेगा। मैं सरकार को बतलाऊं कि हालांकि आपने फैक्टरी ऐक्ट लागू किया हुआ है लेकिन बीड़ी मालिक उसमें भी चालाकी से अपने को बचा ले जाते हैं। अगर मालिक लोग यह बतला दें कि उनके पास बीस मजदूर काम करते हैं तो वह फ़ैक्टरी ऐक्ट के अन्दर आ जाते हैं और इसलिये वे उससे अपने को बचाने के लिये केवल सतरह आदमी के नाम लिखा देते हैं, इसलिये आपको इस ओर ध्यान देना है ताकि ये लोग इस तरह गड़बड़ न कर सकें। अन्त में मैं और अधिक न कह कर सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर सरकार सहानुभूति से विचार करेगी और उनको मंजूर करेगी ताकि हमारे देश के छै लाख बीड़ी मजदूर अपनी ज़िन्दगी अमन व चैन से बिता सकें और बेकारी का संकट उन पर न आये।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका एक मत से समर्थन किया गया है और मैं आश्चर्यचकित हूं कि श्री अशोक मेहता ने एक भिन्न बात कैसे कही है। मैं जानता हूं कि सरकार के पास ऐसी मशीन पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति नहीं है जिसका आविष्कार इस देश में ही किया गया हो। इस कारण सरकार को मशीन से बनी बीड़ियों पर कर लगाने का ढंग अपनाना पड़ा है।

मैं विधेयक में निहित सिद्धान्त के कारण इसका स्वागत करता हूं। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या बहुत है और लोगों के लिए काम नहीं है, इस सिद्धान्त में श्रमिकों की जीत हुई है मैं समझता हूं कि एशिया के प्रत्येक अधिक जनसंख्या वाले देश को इस सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिये।

श्री अशोक मेहता ने बहुत रोचक तर्क दिया था कि हमें बाज़ार का विस्तार करना चाहिये। यह आन्तरिक या वैदेशिक हो सकता है। आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय बीड़ी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, अतः विदेशी बाज़ार तो बन्द हो गये हैं। मुझे एक बीड़ी बेचने वाले ने बताया था कि श्रमिकों की मजूरी बढ़ जाने से भी बीड़ियों की बिक्री में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर श्रमिक सस्ते सिगरेट पीने लगेंगे।

यह रुचि का प्रश्न नहीं है, यह तो फैशन का प्रश्न है। अतः बीड़ियों का बाजार बहुत सीमित है।

यदि बीड़ियों की खपत इतनी ही हो जितनी कि हो रही है, तो मशीन का प्रयोग करने से श्रमिकों का केवल आठवां भाग रह जायगा और शेष बेकार हो जायेंगे।

मैं बता चुका हूं कि बाज़ार का विस्तार नहीं हो सकता अतः सहकारी विपणन की धोखा-धड़ी लायी गयी थी। यदि इसे आज आरम्भ करें तो इसे पूरा करने में पांच, छः वर्ष लग जायेंगे और इस बीच में इस उद्योग का पूर्णतया वैज्ञानिकन हो जायेगा। इसका अभिप्राय यह है कि सब श्रमिकों को निकाल दिया जायेगा।

यह आपातकाल था अब अचानक मशीन बन गई है और श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता है। हमारे लिए यह कहना पर्याप्त नहीं कि हम पांच वर्ष पश्चात् सहकारी विपणन संगठित करेंगे।

बाजार विस्तार की बात औपनिवेशि अनुभव के आधार पर सोची जा रही है। अब साम्राज्य के उपनिवेश नहीं रहे। सभी देश स्वतन्त्र हो रहे हैं और

[श्री के० पी० त्रिपाठी]]

विपणन भुगतान संतुलन के आधार पर चलाया जाता है, अर्थात् यदि मैं आपसे १०० पये का माल खरीदता हूं, तो आप भी मुझ से १०० रुपये का माल खरीदते हैं। गत बागान समिति सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि प्रत्येक देश को ध्यान रखना चाहिये कि वह एक ही वस्तु के निर्यात पर निर्भर नहीं रह सकता। अतः भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि वैज्ञानिकन पर सदा के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। यह प्रतिबन्ध विशेष परिस्थितियों में लगाना पड़ता है। १९४१ से १९५१ तक की कालावधि में ३ प्रतिशत आत्मनिर्भर जन-संख्या दूसरों की आश्रित बन गई है।

अतएव बेकारी अधिकाधिक बढ़ रही है। इसलिए हमें अपनी राष्ट्रीय नीति नियोजन की समस्या के आधार पर बनानी चाहिये। तत्पश्चात् हम मजूरी बढ़ाने की समस्या को ले सकते हैं।

मैंने कुटीर उद्योगों की सूची देखी है। उससे पता चलता है कि सारे कुटीर उद्योग क्षेत्र में या तो प्रत्येक श्रमिक की वार्षिक आय कम हो गई है या उनकी संख्या कम हो गई है। अतएव क्रय शक्ति निरन्तर घट रही है।

देश के समक्ष दो समस्यायें हैं, एक तो यह कि ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों की क्रय शक्ति को कैसे बढ़ाया जाये और दूसरी नियोजन स्थिति को कैसे सुधारा जाये।

सरकार ने देश के संसाधनों के वैज्ञानिकन की बजाय नये उद्योग खोलने का निश्चय किया था। गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए ३०० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। यदि इस राशि को नये उद्योग खोलने में लगाया जाये तो उससे लोगों को काम मिल सकेगा अन्यथा वैज्ञानिकन द्वारा बेकारी बढ़ेगी।

श्री गुरुपादस्वामी ने कहा है कि वस्त्र उद्योग में वैज्ञानिकन से रोज़गार में वृद्धि हुई है। मैं देखता हूं कि १९३९ में ३८९ मिलों में ४,४१,००० श्रमिक थे किन्तु १९५२ में ४४५ मिलों में ४,२५,००० श्रमिक रह गये हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वैज्ञानिकन से बेकारी बढ़ती है।

मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि सब उपलब्ध संसाधनों को उत्पादन और रोज़गार की वृद्धि में लगा देना चाहिये और पांच छः या दस वर्ष में जब समय में परिवर्तन हो जाये, तो हम वैज्ञानिकन कर सकते हैं।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : श्रीमान्, माननीय मंत्री ने इस विधेयक को अत्यन्त सरल बताया है। मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु क्योंकि यह पहले से ही विचार कर लिया गया है कि बीड़ी-श्रमिकों में काफ़ी बेरोजगारी फैल जायेगी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के अध्यादेश के जारी करने में इतनी शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता थी। क्या इसके लिये कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी ? माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि यन्त्रीकरण प्रयोगात्मक स्थिति में है और जितनी बीड़ी एक मशीन से तैयार होती है, उतनी खपत नहीं होती और वे यह बताने में असमर्थ हैं कि इस उद्योग के यन्त्रीकरण से कितने श्रमिक बेकार हो जायेंगे। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस उद्योग के यन्त्रीकरण के गुणों व दोषों पर विचार करने के लिये विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि श्रमिकों का लाखों की संख्या में बेरोजगार होना ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत हूं परन्तु मैं इसका विवेचन दूसरे

दृष्टिकोण से करता हूं। बीड़ी के उद्योग पर भारत का एकाधिकार है। अब प्रश्न यह है कि इस उद्योग का संरक्षण किया जाये और इसका इस देश में तथा विदेशों में खूब व्यापार बढ़ाया जाये अथवा इसका प्रयोग, जो कि बहुत से लोगों की दृष्टि में अवगुण है, पूर्णतया रोका जाये।

माननीय मंत्री ने बताया है कि एक हजार बीड़ियों के बनाने की लागत केवल १ रु० १४ आ० होती है। सरकार ने प्रति हजार बीड़ी पर ३ रु० का शुल्क लगाने का विचार किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतना ऊंचा शुल्क लगाने तथा मशीन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार के पास कौनसी युक्तिसंगत दलील है। श्री अशोक मेहता ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में बड़े शान्त चित्त से विचार किया है। उनका कहना है कि संरक्षणात्मक करारोपण प्रतिशोधात्मक करारोपण से कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होता। इस मशीन के आविष्कर्त्ता के विचार भी इस सम्बन्ध में काफी यक्तिसंगत प्रतीत होते हैं। एक विज्ञप्ति में उसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं.....

> "योरोपीय देशों में बीड़ी की मांग से गत वर्ष भारत को लगभग १ करोड़ का लाभ हुआ। बीड़ी उद्योग के यन्त्रीकरण से उनमें सुधार होगा और विदेशों में उसकी मांग बढ़ेगी।"

यदि हमको विदेशों में बीड़ी के व्यापार को बढ़ाना है तो इस उद्योग का यन्त्रीकरण आवश्यक है। कुटीर उद्योग के उत्पादकों को इसके प्रभाव से बचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दृष्टिकोण से विचार किया है अथवा नहीं। दूसरी बात यह कही गई है कि इस उद्योग में ६ लाख व्यक्ति लगे हुये हैं। माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों का जो ब्यौरा उपस्थित किया उसके अनुसार त्रावनकोर-कोचीन में बीड़ी श्रमिक अधिक मात्रा में नहीं हैं। परन्तु यह आंकड़े सही नहीं हैं। मुझे मालूम है कि केवल त्रावनकोर-कोचीन में ही १ लाख से अधिक बीड़ी श्रमिक हैं। जैसा कि बताया गया है कि बहुत से मध्यम वर्ग के व्यक्ति इन बीड़ी श्रमिकों को काम में लगाये हुये हैं और काफी लाभ उठाते हैं। क्या सरकार ने कभी इस दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार किया है कि मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की लाभ की मात्रा यथासम्भव कम हो जाये और श्रमिकों को ही लाभ का अधिकांश भाग मिले। इसके अतिरिक्त मैं एक बात सरकार से और पूछना चाहता हूं कि क्या उसने उस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है जो कि उसने १९४४ में बीड़ी सिगार, तथा सिगरेट के उद्योगों से सम्बन्धित श्रमिकों की दशाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की थी। मेरा विचार है कि समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा केवल इतना कहना है कि जब सरकार स्वयं इसको स्वीकार करती है कि यन्त्रीकरण अभी प्रयोगात्मक स्थिति में है और अभी यह बताना कठिन है कि इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिक विस्थापित होंगे तो इस प्रकार के प्रतिशोधात्मक शुल्क रूप में मशीन पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगाना किसी प्रकार उचित नहीं है। इस प्रकार के उपाय के पुरःस्थापन के लिये सरकार को सम्पूर्ण तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं। हमको वस्तुतः संरक्षणात्मक शुल्क के रूप में ही कोई उपाय अपनाना चाहिए था जिससे कुटीर उद्योग के श्रमिक बड़ी मात्रा में विस्थापित न हों।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष

[श्री पी० एन० राजभोज]

महोदय, श्री बोरकर ने जो एक्साइज़ ड्यूटी को बढ़ा कर दस रुपये किये जाने का सुझाव दिया है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं । इस बीड़ी उद्योग में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के मज़दूर लोग काफ़ी तादाद में हैं और सरकार का यह देखना कर्त्तव्य है कि मशीन लगाने से कहीं उनमें बेकारी तो नहीं बढ़ जायगी और बेकारी को रोकने में अगर हम दस रुपया ड्यूटी कर दें तो मैं समझता हूं कि बेकारी को रोकने में हमें मदद मिलेगी। आज उन बेचारे गरीब मजदूरों की बड़ी शोचनीय अवस्था है और चन्द कैपीटलिस्ट लोगों का उन पर शिकंजा है और मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फ़त महात्मा गांधी का नाम लेने वाले और खद्दर पहनने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज आपके आज़ादी के ज़माने में इस तरह उन गरीबों पर अत्याचार और ज़ुल्म होते हैं और आज जो वहां पर बीड़ी छांटन बिल्डिंग बनी है वह उस एक्सप्लायटेशन और चोरबाज़ारी का सबूत है कि किस तरह से बीड़ी मालिक हमारे गरीब लोगों को चूसते हैं और धोखेबाज़ी करते हैं । गवर्नमेंट कुछ क़ानून उनकी हालत सुधारने के वास्ते बनाती भी है तो उन पर ठीक से अमल नहीं होता । बीड़ी उद्योग के अलावा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने लैदर इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया ? हैंड वीविंग के बारे में तो आपने थोड़ा एक कानून बना भी दिया । देखा यह जाता है कि जहां-जहां गवर्नमेंट का लाभ होता है और जहां अपना स्वार्थ होता है वहां-वहां वह आवश्यक सुधार करती है लेकिन जहां हमारे मज़दूरों का सवाल आता है वहां स्कीमें और प्लान तो गवर्नमेंट बना देती है लेकिन उन पर ीक से अमल नहीं होता और जिसका नतीजा यह होता है कि वह सारे उनके प्लान और स्कीमें धरी रह जाती हैं और मजदूरों का कोई भला नहीं होता । स्कीमें बहुत आप बनाते हैं लेकिन वे अमल में नहीं आतीं ।

अब यह जो बीड़ी उद्योग में मशीन लगाने की बात है इससे बड़े-बड़े बीड़ी मालिकों को, कालाबाज़ार करने वाले लोगों को लाभ होगा और आज भी यह लोग भारी मुनाफा कमा रहे हैं । भंडारा में हमारे बहुत से शेडयूल्ड कास्ट के मज़दूर लोग इस बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, ये बीड़ी मालिक उनको एक्सप्लायेट करते हैं और जैसा कि अभी मेरे दोस्त बोरकर ने बतलाया कि यह बीड़ी छांटन जो मालिक लोग करते हैं इससे मज़दूरों की मज़दूरी मारी जाती है लेकिन मालिक लोग उस बीड़ी को बेकार नहीं करते उसे बेच कर मुनाफ़ा कमाते हैं और आज इस अन्याय और चालबाज़ी के प्रतीक स्वरूप बीड़ी छांटन बिल्डिंग खड़ी हुई है । दूसरे यह जो बीड़ी में केदारी पद्धति है इससे भी हमारे मजदूर भाइयों को नुकसान होता है । मालिक लोग जो हमारे लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और तरह-तरह की तकलीफ़ें देते हैं उनके लिये गवर्नमेंट को सोच विचार करना चाहिये और आवश्यक क़दम उठाने चाहियें । मेरा अन्देशा है कि अगर पूरे भारतवर्ष में बीड़ी मशीनें लग गयीं तो करीब-करीब तीन-चार लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे, इसलिये सरकार को बेकारी को रोकने के लिये उपाय सोचना चाहिये, यह बेकारी का मसला बहुत पेचीदा है और बीड़ी उद्योग में जो लाखों हमारे गरीब भाई लगे हैं उनको जीवित रखने के लिये एक अलग से बिल पास करने की ज़रूरत है । मौजूदा बिल को पास करने से पहले इस पर पब्लिक की राय लेना ज़रूरी है क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं उससे ज़दूरों में बेकारी पैदा होगी, अनएम्पलायमेंट की प्राबलम और एक्यूट हो जायगी । बीड़ी उद्योग के अलावा यह जो हमारी लैदर इंडस्ट्री है इसकी तरफ

भी सरकार को ध्यान देना चाहिये, मुझे दुःख है कि हमारी सरकार कहती तो है कि हम कौटेज इंड्स्ट्रीज़ को अपने देश में बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन उसके लिये वह ठीक से काम नहीं करती है। सरकार की ओर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम यह कर रहे हैं और वह कर रहे हैं लेकिन उनके बनाये हुए प्लानों और स्कीमों पर अमल ठीक से नहीं होता है। यह ठीक है कि आपने मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट बनाया हुआ है लेकिन वह अमल में नहीं आता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बड़े-बड़े जो कैपीटलिस्ट होते हैं उनकी मदद करने को तैयार रहती है और इसलिये यह और दूसरे क़ानून ठीक से अमल में नहीं आ पाते.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्रम नीति पर सामान्य चर्चा नहीं है। माननीय सदस्य श्रम नीति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों इत्यादि के बारे में सामान्य चर्चा किए जा रहे हैं और बीड़ियों पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : आप ठीक कहते हैं लेकिन दूसरे मेम्बर जो बोले हैं उन्होंने भी दूसरे-दूसरे प्वायंट्स को टच किया है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे गरीब भाइयों पर क्या-क्या अन्याय होता है और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उनकी दशा सुधारने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय करे। मसलन बीड़ी उद्योग में काम करने वाले मज़दूर बारह-बारह घंटे रोज़ाना काम करते हैं तो उनके काम के घंटों के बारे में सरकार की ओर से कोई नियंत्रण रहना चाहिये जिससे उनसे ज्यादा काम न लिया जा सके। इसके अलावा इस उद्योग में जो आठ-आठ और दस-दस वर्ष के लड़के काम करते हैं उनके लिये भी कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिये। लेकिन आजकल तो अंधेर हो रहा है, बातें तो बहुत लम्बी-लम्बी की जाती हैं लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं है और हालत यह हो रही है कि अंधा आटा गूंधे कुत्ता खाय वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। सरकार को इस दिशा में अमली कदम उठाना चाहिये और बेकारी को रोकने की दिशा में सरकार को एक्साइज़ ड्यूटी और ज्यादा लगान चाहिये। सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे मज़दूरों के ऊपर जो अन्याय होता है वह बंद हो। मेरा सुझाव सरकार को यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में और मज़दूरों के हितों की रक्षा करने के लिये एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिये जो कि इस काम को हाथ में ले। आज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कीम्स को इम्पलीमेंट करने के बारे में कोआपरेशन नहीं होता, सरकार को देखना चाहिये कि उनके बीच में अटमोस्ट सहयोग हो। इस बिल में जो मशीन लगाने की व्यवस्था है उससे मेरा विरोध है और उसको बन्द करने की आवश्यकता है, मशीन की इस उद्योग में कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री।

श्री ए० सी० गुहा : अनेक सदस्यों के द्वारा मेरे इन शब्दों के प्रति आपत्ति उठाई गई है कि यह विधेयक अत्यन्त सरल है। सभा में पुरःस्थापन के समय यह विधेयक निस्संदेह सरल था। इस सामान्य चर्चा के पश्चात् मैं इस विधेयक को सरल नहीं कह सकता क्योंकि इतने प्रश्न रखे गये हैं कि यह विधेयक कुछ जटिल हो गया है। एक तो मुझे श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के इस प्रस्ताव का उत्तर देना है कि यह विधेयक संचालित किया जाये और दूसरे मुझे वाद-विवाद का उत्तर देना है। पहले मैं श्री एम० एस० गरुपादस्वामी के संचालन के प्रस्ताव का उत्तर दूंगा।

मुझे इस विधेयक के संचालित करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। जैसा कि एक

[श्री ए० सी० गुहा]

माननीय सदस्य ने कहा है, एक खण्ड के विधेयक को, जो कि ३० जुलाई से अध्यादेश के रूप में देश में प्रचलित है, संचालित करना हास्यास्पद होगा । व्यक्ति, श्रमिक, तथा निर्मातागण सभी इससे परिचित हैं ही । बीड़ी के उपभोक्ता भी इसको जानते हैं । मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो इस विधेयक के उपबन्धों से परिचित न हो । इसके अतिरिक्त इस विधेयक को पारित करने के पूर्व सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श लिया और इस मामले पर सब रूपों में विचार किया ।

१४ मई, १९५३ को इस सभा में आधे घंटे के वाद-विवाद के दौरान में बीड़ी-उद्योग में यन्त्रीकरण के पुरःस्थापन के रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की गई थी । यह लगभग १ साल ४ महीने की बात है । इस सभा में बीड़ी उद्योग में मशीनों के पुरःस्थापन के रोकने के लिये मांग उठाई गई थी और वाद-विवाद के बीच में सब पक्षों व दलों ने इसी प्रकार की मांग की थी । इस वाद-विवाद को पढ़ते समय मुझे आश्चर्य हुआ कि उस दिन श्री ए० एम० थामस ने यह मांग की थी कि स्थिति के बिगड़ने के पूर्व ही सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए और वे इस बात से बड़े असमंजस में पड़ गये थे कि बीड़ी-उद्योग में इस यन्त्रीकरण के पुरःस्थापन से उनके ही राज्य में बेरोज़गारी की समस्या और भी गम्भीर बनाई जा रही है । उन्होंने इन मशीनों के पूर्ण प्रतिषेध की मांग की थी ।

श्री ए० एम० थामस : अब मैं प्रतिषेधात्मक शुल्क के स्थान पर संरक्षणात्मक शुल्क के पक्ष में हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : कुछ भी सही, यह विषय सभा और देश के समक्ष कुछ समय पूर्व से है और कई अवसरों पर इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है अतः मेरी समझ में सभा इस विधेयक के संचालन के लिये सहमत नहीं होगी और न मैं ही इसकी सिफारिश कर सकता हूं ।

इसके पश्चात् मैं जो बातें उठाई गई हैं उनका निर्देशन करूंगा । श्री थामस, श्री अशोक मेहता तथा दो या तीन अन्य सदस्यों ने विदेशी विपणन केन्द्रों तथा उनके विस्तार करने की सम्भावना का उल्लेख किया है; और उन्होंने सुझाव दिया कि निर्यात होने वाली बीड़ियों पर छूट दी जाये । मैं यह बताना चाहूंगा कि उत्पाद-कर केवल उसी वस्तु पर लिया जाता है जिसका देश के अन्दर उपभोग किया जाता है, निर्यात की गई किसी वस्तु पर नहीं । वस्त्र, चीनी, तथा बहुत सी दूसरी चीज़ों पर उत्पाद-कर लगा हुआ है परन्तु यह कर वस्तु के उसी भाग पर लिया जाता है जिसका देश के अन्दर उपभोग हो जाता है, निर्यात की जाने वाली किसी वस्तु पर नहीं । अतः उन सदस्यों का ऐसा कहना भ्रमपूर्ण है कि उत्पाद-कर से विदेशी विपणन केन्द्रों के विस्तार में बाधा पड़ने की सम्भावना है ।

विदेशी विपणन केन्द्रों के बारे में भी काफी कहा गया है । पाकिस्तान सरकार अपने यहां हमारी बीड़ियों को कोई स्थान नहीं देना चाहती । उसने भारत से बीड़ी मंगाना बन्द कर दिया है और हमारा निर्यात वस्तुतः नगण्य तुल्य हो गया है । मैं यह कह सकता हूं कि पाकिस्तान में हमारी बीड़ियों के लिये कोई विपणन केन्द्र नहीं है । केवल लंका का विपणन केन्द्र खुला हुआ है । मेरी समझ में निकट भविष्य में किसी और बाज़ार के मिलने की भी आशा नहीं है । मशीन निर्माता को विज्ञप्ति का निर्देशन करते हुये श्री थामस ने बताया कि यदि बीड़ी उद्योग में यन्त्रीकरण का पुरःस्थापन हो जाये तो इससे तम्बाकू से तैयार होने वाली धूम्रपान की

वस्तुओं के लिये नये बाज़ार खुल सकते हैं। यदि मशीन से तैयार की हुई बीड़ी विदेशी बाज़ारों को प्राप्त कर सके तो हम सर्वदा इसका स्वागत करेंगे। यह विधेयक किसी प्रकार भी बाधारूप सिद्ध नहीं होगा। केवल ३ रु० प्रति हजार का उत्पाद शुल्क ही नहीं अपितु बीड़ी के उपयोग में आने वाली तम्बाकू पर वसूल किया जाने वाले उत्पाद-शुल्क की भी निर्यात होने वाली बीड़ी पर छूट दे दी जाती है। अतः सदस्यों के दिमागों में यह गलत विचार नहीं होना चाहिए कि यह विधेयक हमारे विदेशी विपणन केन्द्रों के विस्तार के लिये किसी प्रकार बाधारूप सिद्ध हो सकेगा।

इसके पश्चात्, श्रीमान् मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे अन्य विवादपूर्ण विषयों उदाहरणतः औद्योगिक आन्दोलन तथा बहुत सी दूसरी बातों का विवेचन करना चाहिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इंग्लैण्ड तथा पश्चिमी योरोपीय देशों में ठीक एक शताब्दी पूर्व औद्योगिक आन्दोलन से जो कष्ट हुये उनकी किसी भी देश में अब पुनरावृत्ति होना आवश्यक नहीं। इस शताब्दी में बहुत से देशों का औद्योगीकरण हुआ है और प्रायः मानवीय कल जो कि एक शताब्दी पूर्व पश्चिमी योरोपीय देशों में औद्योगीकरण के साथ जुड़ा हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति किसी अन्य देश में नहीं हुई। अतः यदि हम औद्योगीकरण भी करते हैं, तो सदस्यों को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि इसके साथ इंग्लैण्ड में तथा अन्य योरोपीय देशों में जो परेशानियां हुईं, उनकी पुनरावृत्ति होगी अथवा सरकार उनकी पुनरावृत्ति होने देगी।

बहुत से सदस्यों ने कुटीर उद्योगों के बारे म कुछ बातें उठाई हैं। मेरे विचार में वे बातें इस विधेयक के साथ प्रासंगिक हैं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य तो अन्ततः कुटीर उद्योगों का संरक्षण ही है। मैं स्वीकार करता हूं कि अन्य कुटीर उद्योगों के समान ही इस उद्योग से सम्बन्धित श्रमिकों की दशा अच्छी नहीं है और उचित स्तर पर नहीं है। सरकार और जनता की ओर से, श्रमिकों को दशाओं के सुधारने के प्रयत्न हो सकते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष जो भी सुझाव रखा जायेगा उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारी बाग—पश्चिम) : बेरोज़गारी के बारे में क्या विचार है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह विधेयक अग्रेतर बेरोज़गारी के रोकने के लिये है।

श्री बर्मन और श्री चालिहा तथा एक अन्य सदस्य ने दूसरे कुटीर उद्योगों का उल्लेख किया है। श्री त्रिपाठी ने भी उल्लेख किया है। मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में यह स्वीकार करता हूं कि यह सब बातें अत्यन्त प्रासंगिक हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार ने कुछ संघठन बनाये हैं जो इन कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारी की देखभाल करते हैं। मेरे विचार में माननीय सदस्य जानते हैं कि अखिल भारतीय ग्राम्य उद्योग बोर्ड, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, बहुत उपयोगी काम कर रहा है।

सदस्यों को ज्ञात होना चाहिए कि खादी और हाथकर्घा उद्योगों के संरक्षण के लिए कपड़े पर उत्पाद-शुल्क लिया जाता है और सरकार अन्य कई तरीकों से कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती ह। छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या भी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या से कम से कम चार गुना अधिक है। कुटीर उद्योगों में कारखानों के उत्पादन की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्य का माल तैयार होता है। जैसा कि श्री के० पी० त्रिपाठी ने कहा है, सरकार ने छोटे पैमाने के

[श्री ए० सी० गुहा]

और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सब प्रकार की सहायता दी है।

श्री ए० एम० थामस ने कहा है कि बीड़ी उद्योग म काम करन वाले श्रमिकों की संख्या अर्थात् ६ लाख जो मने बताई है वह ठीक नहीं है और कहा है कि राज्यवार ब्यौरा भी ठीक नहीं है। मेरे पास ठीक-ठीक आंकड़े नहीं हैं और यह केवल मेरा अनुमान ही है।

श्री एन० ए० बोरकर ने कहा है कि ये मशीनें प्रति घंटा १०,००० बीड़ियां तैयार कर सकगी किन्तु हमारे हिसाब के अनुसार ये प्रति घंटा केवल १५०० बीड़ियां तैयार कर सकती हैं। यदि १५०० ही मान लिया जाये, तो यह एक प्रवीण श्रमिक के उत्पादन से, जो कि प्रति घंटा केवल १२५ बीड़ियां तैयार कर सकता है, १२ गुना अधिक है।

बड़ौदा की मशीन भी थोड़ी सी बीड़ियां तैयार करती है। केवल बम्बई में एक मशीन २७०,००० बीड़ियां तैयार करती है। यह सब अब उत्पादन शुल्क विभाग के अधीन है।

श्री ए० एम० थामस ने यह पूछा है कि इस अध्यादेश के लिए इतनी जल्दी क्या थी। हम यह नहीं चाहते कि लोग कुछ धन लगा कर एक मशीन खरीदें और बीड़ी तैयार करने का एक छोटा सा कारखाना लगायें किन्तु बाद में अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगा कर उन्हें कारखाने से लाभ उठाने से रोका जाये।

मेरे विचार में मैंने लगभग सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। वैज्ञानिकन आदि सम्बन्धी अन्य विषयों की चर्चा किसी अन्य अवसर पर की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि सदन अब इस विधेयक को पारित कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ (१९४४ के अधिनियम १ की प्रथम अनुसूची में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री माधव रेड्डी अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ११ और १२ में "तीन पये प्रति हज़ार" के स्थान पर "एक पया प्रति हज़ार" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री माधव रेड्डी : माननीय उपमंत्री का कहना है कि बीड़ी उद्योग में इन मशीनों पर प्रतिबन्ध लगाना उचित है। मैं पूछता हूं कि यह मशीन किस प्रकार की है। सम्भवतः एक छोटी सी मशीन ह जो कि कुटीर उद्योग में प्रयोग करने के लिये बहुत उपयुक्त है। देशी उपक्रम वालों ने इसे बहुत प्रयोगों के बाद तैयार किया है। क्या इस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए? मेरे विचार में सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि ये उपकरण सब घरों में पहुंचे और श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाये। श्रमिकों के संरक्षण के नाते इन पर प्रतिबन्ध लगा देना अनुचित ह। वास्तव में इस उद्योग को सस्ते सिगरेटों के उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना ह। सरकार हर साल सस्ते सिगरेट तैयार करने वाली कम्पनियां खोलने की अनुमति देती है। पिछले दो वर्षों में कम से कम ऐसी १० नई कम्पनियां खोली गई हैं। ये सिगरेटें बड़े पैमाने पर तैयार की

जा रही हैं। इससे बीड़ी उद्योग को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और हज़ारों बीड़ी श्रमिक बेकार हो रहे हैं। इस उद्योग में ६ लाख से अधिक श्रमिक हैं। हैदराबाद, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में बीड़ी के पत्तों से इनके बन विभागों के ४ करोड़ रुपये की आय होती है। इसलिए इस उद्योग को बचाने की बहुत आवश्यकता है। किन्तु यह कैसे किया जायेगा? इन छोटी मशीनों पर प्रतिबन्ध लगा कर? बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो सस्ते सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों को बन्द करना होगा और स्वयं बीड़ी उद्योग में सुधार करना होगा। इसीलिए मैं अत्यधिक कर लगाये जाने के विरुद्ध हूं और मैं चाहता हूं कि इसे कम करके एक रुपया कर दिया जाये और इससे जो आय हो उसे इस उद्योग के सुधार के लिए और विदेशों में इसकी खपत बढ़ान के लिए प्रयोग किया जाये।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, म इस संशोधन का और इस धारा का दोनों का विरोध करता हूं। इस धारा में तो यह है कि जो कल से बीड़ी बनेगी उस पर तीन रुपये हज़ार के हिसाब से टैक्स लगेगा लेकिन जहां तक इस कल के बीड़ी उद्योग में इस्तेमाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं इस बात से कोई भी इंकार नहीं करेगा कि इससे इस उद्योग में लगे हुए मज़दूरों में बेकारी बढ़ेगी। कलों के व्यवहार से मज़दूरों में बेकारी तो ज़रूर बढ़ेगी और इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय से प्रश्न भी किया था लेकिन उसका जवाब उन्होंने टालमटोल कर दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिये जिससे किसी तरह की बेकारी बढ़े। हज़ारी बाग ज़िले में मैं आपको बतलाऊं कि जहां काफ़ी संख्या में तेली लोग रहते हैं और कोल्हू से तेल पेरनें का काम करते हैं, उनका अच्छा काम चलता था और वे अपनी जीविका ठीक से कमा रहे थे लेकिन जब से वहां पर तेल पेरने की कल लगी तो उनका काम मन्दा पड़ गया क्योंकि कल का तेल कोल्हू के तेल से सस्ता पड़ता है और उन बेचारे लोगों का काम इस तेल पेरने की कल की बदौलत चौपट हो गया और एक ज़माना था कि यह तेली जाति एक सुखी जाति थी लेकिन आज वे सब लोग मज़दूर हो गये ह और मज़दूरी करने के लिये बाज़ारों में जाते हैं, कभी मज़दूरी मिलती ह तो कभी नहीं मिलती है। मेरा कहना है कि सरकार को ऐसी परिस्थिति को पैदा नहीं होन देना चाहिये और उसको रोकना चाहिये। बाढ़ के समय जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू पटना गये तो उन्होंने लोगों को सलाह दी कि हियुमन मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह ज्ञान उनको पहले नहीं था, लेकिन शायद बाढ़ देखने से यह खयाल उनके दिल में पैदा हुआ, खैर जो कुछ भी हो, इसके लिये उनको बधाई है। लेकिन यह जो वर्तमान बिल सरकार लायी है वह ठीक उसके विपरीत है, उससे बकारी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का आशय मशीनों द्वारा उत्पादन पर रोक लगाना है। उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है जिससे बीड़ी बनाने वालों का भला हो जायेगा। यह उद्देश्य है।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ज़ाहिर है कि इसमें कम मज़दूर लगेंगे, बहुत से मज़दूर जो वहां पहले से काम कर रहे होंगे वह हट जायेंगे। इसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ेगी, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है.....

श्री भागवत झा आज़ाद (पूनया व संथाल परगना) : कैसे?

बाबू रामनारायण सिंह : जहां पर छः लाख आदमी काम करते थे वहां अब एक ही हज़ार आदमी काम करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह विधेयक रह गया तो और अधिक मशीनें आ जाएंगी और कितने ही श्रमिक बेकार हो जायेंगे ।

बाबू रामनारायण सिंह : मेरे कहने का यह मक़सद है कि जैसा अभी किसी ने कहा सरकार को कोई अख्तियार नहीं है .....

श्री ए० सी० गुहा : क्या वे इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या विरोध ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वे दोनों बातें कर रहे हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : आप इसको सपोर्ट मानें या जो मानें, यह आप पर निर्भर करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि सरकार इस तरह की मशीन बनना तो नहीं रोक सकती है लेकिन इतना तो कर ही सकती है कि जहां जहां आदमियों से काम चल सकता है वहां मशीन से काम न होने दिया जाय । यह क़ानून वापिस लिया जाय और दूसरा कानून सरकार द्वारा यहां पर लाया जाय या यह कह दीजिये कि मशीन के ज़रिये बीड़ी नहीं बनेगी, अगर आप मज़दूरों की मदद करना चाहते हैं तो इस तरह से मदद कीजिये .....

सरदार ए० एस० सहगल : इसीलिये टैक्स लगा दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे मशीन द्वारा बीड़ी उत्पादन को नितान्त बन्द कर देना चाहते हैं, वे केवल उत्पादन-शल्क से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं तो कहता हूं कि जहां-जहां आदमी काम कर सकते हैं, हाथ से काम हो सकता है, ऐसी सभी जगहों पर स तरह की रोक लगा दें कानून के ज़रिये कि वहां पर मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, किसी भी रोज़गार में मशीन का इस्तैमाल नहीं हो सकेगा, बीड़ी के रोज़गार की तो कोई बात ही नहीं है ....

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल में ऐसा नहीं कर सकते, यह तो बीड़ी के सम्बन्ध में है । दूसरा बिल उसके लिये लाना पड़ेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : ठीक है, मैं अपनी राय दे रहा हूं । स बिल को आप कृपा करके वापिस लीजिये और एक दूसरा उपयुक्त बिल लाइये । बीड़ी मशीन के ज़रिये नहीं बने, बने तो हाथ से बने, नहीं तो न बने, आखिर बीड़ी के बगैर कोई मर थोड़े ही जायगा । मैं ऐसा कह कर जैसा मैंने कहा इस बिल का विरोध करता हूं और सुझाव देता हूं कि यह बिल वापिस लिया जाय और ऐसा उपाय करना चाहिये जिसमें सारे देश में जहां-जहां हाथ से काम होता हो वहां हाथ से काम होता रहे और उनमें कल का व्यवहार न हो ।

कुमारी एनी मैस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है मुझे स पर कोई आपत्ति नहीं । वास्तव में, मैं इसका स्वागत करती हूं । इस कुटीर उद्योग में मशीनरी से काम लेना एक प्रगतिशील उपाय है कि हम बीड़ी बनाने के पुराने तरीकों को जारी नहीं रखना चाहते । यह एक और सन्तोषजनक बात है कि यह मशीनरी देशी है । किन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार इस बात के लिए क्या पग उठायेगी कि यह मशीनरी सब कुटीर उद्योग वालों को मिल सके । इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है । मैं आशा करती हूं कि जो लोग बेकार हो रहे हैं उनकी सहायता के लिए आप तुरन्त पग उठायेंगे ।

इस समय १ आने की १० बीड़ियां मिलती हैं। जब बीड़ी पर ३ रुपय का शुल्क लग जायेगा, तो सम्भवत: एक आने की ६ बीड़ियां मिलेंगी इस लिए उपभोक्ता को क्या सुविधा दी गई है ? गरीब आदमी इसे कैसे खरीद सकेंगे, क्योंकि उनके लिए यह एक आवश्यक वस्तु है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह नहीं समझ सका कि इस विधेयक से बीड़ी का मूल्य कैसे बढ़ जायगा। इसका मूल्य तो उतना ही रहेगा।

कुमारी एनीमैस्क्रीन : यह अभी देखना है कि ३ रुपया प्रति हज़ार का शुल्क लगाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : खंड २ में कहा गया है कि उन बीड़ियों पर जो कि मशीनों की सहायता से बनाई गई हैं ३ रुपये प्रति हज़ार का शुल्क लगाया जायगा। इस विषय में सरकार का उद्देश्य क्या है ?

"उद्देश्यों और कारणों" के विवरण से यह प्रतीत होता है कि सरकार बीड़ियों के उत्पादन व्यय में कमी करके कुछ आय प्राप्त करना चाहती है और वित्त उपमंत्री के भाषण से यह स्पष्ट है कि वे इस मशीन के प्रयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। यदि सरकार का उद्देश्य आय प्राप्त करना है, तो ३ रुपय की दर अत्यधिक है, यदि मशीन पर प्रतिबन्ध लगाना है, तो यह प्रतिबन्ध प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा।

बीड़ी के अन्तिम रूप से तैयार होने में कई क्रियायें करनी पड़ती हैं। इसमें कहीं कहीं पर मशीनों के साथ कुछ औज़ारों का उपयोग भी पत्तियों आदि को विशेष प्रकार तथा आकार का काटने के लिये किया जाता है। अत: इन औज़ारों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि उससे कुछ गरीब मज़दूरों का, विशेषत: स्त्री मजदूरों का श्रम बच जायगा या हल्का हो जायगा, जिन्हें बड़े अस्वस्थ वातावरण में यह कार्य करना पड़ता है। मशीन के अन्तर्गत कौन-कौन से औज़ार आ जाते हैं इस की न तो कोई सूचना हमें दी गई है और न वित्त उपमंत्री ने ही इस विषय में कुछ कहा है।

बम्बई तथा अन्य स्थानों में बीड़ी बनाने का कार्य अधिकांशत: स्त्री मज़दूरों द्वारा किया जाता है। ऐसे गन्दे वातावरण में कार्य करने से बीड़ी पीने वालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण कुछ काम औज़ारों से किये जाने की अनुमति होनी चाहिये।

यदि हमारे यहां मशीनों का उपयोग करने की अनुमति रहेगी तो पाकिस्तान वाले निश्चय ही सस्ती होने के कारण हमारे यहां की बीड़ियां खरीदेंगे। इस प्रकार निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सफाई से बनी बीड़ियों की अफ्रीका तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी काफी खपत हो सकती है। किन्तु यदि इसी प्रकार गन्दे स्थानों में तथा पुराने ढंग से बीड़ियां बनती रहीं तो हमारा निर्यात नहीं बढ़ सकता है।

यदि मशीन की सहायता से बीड़ी बनाने के उपाय को निरुत्साहित ही करना है तो उत्पादन शुल्क के स्थान पर उपकर लगाना अधिक उपयुक्त होगा जिससे इस उपकर का उपयोग बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों की दशा सुधारने में किया जा सके।

श्री ए० सी० गुहा : मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ तथा ४, खण्ड १, शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

क्या मैं कुछ माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी कुछ कहा जा चुका है और माननीय मंत्री को बोलने का अवसर देने के परिणामस्वरूप कुछ माननीय सदस्यों को भी अवसर देना होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : ठीक है, मैं बोलने का इतना इच्छुक भी नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चन्द्रनगर के पश्चिमी बंगाल राज्य में विलय और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस सम्मानित सभा के सदस्य चन्द्रनगर की घटनाओं से भली भांति परिचित हैं, इस कारण मैं बहुत संक्षेप में बोल सकता हूं ।

मोटे तौर से, जून १९४९ में चन्द्रनगर के लोगों ने लोकमत के द्वारा भारत में विलयन के लिये मत दिया था । प्रशासन का वस्तुतः हस्तांतरण २ मई, १९५० को हुआ था तथा विधानतः हस्तांतरण पेरिस में विलय सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्, ९ जून, १९५२ को हुआ था ।

चन्द्रनगर का प्रशासन हमारे हाथों में आने से लेकर अब तक वहां का कार्य संचालन भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित मन्त्रणादात्री परिषद् की सहायता से कर रहा है तथा शासनीय कार्यों के लिये चन्द्रनगर वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत रहा है ।

किन्तु सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि चन्द्रनगर के अन्तिम प्रशासकीय ढ़ांचे का विनिश्चय चन्द्रनगर के लोगों के परामर्श से किया जायगा ।

१९५३ के अन्त के लगभग इस प्रश्न की जांच पड़ताल करने तथा सरकार को मन्त्रणा देने के लिये एक व्यक्ति के आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसम डा० अमरनाथ झा थे । डा० झा चन्द्रनगर गये, सत्तर से अधिक लोगों से मिले तथा निजी रूप से एवं वहां के राजनीतिक संगठनों से उन्हें बहुत से स्मरण पत्र तथा टिप्पणियां आदि मिलीं । १८ दिसम्बर को उन्होंने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

भारत सरकार ने ८ मई को झा आयोग प्रतिवेदन के सम्बन्ध म अपना निर्णय प्रकाशित किया । इसके पश्चात् इस विषय में अन्तर्ग्रस्त, विभिन्न मंत्रालयों तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से यह विधेयक बनाया गया था ।

संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत इस विधेयक को बगाल, विधान सभा के सम्मुख इस विधेयक को संसद् में पुरः स्थापित करने तथा इसके उपबन्धों के बारे में उनकी सम्मति लेने के लिये प्रस्तुत किया गया था । यह सम्मति मिल गई है । अब यह विधेयक इस सभा के सम्मुख उपस्थित है ।

विधेयक के विस्तृत खण्डों को लेने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने समय से चन्द्रनगर में भारत सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण है, हमने वहां की वार्षिक कमी को पूरा करने के लिये उस पर लगभग ५ लाख रुपया व्यय किया है। चन्द्रनगर को राजस्व सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को लगभग बारह से सोलह लाख रुपये का अनुदान देने का भी वचन दे दिया है। साथ ही वहां की विभिन्न विकास योजनाओं की लागत में भी हमारा बहुत बड़ा अंश है। यह लागत भारत सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा चन्द्रनगर की नगर पालिका मिल कर लगायेंगी। झा आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें यह हैं कि चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिला दिया जाये, उसको उप-विभाग का मुख्यालय बना दिया जाये और वहां का प्रतिनिधि पश्चिमी बंगाल विधान सभा में रहे तथा वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जाये। अब सभा के सम्मुख यह जो विधेयक रखा गया है इसमें सारी बातें आ गई हैं। प्रतिवेदन में सिफारिशों के सोलह विभिन्न मद हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, चार अत्यन्तावश्यक मद जो इस विलयकारी विधेयक में आ सकते हैं, इसमें रख दिये गये हैं। कुछ सिफारिशें इस प्रकार की हैं जो इस विधेयक में नहीं रखी जा सकतीं, जिन पर केवल कार्यवाही की जा सकती है। सिफारिश संख्या ४ यह है कि न्यायिक पदाधिकारी को फ्रांसीसी विधियों को लागू करने तथा चन्द्रनगर में फ्रांसीसी विधियों को बनाये रखने आदि के सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये, इसके लिये कार्यवाही की जा चुकी है। एक दूसरी आवश्यक सिफारिश यह है कि जहां कहीं बचत हो सके उसे करने के लिये चन्द्रनगर के आय-व्ययक का बड़ी सावधानी से निरीक्षण कया जाना चाहिये। ऐसा किया जा चुका है। सफारिश यह की गई थी कि हम इस बात का पता लगायें कि क्या चन्द्रनगर का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय विधान सभा में किया जा सकता ह इसकी जांच की जा चुकी है और यह पता लगा है कि वहां की जन संख्या कम होने के कारण ऐसा होना सम्भव नहीं है।

सिफारिश संख्या १६ यह है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिये कि क्या चन्द्रनगर की नगर पालिका को जिसे निगम कहना चाहिये, अपनी निधि की कमी को पूरा करने के लिये उसे उत्पादन तथा अन्य आय में से कुछ अंश मिलना चाहिये अथवा नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि चन्द्रनगर का निगम अपनी निधि में वृद्धि करों के द्वारा करेगा।

तत्पश्चात् सबसे मुख्य प्रश्न निगम का आता है। झा आयोग ने सिफारिश की है कि वहां के निगम को जैसी साधारणतः पश्चिमी बंगाल की नगर पालिकाओं को शक्ति दी जाती है, उससे अधिक शक्ति दी जानी चाहिये। जब यह मामला बंगाल विधान सभा के सम्मुख लम्बित था तो पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, डा० राय ने कहा था कि विधेयक तैयार किया जा चुका है और आशा है कि बंगाल विधान सभा के आगामी सत्र में चन्द्रनगर निगम विधेयक वहां की विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। कुछ अन्य मद चन्द्रनगर में फ्रांसीसी भाषा के अध्ययन को जारी रखने संग्रहालय तथा फ्रांसीसी संस्कृति के एक हाल की स्थापना करने, निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने, हिन्दी की शिक्षा देने तथा वहां कुटीर उद्योगों को बनाये रखने के सम्बन्ध में हैं। स्पष्टतः इन चीज़ों को इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किन्तु इस विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोई सन्देह न उत्पन्न हो मैं डा० राय द्वारा बंगाल की विधान परिषद् में दिये गये भाषण का संक्षिप्त विवरण बताना चाहूंगा, जो उन्होंने

[श्री अनिल के० चन्दा]

झा आयोग की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में दिया था। भारत सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने मिल कर यह तय किया है कि वे चन्द्रनगर की विभिन्न विकास योजनाओं पर धन व्यय करेंगी। वहां एक निगम की स्थापना करने का भी निश्चय किया जा चुका है। बंगाल के नगर पालिका अधिनियम में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी किन्तु इस विधेयक में इसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। राज्य सरकार ने समय समय पर निगम को अनुदान देने के विचार से एक निर्धन निधि एकत्र करने की भी व्यवस्था की है। विलय हो जाने के पश्चात् चन्द्रनगर में फ्रांसीसी संस्कृति को कायम रखने तथा उसके विकास के लिये भी योजना बनाई गई है। प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दी जायगी और फ्रांसीसी प्रशासन की देख-रेख में चलाये जाने वाले माध्यमिक स्कूलों का प्रशासन अब पश्चिमी बंगाल सरकार करेगी। चन्द्रनगर कालेज को चलाते रहने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार पर होगा। प्रशासक के निवास के कुछ अंश का उपयोग संग्रहालय के लिये किया जायगा जिसमें फ्रांसीसियों के स्मृति-चिन्हों तथा ऐतिहासिक अवशेषों को रखा जायगा। भारत सरकार ने इसी देख-भाल के लिये दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

अन्त में मुझे निवेदन यह करना है कि डा० झा की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है जैसा कि डा० रायं ने आश्वासन दिया है। अतः यह विधेयक इस सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन हैं, इन के प्रस्तुत हो जाने के बाद विधेयक पर चर्चा आरम्भ होगी।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक पर चन्द्रनगर की जनता का मत जानने के लिये इसे नवम्बर, १९५४ के प्रथम सप्ताह तक परिचालित किया जाय।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मेरा संशोधन यह है कि.....

"यह विधेयक २१ सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये....."

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन में जिन सदस्यों के नाम हैं, क्या आपने उनकी सम्मति ले ली है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को २१ सदस्यों की एक प्रवर-समिति को श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री तुषार चटर्जी, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री बर्मन, श्री नेमीचन्द कासलीवाल, श्री वेंकटरामन्, श्री शिवमूर्ति स्वामी, कुमारी एनी मैस्करीन, श्री अविनाश लिंगम चेटियार, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री माधव रेड्डी, श्री साधन गुप्त, डा० राम सुभग सिंह, श्री ए० वी० थामस, श्री वी० बी० गांधी, श्री अमजद अली, श्री टी० के० चौधरी, पडित डी० एन० तिवारी, श्री अच्युतन तथा प्रस्तावक जिस के सदस्य हों, सौंपा जाये, और इसे २७ सितम्बर, १९५४ को या उससे पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये,।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के प्रस्तावक के नाम का क्या हुआ ?

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : मेरी सम्मति नहीं ली गई है। मैं इस प्रवर-समिति का सदस्य नहीं होना चाहता हूं। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

मेरे सामने इस समय केवल एक ही संशोधन है जो श्री तुषार चटर्जी का है। अब इस विधेयक तथा संशोधन पर चर्चा प्रारम्भ होती है।

श्री तुषार चटर्जी : मैंने जो संशोधन रखा है वह इसलिये नहीं रखा है कि इस विधेयक को पारित करने में विलम्ब हो, बल्कि इसलिए कि इस विधेयक में चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल में विलय करने का केवल औपचारिक उल्लेख है। चन्द्रनगर की जनता ने समय समय पर जो विरोध प्रकट किये हैं, वे भी विचारणीय हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम यह काम जल्दी में कर बैठें। इससे केवल वहां की ही नहीं, अपितु पांडिचेरी की जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

चन्द्रनगर के बंगाल में विलय का प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है। यदि केवल विधेयक से ही काम चल जाता तो सरकार पिछले वर्ष भी ऐसा कर सकती थी। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह वचन दिया था कि वहां एक निगम स्थापित किया जायगा, किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। वहां के संयुक्त दल की ओर से बहुत विरोध होने के उपरान्त सरकार ने झा आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग की सिफारिशों के विषय में प्रधान मंत्री ने २३ मार्च को सभा में कहा था कि वे पूर्ण-रूपेण स्वीकार कर ली जायंगी, किन्तु बाद में सरकार ने अपने निर्णय में परिवर्तन कर लिया। उदाहरण के लिये झा आयोग ने सिफारिश की थी कि न केवल प्राथमिक पाठशालायें अपितु माध्यमिक पाठशालायें तथा चिकित्सालय भी निगम के अधीन रहेंगे किन्तु सरकार के निर्णयानुसार माध्यमिक पाठशालायें तथा चिकित्सालय राज्य-सरकार के अधीन होंगे।

झा आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य की विधान-सभा में चन्द्रनगर के लिये स्थायी रूप से एक स्थान का उपबन्ध हो, किन्तु सरकार यह कहती है कि केवल अगले चुनाव तक ही यह उपबन्ध रहेगा। इसी प्रकार जिस निर्धन-निधि से वहां की जनता को अनेक लाभ होते थे उसके लिये मनोरंजन-कर का कुछ भाग देने के सम्बन्ध में भी सरकार मौन है।

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने डा० राय के भाषण का उद्धरण देते हुए कहा था कि इस निधि को यथावत् रखा जायगा और इसे उतना ही अनुदान दिया जायेगा जितना फ्रांसीसी प्रशासन के समय दिया जाता था।

श्री तुषार चटर्जी : तब तो इसमें मुझ से भूल हो गई। फिर भी, मेरा अभिप्राय यह है कि वे लोग यह चाहते हैं कि सरकार यह घोषणा करे कि पश्चिमी बगाल में उन्हें उचित सम्मान के साथ रखा जायगा।

माननीय उपमंत्री कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने पहले ही सब बातें स्वीकार करने का वचन दिया है, किन्तु हमें यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि उनकी बातों पर हमें विश्वास नहीं है। वे कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ।

भारत सरकार को यह न भूलना चाहिए कि चन्द्रनगर का शासन अभी तक उसने अपने हाथ में रखा है अतः उसका शासन पश्चिमी बंगाल को सौंपते समय वहां के निवासियों को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जायेगा।

हमारी यह मांग है कि चन्द्रनगर (विलय) विधेयक को इस प्रकार से पुनः प्रारूपित

[श्री तुषार चटर्जी]

किया जाय कि जिस से वहां के लोगों को कोई शिकायत न रहे।

वास्तव में उनकी मांगें क्या हैं ? बात यह है कि स्वतन्त्रता-आन्दोलन करते करते उन लोगों ने अपने लिये कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किये थे। एक अधिकार यह है कि अपने नगर के प्रबन्ध पर उनका निजी नियंत्रण था। उनके इस प्रकार के अधिकारों को हमें बनाए रखना चाहिए।

एक बात और है। वह यह कि झा आयोग के प्रतिवेदन में परिशिष्ट संख्या १, २ और ३ विद्यमान हैं, किन्तु हमें जो प्रतिलिपि दी गई है उसमें परिशिष्ट ३ नहीं है। ऐसा क्यों किया गया ? उस परिशिष्ट में सब दलों की ओर के ज्ञापन का उल्लेख है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उस ज्ञापन को हम से छिपाना चाहती है। किन्तु स्मरण रहे कि ऐसी बातों से न केवल हमें अपितु चन्द्रनगर वालों को भी सरकार के कार्यों पर सन्देह होगा।

अन्त में, मैं सरकार से पुनः यह निवेदन करता हूं कि वह चन्द्रनगर के प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे और इस विधेयक को इस प्रकार पुनः प्रारूपित करे जिससे इसकी समस्त त्रटियां दूर हो जायें और चन्द्रनगर के लोगों की इच्छा पूरी हो जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : बड़े हर्ष का विषय है कि इस विधेयक के पुरःस्थापन के समय प्रधान मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। चन्द्रनगर-विलय, बंगाल तथा भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे, विदेशियों द्वारा अधिकृत भूमि भारत को पुनः प्राप्त होने का श्रीगणेश होता है। मुझे आशा है कि अगर अगले वर्ष प्रधान मंत्री इसी प्रकार गोआ विधेयक भी सभा के सामने प्रस्तुत करेंगे।

चन्द्रनगर वह पवित्र स्थान है जहां कन्हैयालाल दत्त, रास बिहारी बोस जैसे देशभक्तों ने जन्म लिया। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री अरविन्द घोष ने भाग कर शरण ली थी जब कि अंग्रेज़ उनका पीछा कर रहे थे।

यद्यपि हम बंगाली, अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों का भारत में आधिपत्य पसन्द नहीं करते तथापि हमें यह मानना पड़ता कि चन्द्रनगर वालों को फ्रांस की आधीनता में कुछ विशेष स्थानीय अधिकार प्राप्त थे। वहां की नगर पालिका एक प्रकार की नगर-पंचायत थी जो नगर-पालिका के ही नहीं और भी अनेक कर्तव्य पूरे करती थी। कलकत्ते में मेयर का जब प्रथम चुनाव हुआ, तो श्री देशबन्धु चितरंजनदास चुने गए थे। किन्तु चन्द्रनगर में तो इससे कई वर्ष पहले से मेयर के चुनाव होते आ रहे थे।

१८ जून १९४९ को जब उन लोगों ने मतदान द्वारा भारत में विलय का, निर्णय किया था तब श्री जवाहरलाल नेहरू ने बधाई के तार में कहा था कि उनकी इच्छाओं को ध्यान में रख कर ही हम चन्द्रनगर को भारत में मिलायेंगे।

क्या इस समय प्रधान मंत्री अपने शब्दों की ओर ध्यान नहीं देंगे? क्या वहां की जनता की इच्छा पर वे विचार नहीं करेंगे ? इसी उद्देश्य के लिये तो झा आयोग बनाया गया था जिसके बारे में श्री तुषार चटर्जी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्य है कि वहां के समस्त दल एक हो गए और उन्होंने इस आयोग को अपना ज्ञापन दिया जिसे आयोग ने लगभग पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है।

मेरे पास एक पुस्तिका है जिससे चन्द्रनगर के भविष्य के सम्बन्ध में संसद सदस्यों से अपील की गई है।

इसके अतिरिक्त मैं चन्द्रनगर निवासी श्री अरुण दत्त से मिला हूं। उन्होंने मुझे आश्वा-

सन दिया है कि पुस्तिका का विवरण अक्षरशः सत्य है। पृष्ठ २ पर उसमें लिखा है कि झा आयोग की सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं :

उनके कथनानुसार जो भी मुख्य मुख्य बातें झा आयोग के समक्ष रखी गई थीं वे उन सभी को डा० झा ने अपने प्रतिवेदन में स्थान दे दिया है। इस प्रतिवेदन पर प्रधान मंत्री ने २३ मार्च १९५४ को अपने एक वक्तव्य में कहा था कि डा० अमरनाथ झा की सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा काफी अधिकारों वाला एक निगम चन्द्रनगर में स्थापित किया जायेगा। तत्पश्चात् वैदेशिक-कार्य उपमंत्री ने भी बताया था कि झा आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री झा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

चन्द्रनगर को सब-डिविज़न या ज़िले का प्रधान केन्द्र बनाया जा रहा है जैसी इस आयोग की सिफारिश थी। दूसरे चन्द्रनगर पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के लिये एक सदस्य चुना जाना चाहिए। मैंने प्रधान मंत्री से इस विषय में वार्ता की थी तथा उन्होंने बताया कि इसे समाप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है, परन्तु विधेयक के खण्ड ६ में दिया हुआ है कि चन्द्रनगर पश्चिमी बंगाल विधान सभा का एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाया जायेगा जिसमें राष्ट्रपति की इच्छानुसार अन्य भाग भी जोड़े जा सकते हैं। तथा इस निर्वाचन-क्षेत्र से एक सदस्य का सीधा चुनाव होगा।

'राष्ट्रपति की इच्छानुसार अन्य भाग भी जोड़े जा सकते हैं' इस वाक्य से जनता के मन में आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि सिफारिश में केवल चन्द्रनगर से ही एक सदस्य के चुनाव के सम्बन्ध में कहा गया था। अतः यह सम्भव है कि चन्द्रनगर वासियों की पूर्ण सहमति इस विधेयक को न मिल सके, क्योंकि वे समझ सकते हैं कि अन्य भागों के इसमें मिलाये जाने पर चन्द्रनगर की जनता की आवाज़ विधान सभा में पूर्णतया नहीं पहुंच सकेगी।

डा० झा की सिफारिशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सातवां पद है। जिसके अनुसार एक निगम की स्थापना होगी तथा इस निगम को नगरपालिका सम्बन्धी सभी कार्य करने होंगे, परन्तु आर्थिक मामलों में यह पश्चिमी बंगाल के अधीन होगा। इस विषय पर प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया था। परन्तु विधेयक के खंड ३ के उपखंड (२) के अनुसार इस निगम का निर्माण पश्चिमी बंगाल सरकार ही करेगी। अतः हम लोग यदि इस सम्बन्ध में कोई निदेश देते हैं तो वह उक्त राज्य सरकार के अधिकारों पर कुठाराघात करना होगा। आपने इस सरकार को चन्द्रनगर को एक सब-डिवीजन बनाने का निदेश दिया है यह आदेश उपयुक्त है। परन्तु डा० झा की स्वीकृत सिफारिशें ज्यों की त्यों लागू होनी चाहिएं। अतः मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि यह निगम केवल नाम के लिए नहीं होगा वरन् इसे शिक्षा आदि सम्बन्धी सभी अधिकार दिए जायेंगे तथा कर भी पश्चिमी बंगाल सरकार के नियंत्रण में वह लगा सकेगा। डा० राय ने कुछ भी कहा हो, परन्तु भारत के प्रधान मंत्री का आश्वासन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे चन्द्रनगर की जनता संतुष्ट हो सके। और इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि जिन चार बातों के सम्बन्ध में वचन दिए गए हैं उनका पूर्णरूप से पालन होना चाहिए परन्तु यदि इन वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो चन्द्रनगर की जनता के तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति में लगे हुए लोगों के हृदय टूक टूक हो जायेंगे। इसके विपरीत यदि इन वचनों का पालन किया गया तो इन अन्य विदेशी बस्तियों में शीघ्र स्वतन्त्र होने की इच्छा जाग्रत होगी।

इस विधेयक के खंड ५ (ख) के अन्तर्गत दिया है कि हुगली से निर्वाचित सदस्य ही

[श्री एन० सी० चटर्जी]

लोकसभा में चन्द्रनगर का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसके अनुसार मैं ही वह सदस्य हूंगा और मैं इस उत्तरदायित्व को उठाने में अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं। कुछ मास हुए चन्द्रनगर में हुगली ज़िला राजनीतिक सम्मेलन मेरे सभापतित्व में हुआ था। उसके सम्बन्ध में लोगों ने बड़ी आलोचना की थी तथा कुछ ने मुझ से पूछा भी था कि चन्द्रनगर हुगली ज़िले का भाग नहीं है तब यहां यह सम्मेलन क्यों किया जा रहा है। उस समय मैंने भविष्य वाणी की थी कि यह हुगली ज़िले में ही मिलाया जायेगा तथा मुझे अब प्रसन्नता है कि यह अब हुगली निर्वाचन-क्षेत्र के साथ ही साथ उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

मैं प्रधान मंत्री का ध्यान श्री अरुण चन्द्र दत्त आदि की चार मांगों की ओर दिलाऊंगा तथा आशा करूंगा कि वे इनका सहानुभूति-पूर्ण उत्तर देंगे। प्रथमतः वे चन्द्रनगर से एक प्रतिनिधि के चुनाव का अधिकार चाहते हैं। दूसरे वे चन्द्रनगर में निगम चाहते हैं जिसको साधारण निगमों से अधिक अधिकार हों। तीसरे वे सन्तुष्ट चन्द्रनगर तथा चौथे केन्द्र से धन की सहायता चाहते हैं। इसी आधार पर मैं प्रधान मंत्री से चार स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। पहला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा कर सम्बन्धी पर्याप्त अधिकारों वाला निगम। दूसरे धन की काफी सहायता दी जाये यदि आप सही आंकड़े बताने में समर्थ नहीं हैं, तब केवल यह आश्वासन दे दें कि उन्हें ये सहायता मिलेगी अथवा नहीं। तीसरे तीन वर्षों में धीरे धीरे विधि का परिवर्तन किया जाये क्योंकि चन्द्रनगर में फ्रांसीसी विधि का प्रचलन था और विधेयक के खंड १९ (३) में यह अवधि केवल एक वर्ष रखी गई है। तथा चौथे चन्द्रनगर का कम से कम एक प्रतिनिधि पश्चिमी बंगाल विधान सभा में हो।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री. के भाषण के पश्चात्।

श्री एस० वी० रामस्वामी : उपमंत्री ने चन्द्रनगर की जनसंख्या ५०,००० बताई है। अतः में मतदाताओं की संख्या २५,००० मान लेता हूं। क्या झा समिति की यह सम्मति है कि २५,००० मतदाताओं की ओर से विधान सभा में एक सदस्य होना चाहिए ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह एक सीधा-सादा और औपचारिक विधेयक है तथा माननीय सदस्य के इस कथन से कि इस विधेयक पर विचार करने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है मैं पूर्णतया सहमत हूं। जैसे ही हम यह विधेयक पारित करेंगे वैसे ही भारत के एक अन्य छोटे भाग से वैदेशिक शासन का सर्वथा अन्त हो जायेगा। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी कुछ छोटे छोटे क्षेत्र भारत में रहे जो कि अभी तक स्वतन्त्र नहीं हैं तथा इनको स्वतन्त्र कराने के लिए हम औपचारिक धैर्यपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं कुछ माननीय सदस्यों ने अत्यधिक धैर्य के लिए हमारी आलोचना भी की है। परन्तु फिर भी हम उसी मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि हम शान्ति से इन झगड़ों को सुलझा कर दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि बाद में कटुता का अंश शेष न रह जाये। इसीलिए यह एक आनन्ददायक तथा ऐतिहासिक अवसर है।

इसके पश्चात मैं सदन को याद दिलाऊंगा कि यह विलय का एक औपचारिक विधेयक है, क्योंकि संविधान के अनुसार इसकी आवश्यकता है। अतः इस प्रकार के विधेयक में चन्द्रनगर के शासन के सम्बन्ध में विस्तृत विव-

रण देना बिल्कुल ठीक नहीं है । अब इसका विलय भारत में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी बंगाल में होने जा रहा है । अतः कुछ कार्य राज्य सरकार को करने होंगे तथा कुछ भारत सरकार को । अतः यदि हम इस विधेयक में पश्चिमी बंगाल राज्य के कार्यों की सूची देने लगें, तब हम न केवल पथभ्रष्ट ही हो रहे होंगे, अपितु मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमारे लिए उपयुक्त न होगा ।

इसके अलावा, संविधान के अनुसार, इस प्रकार के विधेयक को सम्बन्धित राज्य को वहां की विधान सभा में विचार के लिए भेजना चाहिए तथा उसकी स्वीकृति के पश्चात ही इस सभा में उस पर विचार किया जा सकता है । यह विधेयक इसीलिए पश्चिमी बंगाल सरकार को भेजा गया तथा वहां पर दोनों सभाओं ने इस पर विचार किया तथा स्वीकृति दी । अतः यदि अब हम इसमें कोई परिवर्त्तन करते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि इस स्वीकृति के पश्चात हमें इसको विचार के लिए दोबारा भेजना होगा अथवा नहीं । अतः मैं कहूंगा कि यह विधेयक एक साधारण विलय का विधेयक समझा जाय । ठीक है कि इसमें अन्य विषयों की ओर भी निर्देश है, परन्तु निश्चय ही यह एक विलय का विधेयक है । और इसीलिए जिन विषयों पर हम सहमत थ उन विषयों को हम ने इस विधेयक में स्थान नहीं दिया है । दोनों माननीय सदस्यों ने चन्द्रनगर के निगम के लिए अधिक ज़ोर दिया है । जब से डा० अमरनाथ झा ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तभी से यह विषय स्वीकृत हो चुका है । यदि श्री चटर्जी अथवा अन्य कोई माननीय सदस्य मुझ से इस सम्बन्ध में आश्वासन चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरे ज़ोर-शोर से बता देना चाहता हूं कि वहां निगम निर्माण करने का हमारा पूर्ण विचार है । यदि विधेयक में निगम शब्द रखना है तो हमें निगम के कार्यों का ब्यौरा भी देना होगा । डा० अमरनाथ झा ने अपने प्रतिवेदन में ऐसे अधिकारों का उल्लेख किया है जो कि सभी नगर पालिकाओं को प्राप्त हैं । एक या दो इनके अलावा भी हैं । इसलिए डा० अमरनाथ झा ने तो निगम के अधिकारों से भी कहीं अधिक अधिकार रखे हैं । तो निगम शब्द रखने मात्र से क्या लाभ । अतः विलय सम्बन्धी विधेयक में निगम शब्द रखने से कोई लाभ नहीं, जबकि उसके अधिकारों का वर्णन न हो । भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से यह बिल्कुल स्पष्ट किया जा चुका है कि पर्याप्त अधिकारों का एक निगम स्थापित किया जायगा । मैं अभी यह नहीं बता सकता कि वे अधिकार क्या क्या होंगे । परन्तु इतना कह सकता हूं कि जिन अधिकारों की चर्चा डा० अमरनाथ झा ने की है, वे तो दिए ही जायेंगे बल्कि सम्भव है उससे भी अधिक दे दिए जायें ।

इस निगम के सम्बन्ध में दो, तीन बातें कही गई हैं । श्री चटर्जी ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा अस्पतालों का ज़िक्र किया था । मेरे लिए इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना नितान्त कठिन है, क्योंकि अन्तिम निर्णय बंगाल की विधान सभा ही करेगी जब निगम विधेयक वहां भेजा जायेगा । यह विधेयक भी उपमंत्री जी के कथनानुसार लगभग तैयार हो चुका है । जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है मेरे विचार में इसे निगम के अधीन ही रखा जायेगा । अस्पतालों के सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में बड़े बड़े अस्पताल राज्य सरकार के ही अधिकार में हैं । निगम के अधीन भी कुछ अस्पताल होंगे, परन्तु यह नहीं बताया जा सकता कि कितने अधिकार राज्य सरकार के होंगे तथा कितने निगम के । परन्तु यह निश्चित है कि निगम बनाया जायेगा तथा उसके पर्याप्त अधिकार होंगे ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमें ज्ञात होना चाहिए कि चन्द्रनगर का मामला भारत की अन्य विदेशी बस्तियों के मामलों से जो अब भी विदेशियों के अधिकार में हैं, कुछ भिन्न है। चन्द्रनगर एक छोटा-सा प्रदेश है इसलिए उसको इकाई के रूप में लेना असम्भव है। यह कलकत्ता के इतना समीप है कि उसी का एक भाग प्रतीत होता है इसलिए यह एक इकाई हो ही नहीं सकता। अत: इस पर अन्य भागों के समान विचार नहीं किया जा सकता। हमने इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में साधारण सिद्धान्त ये बनाये हैं कि हम वहां की प्रचलित, विधि, रूढ़ि, भाषा, धर्म आदि का समुचित आदर करेंगे तथा इस सम्बन्ध में कोई भी बड़ा परिवर्त्तन वहां की जनता की सम्मति के बिना नहीं करेंगे।

स्पष्टत: हम चन्द्रनगर को स्वायत्त-शासी एकक नहीं मान सकते हैं। दूसरी उत्तम व्यवस्था स्वायत्तशासी निगम की स्थापना है जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं। अन्य विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में जो अभी भी विदेशी हैं हमने दूसरे रूप में विचार किया है। इसका कारण स्वाभाविक है। जब तक जनता स्वयं इस विषय पर विचार नहीं करती है तब तक निकट भविष्य के लिये इनके अस्तित्व को माने लेते हैं।

मेरा निवेदन है कि निगम के प्रश्न के स्पष्ट कर देने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह विलय विधेयक है, संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं श्री चटर्जी के भाषण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चन्द्रनगर अत्यन्त उन्नत अवस्था में है अर्थात, फ्रांसीसी शासन के अधीन चन्द्रनगर की अवस्था शेष भारत से बढ़ चढ़ कर थी। मैं यह तुलना नहीं करना चाहता हूं कि चन्द्रनगर की स्थिति उन्नत थी अथवा निकृष्ट लेकिन श्री चटर्जी के वर्णन में थोड़ी अतिशयोक्ति थी।

डा० अमरनाथ झा ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि फ्रांसीसी सरकार ने अपने ७ नवम्बर, १९४७ के आदेश में (तिथि पर ध्यान दीजिये, अर्थात् भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्) इस नगर को वित्तीय और प्रशासनिक स्वशासन का अधिकार दिया। आदेश के संक्षिप्त वृत्तान्त से यह प्रकट हो जाता है कि कथत स्वशासन पर कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। कौंसिल के अध्यक्ष को अधिकार था कि वह अधिनियमों और कार्यवाहियों को शून्य एवं निरर्थक घोषित कर दे और म्यूनिसिपल असेम्बली को स्थगित कर दे।

मैं यह स्थिति स्पष्ट कर दूं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य है।

मेरा निवेदन है कि इन परिस्थितियों में, पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विधेयक का अनुमोदन कर दिये जाने पर, उसमें संशोधन करने का प्रयत्न करने से जटिलतायें और कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। लेकिन सदन की इच्छा हो तो मैं एक संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मेरा विचार है कि इससे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। यह संशोधन खण्ड १९ में अवधि से सम्बन्धित है। खण्ड १९ के उपखण्ड (३) में कहा गया है :

"(३) निश्चित दिन से एक वर्ष व्यतीत होने पर केन्द्रीय सरकार अथवा, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा।"

अर्थात्, आपात का सामना करने के लिये शक्ति दी गई थी। मैं श्री चटर्जी का यह सुझाव मानने के लिये तैयार हूं कि इस एक वर्ष की अवधि को बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया जाये। मैं नहीं समझता कि इससे विधेयक के मूल रूप में किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अन्तर उत्पन्न होगा।

मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि पश्चिम बंगाल विधान सभा आदि द्वारा स्वीकृत हो जाने के अतिरिक्त हम अभी समझौते की प्रारम्भिक स्थिति में ही हैं। फ्रांसीसी सरकार के साथ हमारी एक प्रकार की सन्धि है और हमें इस सन्धि की शर्तों के भीतर ही रहना है, हम उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।

श्री चटर्जी ने अर्थसाहाय्य की ओर निर्देश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम चन्द्रनगर की सहायता करेंगे लेकिन मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि सहायता की क्या सीमा रहेगी अथवा उसका क्या रूप होगा।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर आज ही विचार किया जाय और इसे पारित कर दिया जाना चाहिये। माननीय सदस्यने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस पर विचार स्थगित करके इसे जनमत ज्ञात करने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये; इस का वास्तविक अर्थ यह है कि--व्यावहारिक दृष्टि से तो इसका अभिप्राय विरोध करना ही है--इसे अस्वीकृत कर दिया जाये। ऐसा करना जो कुछ अब तक हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत तथा विरुद्ध होगा। उन्होंने इस उक्ति से आरम्भ किया कि वह शीघ्र विलय के लिये उत्सुक हैं लेकिन भाषण का उद्देश्य इसके विरुद्ध था। वह इसे अनिश्चित समय के लिये स्थगित करना चाहते थे। यह एक विचित्र बात है।

मुझे विश्वास है कि मैंने जो वक्तव्य एवं आश्वासन दिये हैं उसके पश्चात् सदन विधेयक को खण्ड १९ (३) में एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष कर देने के साधारण से परिवर्तन सहित स्वीकार कर लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा--श्री तुषार चटर्जी और श्री एन० सी० चटर्जी--के भाषणों के पश्चात और प्रधान मंत्री के विस्तृत वक्तव्य के पश्चात मैं नहीं समझता कि और भाषणों की आवश्यकता है। मैं संशोधन को सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि:

"That the Bill to provide for the merger of Chandernagore into the state of West Bengal and for matters connected there with, be taken into consideration."

["कि पश्चिमी बंगाल राज्य में चन्द्रनगर के विलय और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : क्या खंड २ के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३--(चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल का अंग बनाना)

श्री तुषार चटर्जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ।

श्री एम० डी० रामस्वामी (अरुप्पुक्कोटै) : मैं केवल दो प्रश्नों--वैधानिक विशेषाधिकार और निगम के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

[श्री एम० डी० रामस्वामी]

आ आयोग प्रतिवेदन में आयोग ने सिफारिश संख्या ५ में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चन्द्रनगर को पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिये एक सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार होना चाहिये और सरकारी निर्णय की छठी कण्डिका में भारत सरकार ने इस सिफारिश को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है :

> "कोई ऐसा ढंग निकाला जाना चाहिये जिससे कि आगामी आम चुनावों तक राज्य विधान सभा के लिये चन्द्रनगर को एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सके।"

यह बात सदा से ही स्वीकार की गई है कि चन्द्रनगर ने अभी तक जिस विशेष और असाधारण स्थिति का उपभोग किया है उसे ध्यान में रखते हुए उसे विशेष विधायिनी अधिकार मिलने चाहियें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण सरकार ने शिलांग के आदिमजाति क्षेत्र को विशेष अधिकार दिये हैं तो चन्द्रनगर के साथ भी वैसा ही किया जाना चाहिये। सरकार का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह इस सम्बन्ध में दिये गये अपने वायदों को पूरा करे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह आदिमजाति क्षेत्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : तुलना चाहे उपयुक्त न हो परन्तु उनका विचार है कि चन्द्रनगर के साथ विशेष प्रकार का बर्ताव किया जाये।

श्री एम० डी० रामस्वामी : संसद में प्रधान मंत्री ने कहा था कि दीर्घकाल तक विदेशी आधिपत्य में रहने के कारण इन क्षेत्रों में जिस प्रशासनिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी और न्याय पद्धति का विकास हुआ है वह शेष भारत से सर्वथा भिन्न है। क्या उच्च स्तरीय प्रशासन का उपयोग करने वाले ये व्यक्ति विशेष व्यवहार के अधिकारी नहीं हैं ?

संविधान के अनुच्छेद १७० (२) में विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है और उसमें किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिये अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या निश्चित नहीं की गई है। चन्द्रनगर की जनता की इच्छा है कि चन्द्रनगर में कोई अन्य भूप्रदेश न जोड़ा जाये। प्रचलित पद्धति के अनुसार विधान सभा के लिये एक निर्वाचन-क्षेत्र में १००,००० से १५०,००० तक जनसंख्या होती है। यदि चन्द्रनगर के सम्बन्ध में भी यही नीति अपनाई गई तो सम्भव है कि उसे वैयक्तिक प्रतिनिधित्व प्राप्त ही न हो। यदि सरकार अपने वायदों की पूर्ति पर दृढ़ है तो मैं सरकार से इस आशय का कोई आश्वासन देने की प्रार्थना करता हूं कि यदि चन्द्रनगर में किसी अन्य क्षेत्र का जोड़ा जाना आवश्यक हो तो उस क्षेत्र के जोड़े जाने से चन्द्रनगर की जनसंख्या ७५,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये जो किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निर्धारित न्यूनतम संख्या है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार जो भी निर्णय करेगी उसका विदेशी सत्ता से मुक्त होने के लिये संघर्ष कर रही दूसरी बस्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विचार है कि वह जिस विषय को आधार मान कर विवाद कर रहे हैं उसे पहले ही निपटा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री एम० डी० रामस्वामी का संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ४ में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खण्ड ३ और ४ को एक साथ प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"खण्ड ३ और ४ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ५।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ५ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ६—(चन्द्रनगर का पश्चिम बंगाल विधान सभा में प्रतिनिधित्व)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"**खंड ६** से १५ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ६ से १५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १६—(चन्द्रनगर में वर्तमान पदाधिकारियों तथा और प्राधिकारियों का रहना)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १६।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं जिसका उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट एवं सरल है। इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों में जिनमें से अधिकांश फ्रांसीसी भाषा जानते हैं और अंग्रेजी अथवा हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते हैं, एक सन्देह की भावना व्याप्त हो रही है कि कहीं भावी प्रशासकों द्वारा उन्हें निकाल दिया जाये। मेरा विचार है कि खण्ड १६ में प्रस्तुत उपबंध का समावेश कर लेने में कोई हानि नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। फ्रांसीसी सरकार के साथ किये गये हमारे समझौते के मसविदे के अनुसार हमने इसके बारे में उन्हें आश्वासन दिया था। हम लोग बाध्य हैं। किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। सेवाओं से सम्बन्धित मसविदे के भाग को मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"भारत में फ्रांसीसी संस्थापनाओं के ऐसे नौकरों और असैनिक कर्मचारियों को जो अपनी राष्ट्रीयता रखना चाहें और संधि के कार्यान्वित होने के तीन महीने के भीतर ही अपने पहले शासन की सेवा करने की इच्छा प्रकट करें, ऐसा करने की अनुमति दे दी जायगी, और चन्द्रनगर के स्वतन्त्र नगर और भारत में फ्रांसीसी संस्थापनाओं के उन नौकरों और असैनिक कर्मचारियों को, जिन्हें भारत गणराज्य की सरकार अपनी सेवा में रखने की इच्छुक हो, संधि के कार्यान्वित होने की तिथि के एक मास के अन्दर ही तीन महीने की पूर्व-सूचना, उनकी सेवाओं के समाप्त होने की दी जायगी और उन्हें उनकी सेवाओं के समय से पूर्व समाप्त होने के लिये उचित प्रतिकार दिया जायगा।" तीन महीने और एक महीना दोनों व्यतीत हो गय हैं। अब यह प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं संशोधन को सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नहीं मैं एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या हम लोग मसविदे में जो कुछ है उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा नहीं किया जाता। मसविदा भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार हर एक पर लागू होता है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है। हम उस संधि का अतिक्रमण नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसे सभा के सम्मुख रखूं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : नहीं, मैं इस पर आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १७--(**चन्द्रनगर पर विधियों का प्रवर्तन**)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १७ श्री गुरुपादस्वामी ।

श्री गुरुपादस्वामी ने अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत किया ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रधान मंत्री से एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस मसविदे में इस मामले से सम्बन्धित कुछ है ? यदि निश्चित तिथि के पूर्व चलाये गये अनिर्णीत मुकद्दमे पश्चिमी बंगाल सरकार की विधियों के अन्तर्गत तय किये जाते हैं तो इससे वैधानिक अनियमितता उत्पन्न हो सकती है ।

श्री वेंकटरामन् : उपाध्यक्ष महोदय, यह उसमें आ जाता है क्या आप कृपया खण्ड १८ (घ) देखेंगे ? अनिर्णीत मामलों पर पुरानी विधियां ही लागू होंगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : फिर भी, हमें कुछ सन्देह हैं । मैं इस मामले के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का विचार जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वैधानिक कार्यवाहियों में वर्तमान विधियां जारी रहेंगी । मैं इस संशोधन को आवश्यक नहीं समझता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इस पर आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १८ में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ और १८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १७ और १८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १९--(कठिनाइयों को हटाने की शक्ति)

श्री तुषार चटर्जी द्वारा संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत किया गया ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि द्वितीय भाग में नगर निगम के निर्माण पर निरोध न लगाने के बारे में कुछ कहा गया है । इसका अर्थ बड़ा ही संकुचित है ।

जहां तक प्रथम भाग का प्रश्न है, इसकी भाषा अच्छी नहीं है । इसमें केवल "चन्द्रनगर के जनमत को जानने के बाद" कहा गया है । जनमत क्यों जाना जाये उनका तात्पर्य है कि जनता से परामर्श लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यही वह चाहते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने अपने संशोधन में यह नहीं कहा है । फिर भी इस प्रकार की अस्पष्ट शब्दावली को हम एक विधेयक में स्थान नहीं दे सकते कि प्रत्येक छोटी छोटी बात के लिए जनता से परामर्श लिया जाय । किस प्रकार परामर्श लिया जाये ? ऐसा करने का यह उचित ढंग नहीं है । जब नगर निगम है, तो वह उसका प्रतिनिधि होगा । जनमत जानने के अन्य ढंग भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।

श्री तुषार चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति ३५ में "one year" ("एक वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ६, पंक्ति ३५ में "one year" ("एक वर्ष") के स्थान पर "three years" ("तीन वर्ष") रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, १९४७ के बाद आज का दिवस स्मरणीय रहेगा क्योंकि आज हम फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के एक भाग को अपने में मिला रहे हैं। हमें दुख है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के ७–८ वर्ष बाद भी हमने दूसरी विदेशी बस्तियों को अपने में मिलाने के लिए शीघ्रता से कोई कदम नहीं उठाया। १९४७ में चन्द्रनगर के सम्बन्ध में जनमत लिया गया था। हम ५ वर्ष तक रुके रहे। सरकार भारत में विदेशी बस्तियों को मिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रही है। इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। हमें सभी विदेशी बस्तियों के लिए एक ही नियम पर चलना चाहिए था न कि भिन्न भिन्न पर। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके लिए भी सरकारी नीति उत्तरदायी है।

मुझे आशा है कि इसके बाद हमारी सरकार अन्य विदेशी बस्तियों के मामलों को सुलझाने में विलम्ब करने की नीति का प्रयोग नहीं करेगी। मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए **]**

श्री वेंकटरामन : यह हर्ष का अवसर है और हमें गर्व है कि हमारे देश का एक भाग जो हम से अलग था अब विधि के अनुसार हम में मिल जायगा। अनेक नवयुवकों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा और अब भी सहना पड़ रहा है। वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उनकी विदेशी बस्तियां भी मद्रास राज्य में मिलाई जायेंगी। उनके मिलने का क्या परिणाम होगा इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वहां की जनता पर किसी प्रकार भी यह प्रभाव न पड़ने पावे कि भारत सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये जाते। पांडीचेरी, तथा अन्य फ्रांसीसी बस्तियों व गोआ की जनता भारत में मिलने के लिए आतुर हैं।

श्री तुषार चटर्जी ने जिस अभ्यावेदन का उल्लेख किया है उस के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक के खण्ड की भाषा पर ध्यान दें। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना पश्चिमी बंगाल सरकार के हाथों में नहीं है। अतः चुनाव आयोग केवल चन्द्रनगर चुनाव क्षेत्र बन सकता है। जनता की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। चन्द्रनगर की जनसंख्या ५०,००० है। अतः अधिक से अधिक २५,००० जनसंख्या का क्षेत्र उस चुनाव क्षेत्र में और मिलाया जा सकता है। फिर भी चन्द्रनगर की जनता की आवाज़ ज़ोरदार रहेगी।

[श्री वेंकटरामन्]

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में अन्य विदेशी बस्तियां भी अपनी मातृभूमि में मिल जायेंगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विधेयक का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, तीन उद्योगों जैसे साबूदाना और टैपीओका के दाने, रेगमाल और रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का संरक्षण जारी रखना है।

प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६ (२) के अधीन अपेक्षित इन मामलों के सम्बन्ध में आयोग के प्रतिवेदन और उन पर सरकार के संकल्पों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। आयोग की मुख्य मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकार के निर्णयों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां सभा के सदस्यों के पास भेज दी गयी हैं। अतः मैं उनका पिष्टपेषण करना नहीं चाहता।

साबूदाने और टैपीओका के दानों का उद्योग इस समय दक्षिण भारत में सलेम नगर तथा उस के आसपास के गांवों में केन्द्रित है और इससे उस क्षेत्र के कृषकों को अतिरिक्त आय होती है। इस उद्योग को १९५१ से प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण काल में इसमें पर्याप्त प्रगति हुई है और एककों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है जैसे १९५० में ४० से बढ़ कर अब १२५ हो गये हैं और सब छोटे कुटीर उद्योग के रूप में चलाये जाते हैं।

उद्योग की विस्तृत, जांच करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन तथा सहायता दोनों की ही आवश्यकता है जिससे कि जनसाधारण को काम मिल सके और अस्वस्थ लोगों को पथ्य-रूप में तैयार किया गया भोजन मिल सके। इस मामले में और दो वर्ष अर्थात ३१ दिसम्बर १९५६ तक संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

रेगमाल उद्योग को सन १९४७ से संरक्षण मिला हुआ है और इस संरक्षण काल में इस उद्योग ने निरन्तर प्रगति की है और स्वदेशी रेगमाल की किस्म में भी कुछ सुधार हुआ है। रेगमाल एक आवश्यक पदार्थ है, और बहुत से उद्योगों में, विशेषतः इंजीनियरिंग के कारखानों, मोटर के कारखानों, तथा रेलवे के कारखानों में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इस उद्योग की स्थापना पिछले युद्ध-काल में हुई थी। उन दिनों युद्ध के कारण इसके संभरण की कमी होने से, यद्यपि शान्ति-काल में कोई भी व्यक्ति ऐसी साधारण वस्तु के महत्व को नहीं समझता किन्तु एक समय ऐसा आया जबकि बहुत से महत्वपूर्ण उद्योगों में यहां तक कि रेलों में भी रेगमाल की कमी महसूस की गई। इसलिए हम यह समझते हैं कि इस प्रकार की आकस्मिक कमी की पुनरावृत्ति फिर नही होनी चाहिए।

आयोग ने एक और वर्ष के लिए अर्थात ३१ दिसम्बर १९५५ तक के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की है ताकि यह उद्योग

अपनी स्थिति सुदृढ़ बना सके । सरकार ने रेगमाल उद्योग का संरक्षण जारी रखने की सिफारिश स्वीकार कर ली है । सभा को यह ज्ञात होगा कि केवल यह प्रस्ताव किया गया है कि संरक्षण शुल्क की वर्तमान दरों को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाय और उपभोक्ता पर कोई और अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा । आयोग ने एमरी के बने पिलेटों की जांच को छोड़ दिया है, क्योंकि ये आजकल भारतवर्ष में नहीं बनते और इसलिए उन्हें संरक्षण के क्षेत्र से निकालने का प्रस्ताव किया गया है ।

अब मैं रेशम के कीड़े पालने के उद्योग को लेता हूं । यह हमारे देश का पुराना उद्योग है जिसका प्रचार अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और किसानों के लिए यह उतना ही उपयोगी है जितना कि अन्य कुटीर उद्योग । इस उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के संगठनात्मक तथा टैक्निकल रूप से पिछड़े होने के कारण इस उद्योग में बहुत धीरे धीरे प्रगति हुई है तथा बहुत ही कम प्रगति हुई है और इसे चीन तथा जापान और कभी कभी इटली से बहुत ही कड़ा मुकाबला करना पड़ा है । स उद्योग में लगे ग्रामीण निवासी इतनी टेक्नीक तथा संगठन को समझने में पटु नहीं हैं । इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी यह उद्योग अभी तक बाकी है और इसे बनाये रखने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

इस उद्योग के मुख्य केन्द्र मैसूर, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, और जम्मू तथा काश्मीर में हैं । जम्मू तथा काश्मीर में यह उद्योग राज्य के उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है । अन्य केन्द्र आसाम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, बिहार और उड़ीसा में हैं ।

प्रशुल्क आयोग ने रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के महत्व को एक कुटीर उद्योग के रूप में स्वीकार किया है और कहा है कि इस उद्योग को सरकार की ओर से पूरा पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद आयोग ने यह सिफारिश की है कि इस उद्योग को दिये हुए संरक्षण की अवधि आगामी पांच वर्ष के लिये अर्थात् ३१ दिसम्बर १९५८ तक और बढ़ा देनी चाहिए । सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । सरकार ने रेशमी कपड़े कतरन तथा टुकड़े, सूत के टुकड़े और रेशमी कपड़े सीने वाले डोरों पर संरक्षण प्रशुल्क की दरों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । आयोग ने अन्य संरक्षण प्राप्त श्रेणियों जैसे कच्चे रेशम, रेशम के डोरे आदि के सम्बन्ध में शुल्क में कमी करने की सिफारिश की है । हमें इस बात का पक्का पता नहीं है कि क्या शुल्क के दरों में कमी कर देने से भारतीय कच्चा रेशम आयातित रेशम का मुकाबला कर सकेगा क्योंकि उपभोक्ता आयातित रेशम को बहुत अधिक पसंद करता है । महत्वपूर्ण बात यह है कि आयातित रेशमी कपड़े की बाजारों में कीमत अब भी तटागत मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक है, और कहीं ऐसा न हो कि शुल्क में की गई यह कमी उपभोक्ता पर थोप दीजावे और इससे आयात करने वाले को ही अधिक लाभ हो । यदि उपभोक्ता के लिए भी मूल्य में कमी करनी है तो उसका सीधा सा रास्ता यह है कि आयात की नीति में उदारता बरती जाय । इस पर अलग से विचार किया जायेगा । आजकल की वस्तुस्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कच्चे रेशम पर शुल्क की वर्तमान दरों को कम करना चाहिए ।

आयोग ने रेशमी कपड़े के आयात शुल्क में भी काफ़ी कमी करने की सिफारिश की है । इस सम्बन्ध में सरकार ने यही निश्चय किया है कि शुल्क की वर्तमान दरें चालू रहनी

[श्री करमरकर]

चाहिएं, क्योंकि सूती कपड़े पर हमारा आयात शुल्क बहुत अधिक है और रेशमी कपड़े जैसी विलास की सामग्री पर कम शुल्क लगाना शायद ही न्यायोचित हो।

कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने, इसकी लागत घटाने तथा इसकी किस्म को सुधारने, इस उद्योग में नवीनतम टैक्निकल सुधार करने और विभिन्न राज्यों में जो काम अब तक हुआ है उसे संगठित करने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने भी शहतूत की कलमों के वितरण, लपेटने के यंत्रों के आधुनिकीकरण, सहकारी समितियों द्वारा विक्रय की स्थिति सुधारने, पदाधिकारियों को उच्च शिक्षा के लिये भेजने इत्यादि के सम्बन्ध में एक कार्यक्रम बनाया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : साबूदाना दक्षिण भारत में टैपीओका की जड़ से तैयार किया जाता है। टैपीओका सैलम ज़िले में तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पैदा होता है। टैपीओका केवल किसानों को ही लाभ नहीं पहुंचाता, अपितु इससे एक कुटीर उद्योग की उत्पत्ति भी हुई है। सैलम ज़िले में इसके १२५ कारखाने हैं जिसमें ५०,००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। साबूदाने का सबसे बड़ा बाज़ार कलकत्ता में है। अचानक ही इस जुलाई में कलकत्ता-निगम ने साबूदाने के लगभग १० हज़ार बोरे जिनका अनुमानतः मूल्य ४० लाख रुपये होगा, जब्त कर लिये। पहले कलकत्ता निगम ने यह आरोप लगाया कि यह मिलावटी है, किन्तु यह सिद्ध नहीं कर पाये और बात समाप्त कर दी। इसके बाद बहुत से व्यापारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के अन्तर्गत इसकी ब्रांड बदलने और धोखा देने का आरोप लगाया गया। वे मामले अभी तक विचाराधीन हैं। जब पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह देखा कि इस मामले में कोई जान नहीं है तो १३ सितम्बर १९५४ को एक अधि-सूचना जारी करके ऐक बेजान अभियोग की नींव डाली है। इसमें यह कहा गया है कि साबू-दाना केवल उसी को माना जा सकता है जो साबूदाने के वृक्ष के तने के गूदे से प्राप्त मांड से तैयार किया जाता है।

जब मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे तो बहुत ही सुसंगत उत्तर दिये गये। यह उदा-हरण देने का मेरा अभिप्राय तो यही है कि सरकार कहती है कि हम संरक्षण दे रहे हैं, किन्तु वह संरक्षण केवल कागज़ पर है।

विभिन्न राज्यों ने साबूदाने की परिभाषा अलग अलग की है। फिर भला ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार संरक्षण दे सकते हैं? अभी तक अभियोग वापिस नहीं लिये गये हैं और न उनका सामान ही वापिस दिया गया है।

श्री करमरकर : जहां तक पश्चिमी बंगाल सरकार का सम्बन्ध है उसने अभियोग वापिस ले लिये है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अभियोग अभी तक वापस नहीं लिये गये हैं। साबूदाने के दाने तथा टैपीओका के दाने अलग अलग हैं; इनके नामों के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो यह है कि वह यह चाहते हैं कि किसी गूदे से उत्पादित वस्तु विशेष तक ही यह सीमित रहना चाहिए। किन्तु सरकार का यह उद्देश्य नहीं है। यदि आप १६ तारीख को पूछे गये मेरे प्रश्न के भाग (ग) को देखें तो आपको पता चल जायेगा कि केन्द्रीय सरकार ने खाद्य माप सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की परिभाषा

को स्वीकार कर लिया है । किन्तु राज्य सरकारों ने उस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है और वे "टैपीओका की जड़" इन शब्दों की जान-बूझ कर उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री करमरकर : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उससे भ्रान्ति उत्पन्न होने की सम्भावना है । स्थिति इस प्रकार है कि वह माल कलकत्ता बाज़ार में आया था । चूंकि यह टैपीओका के दानों से बना था अतः इसे साबूदाना तथा कुछ अन्य कहा गया । प्रारम्भ में पुलिस ने कार्यवाही की और माल ज़ब्त कर लिया गया । हमने इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से बातचीत की और कार्यवाही रोक दी गई । कलकत्ता निगम अब कुछ कार्यवाही कर रहा है और उस कार्यवाही के कारण वह माल रोका गया है ।

इस विधाम के सम्बन्ध में हमारी कठिनाई यह है कि अब हम एक उद्योग विशेष को संरक्षण दे रहे हैं । यह स्थानीय चीज़ जिसे कि संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है, टैपीओका की जड़ से बनायी जाती है । कलकत्ता निगम इसका दूसरा ही पहलू लेता है । उनका कहना यह है कि यदि इसे टैपीओका के दाने कहा जाये तो हम इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, किन्तु यदि इसे कुछ और कहा जायेगा, तो हम इसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे । अब हमारी कठिनाई यह है कि बाहर से आने वाला यह माल जिसे साबूदाना बताया गया है, विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है । यहां हम टैपीओका की जड़ों से तैयार करते हैं जबकि अन्य स्थानों पर से चुकन्दर की जड़ों से बनाया जाता है ।

माननीय मित्र कह रहे थे कि हम टैपीओका के दाने के उद्योग को संरक्षण देना चाहते हैं और कोई सरकार विशेष अथवा निगम कोई और कार्यवाही करती है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को हल करने के अन्य ढंग भी हैं । जो कार्यवाही की जा रही है उसका हवाला माननीय मित्र की कोई सहायता नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : जहां तक वर्तमान विधेयक का प्रश्न है, कलकत्ता निगम अथवा अन्य स्थानों पर जो कुछ भी हो रहा है, उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एस० बी० रामस्वामी : आप यह देखेंगे कि भारतीय प्रशुल्क बोर्ड के १९५० तथा १९५४ के प्रतिवेदनों के आधार पर इस संरक्षण के बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है । १९५० के निर्देश पदों में कहा गया है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने साबूदाना उद्योग को संरक्षण या सहायता दिये जाने सम्बन्धी मांग को जांच पड़ताल के लिए तटकर बोर्ड को सौंप दिया था । उसी प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि देशीय निर्माता केवल टैपिओका दाना बनाते हैं । आयात की हुई वस्तु टैपियोका या साबू से बनाई जाती है और भारत में साबूदाना के रूप में बिकती है अतः प्रतिवेदन केवल टैपिओका के बारे में है और सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ।

सभापति महोदय : सरकार इस बात पर नहीं झगड़ रही है । भारत में जो कुछ बनाया जाता है वह टैपियोका की जड़ों से बनाया जाता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, यह इतनी सरल बात नहीं है । पश्चिम बंगाल ने स्वयं इसे एक भिन्न रूप में किया है । इस उद्देश्य के लिए इसकी व्याख्या होनी चाहिए और यह प्रशुल्क अधिनियम में सम्मिलित होना चाहिये । प्रतिवेदन की कंडिका संख्या ५ में कहा गया है कि यह टैपियोका की जड़ से बनाया जाता है और इसके कारखाने अधिकतर ज़िला सैलम में हैं । इस बारे में तो कोईगलती

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

हो ही नहीं सकती है कि सरकार टैपियोका से बने साबूदाने को संरक्षण देना चाहती है ।

सभापति महोदय : यदि आप उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को देखें तो आपको विदित होगा कि सरकार साबू तथा टैपियोका में भेद मानती है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : टैपियोका के दाने और प्रकार के होते हैं । यह विधेयक प्रशुल्क आयोग के १९५४ के प्रतिवेदन पर आधारित है । उस प्रतिवेदन में "टैपियोका दाना" को साबूदाना का पर्यायवाची माना गया है ।

सभापति महोदय : यह आपका मत है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : यह मेरा नहीं अपितु प्रशुल्क आयोग का मत है जिसे सरकार ने स्वीकार किया है ।

श्री करमरकर : यदि मेरे मित्र अन्त-र्बाधा के लिए क्षमा करें तो मैं सभा को यह बता सकता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार तथा अन्य सरकारों को अपना मत भेज रहे हैं । परन्तु मैं इसे बकवास बनाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं—मान लीजिये कि हम इस विधेयक के किसी संगत खण्ड के नीचे एक टिप्पणी रखते हैं "व्याख्या कलकत्ता में की जा रही कार्यवाही हमारी दृष्टि में सर्वथा गलत है ।" मान लीजिये कि संसद् ऐसा कहता है, थोड़ी देर के लिए यह मानते हुये, यह पश्चिमी बंगाल की सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है ।

सभापति महोदय : संसद ऐसा नहीं कह ता है ।

श्री करमरकर : और संसद् ऐसा नहीं कह सकता है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं कलकत्ते में अनिर्णीत पड़े मामलों का निर्देश नहीं कर रहा हूं । आप एक विशेष वस्तु को संरक्षण देना चाहते हैं । यदि यह ठीक है, तो इस बात को स्वयं प्रशुल्क अधिनियम में ही सम्मिलित कर दीजिये । यदि आप संशोधन संख्या ५ को पढ़ें तो वह बहुत ही स्पष्ट है ।

सभापति महोदय : हम इस पर बाद में आयेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं एक बार फिर इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि सरकार के अभिप्राय बहुत अच्छे हैं । वह एक छोटे पैमाने के उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है और उसे संरक्षण देना चाहती है । मैं इस सभा को केवल यह बताना तथा समझाना चाहता हूं कि सरकार जो संरक्षण देती है वह केवल कागज़ों पर ही रहता है । वास्तव में यह एक निरर्थक विधि है । अतः जब तक स्वयं केन्द्र ही प्रशुल्क अधिनियम के द्वारा यह संकेत नहीं देता कि उसका अभिप्राय क्या है, और वह किसे संरक्षण देना चाहता है; तब तक प्रत्येक राज्य इन उपबन्धों का निर्वाचन अपनी इच्छानुसार करेगा और फिर अधि-नियम एक निरर्थक विधि बन जायेगा । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इसे स्वीकार करने की कृपा करे ताकि यह स्पष्ट हो कि वह किसे संरक्षण देना चाहता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं इस तर्क वितर्क-में नहीं पड़ना चाहता कि पश्चिम बंगाल सर-कार की कार्यवाही उचित है या नहीं । बहुत से बंगाल निवासी कुछ समय से टैपियोका के दानों को साबूदाना समझ कर खाते रहे हैं । सरकार ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया है ।

यद्यपि यह विधेयक बहुत साधारण है, परन्तु यह इतना साधारण नहीं है जितना कि प्रतीत होता है क्योंकि इसमें एक सिद्धान्त सम्मिलित है । आपको स्मरण होगा कि

पिछले अप्रैल में वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय माननीय वाणिज्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि दी जाने वाली प्राथमिकतायें विचाराधीन हैं । शुल्कों के मामलों में कुछ देशों को प्राथमिकतायें दी जा रही हैं। १८ मई के सरकारी संकल्प में कहा गया है कि भारत ब्रिटिश व्यापार समझौता के अनुसार कुछ शुल्कों में कुछ विषमता का होना आवश्यक है ।

विभिन्न देशों से किये गये आयात पर विषम या विभिन्न शुल्क का यह प्रश्न एक और प्रश्न उत्पन्न करता है । यदि जांच पड़ताल मैलम के साबूदाना बनाने के उद्योग तक ही सीमित होती, तो मैं इसे समझ सकता था । प्रशुल्क आयोग ने, जिसमें कोई भी व्यक्ति टैपियोका या उसे उत्पन्न करने वालों के बारे में जानकारी रखने वाला नहीं था, एक दम यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इस देश में टैपियोका उगाने के लिए मद्रास से दो या तीन व्यक्तियों को विदेश भेजना पड़ेगा । आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि त्रावनकोर-कोचीन के लिए टैपियोका का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । इस छोटे से राज्य में लगभग १५ लाख टन टैपियोका प्रतिवर्ष उत्पन्न किया जाता है । अतः यह एक ऐसी समस्या है जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है । इसका इतना उत्पादन होने पर भी औसत से इसका उत्पादन दो से तीन टन प्रति एकड़ रहता है, जबकि अन्य देशों में यह दस से बारह टन है। इस सम्बन्ध में हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि इसका कारण यह नहीं है कि हमारे कृषक इसकी कृषि-विधि को नहीं जानते हैं। जब तक यह सरकार कृषकों को टैपियोका के स्थिर तथा उचित मूल्यों का आश्वासन नहीं देती है तब तक उत्पादन में वृद्धि होना असम्भव है । इस प्रकार छोटे से उद्योग को संरक्षण, अपूर्ण संरक्षण देकर आप टैपियोका उगाने वालों में आशा का संचार नहीं कर सकते हैं । टैपियोका कृषि की समस्या का किसी अन्य प्रकार से समाधान करना होगा ।

मैं देखता हूं कि पिछले कई वर्षों से भारत से होने वाले मांडी के निर्यात में कमी हो रही है । आप जानते हैं कि औद्योगिक मांडी एक ऐसी वस्तु है जो देश में बनाई जा सकती है और इतनी बनाई जा सकती है कि बड़ी मात्रा में इसका निर्यात हो सकता है और इससे कृषकों को बहुत लाभ होगा । औद्योगिक मांडी के लिए सरकार टैपियोका-मांडी का स्तर क्यों निर्धारित नहीं कर सकती है ? आपको विशिष्ट रूप से केवल यही बताना है कि उदाहरणार्थ, वस्त्र उद्योग केवल ऐसी मांडी को लेगा । आपने टैपियोका से यहां बनने वाली मांडी में सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया है और इसके विपरीत आप टैपियोका की मांडी के आयात की अनुमति देते हैं । जहां तक इस शुल्क का सम्बन्ध है यह केवल "नाम के वास्ते" है । इससे स्थिति पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ता है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने टैपियोका की समस्या को पूर्णतया एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा है, और हमारे लाखों कृषकों की दृष्टि से कभी नहीं देखा है । मैं चाहता हूं कि टैपियोका दाना या मोती के सम्बन्ध में सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे । यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें निर्यात की बड़ी गुंजाइश है । मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यदि हम औद्योगिक मांडी बनाने लगें, तो संसार का कोई भी देश भारत से प्रतियोगिता नहीं कर सकेगा । । इसके साथ ही साथ, इससे उगाने वालों को बहुत अच्छे मूल्य प्राप्त होंगे।

त्रावनकोर-कोचीन की स्थिति भिन्न है । अभी तक वहां की सरकार तथा जनता बाहर से आने वाले चावल पर निर्भर रहती है। वहां जब कभी चावल की कमी होती है तो लोग टैपियोका को वैकल्पिक खाद्य के रूप में काम में लाते हैं । अतः सरकार ने टैपियोका

[श्री वी० पी० नायर]

के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब जबकि भारत सरकार का यह कहना है कि वह त्रावनकोर-कोचीन को किसी भी मात्रा में चावल बेच सकती है, तो टैपियोका के निर्यात पर अब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध क्यों रहे ? टैपियोका के उत्पादनों की बहुत मांग है। इसके अतिरिक्त, यदि निर्यात के लिए टैपियोका की मांडी बनाई जाय, तो कदाचित् इसके मूल्यों में वृद्धि हो जाय। परन्तु सरकार उस टैपियोका को, जो टैपियोका का उपभोग करने वालों के लिये नियत हो, आर्थिक सहायता दे सकती है।

इस मामले में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बतायें कि इस उद्योग के लिए संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। सरकार का दृष्टिकोण इतना संकुचित क्यों है, और समस्या का ठीक समाधान करने के लिए सरकार की दृष्टि अपेक्षतः विस्तृत क्यों नहीं है ? सरकार ऐसे उपायों व साधनों को क्यों नहीं खोजती है जिनसे टैपियोका उगाने वालों, मांडी बनाने वालों, दाना बनाने वालों, मोती बनाने वालों आदि के हितों की रक्षा हो ?

मैं यह भी चाहता हू कि माननीय मंत्री इस सभा को विश्वास में लेकर हमें यह बतायें कि इस विषम प्रशुल्क शुल्क की सम्भावनायें क्या होंगी। इस विषमता का क्या उद्देश्य है ? यदि सरकार वास्तव में साबू उद्योग में रुचि रखती है, यदि वाणिज्य मंत्रालय चाहता है, कि आयात के होते हुये भी टैपियोका दाना उद्योग का विकास हो, तो वह अब सन् १९५४ में भी क्यों भेदभाव का प्रदर्शन करती है ? जहां तक शुल्क का सम्बन्ध है, यदि माननीय वाणिज्य मंत्री यह कहते कि हम इस तीस प्रतिशत की बजाय शत प्रतिशत शुल्क रखेंगे तो मैं उनके कथन को अधिक पसन्द करता। यदि आप आयात को निरुत्साहित कर रहे हैं, तो आप अधिकतम शुल्क क्यों नहीं लगाते हैं ताकि कोई आयात ही न कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसा उद्योग है जिसे सरकार संरक्षण देना चाहती है। अन्यथा वह ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न करती।

श्री ए० एम० थामस : सभापति महोदय मैं इस विधेयक का ज़ोरदार समर्थन करता हूं और इसके साथ ही साथ मैं उन उद्योगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिन्हें इस विधेयक में संरक्षण देने का उल्लेख है, विशेषकर टैपियोका उद्योग के बारे में जिससे मेरे राज्य का गहरा सम्बन्ध है।

प्रशुल्क आयोग ने टैपियोका दाने के संरक्षण देने के प्रश्न की १९५० में जांच पड़ताल की थी और उसने कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफ़ारिशों की संख्या दस थी और इन्हें कार्यान्वित करने के बारे में सरकार का प्रयत्न तनिक भी सन्तोषजनक नहीं रहा है।

इन सिफारिशों में सिफारिश संख्या ५ में कहा गया है कि सिंगापुर तथा पेनांग में कारीगरों के प्रशिक्षण की सुविधाय प्राप्त करने के लिए उद्योग को जिस भी सुविधा की आवश्यकता हो, वह सरकार को देनी चाहिये। तत्पश्चात् सिफ़ारिश संख्या ६ में कहा गया है कि जब कभी टैपियोका दाने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाय और उसकी उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी हो जाय, तो देश की मांग पूर्ण करने के पश्चात् बचे स्टॉक के निर्यात के लिए उद्योग को आवश्यक सुविधायें दी जायें। फिर सिफ़ारिश संख्या ७, जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है :"मद्रास तथा त्रावनकोर-कोचीन की सरकारों को अपने अपने राज्यों में टैपियोका जड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और अपने राज्यों में टैपियोका उत्पादन के अद्यतन अभिलेख रखने चाहियें।"

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इन तीनों सिफारिशों को तनिक भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन से मुझे ज्ञात होता है कि सिफ़ारिश संख्या ५ के सम्बन्ध में उद्योग ने सरकार से प्रार्थना नहीं की है। मेरा मत है कि इसे सरकार की असफलता मानना चाहिये। यह सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये था कि वह मलाया तथा सिंगापुर जो की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों से प्रार्थनापत्र आमंत्रित करती विशेषकर त्रावनकोर-कोचीन तथा मद्रास जैसे राज्यों से प्रार्थनापत्र आमंत्रित करती।

सिफारिश संख्या ६ के बारे में प्रशुल्क आयोग के अभिलेख से पता चलता है कि टैपियोका के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है।

सिफारिश संख्या ७ के बारे में कहा गया है कि टैपियोका जड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मद्रास सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और त्रावनकोर-कोचीन राज्य से इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। श्रीमान् मेरा यह निवेदन है कि जब खाद्य समस्या का समाधान केन्द्र द्वारा किया जा रहा था, तो केन्द्र को ही इस ओर तनिक अधिक ध्यान देना चाहिये था।

सभापति महोदय : अब पांच बज गये हैं। सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४, के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—413 LSD—27-1-55—000